



3635

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर

ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स- 0120-2321024

सन्दर्भ संख्या : 307 / 147-54/24

दिनांक : 12/7/24

To,

The Registrar,
The National Green Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi
E-mail- judicial-ngt@gov.in

Sub: Compliance report of on behalf of UPPCB in compliance of the order dated 15.11.2022 passed by Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in Original Application No. 392 of 2022 Prasoon Pant & Anr. Versus Union of India & Ors.

Sir,

That in compliance of the order dated 15.12.2022 passed by Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in Original Application No. 392 of 2022 Prasoon Pant & Anr. Versus Union of India & Ors., in compliance to the order passed on dated 15.12.2022 by Hon'ble Tribunal's, it was unanimously decided by joint committee that final compensation should be imposed 1% of total project cost as per CPWD guidelines against concerned project. In continuation of consent of joint committee, Greater Noida Industrial Development Authority (GNIDA) has been imposed final compensation against 37 concerned projects and process has been initiated to impose final compensation against rest projects. Report is annexed herewith and forwarded to you with the request that the same may be placed before the Hon'ble Tribunal.

Enclosure- As above

Yours Sincerely

12/7/24

(Deo Kumar Gupta)
Regional Officer

Copy to:

1. Shri Pradeep Misra, Advocate, Hon'ble NGT, New Delhi for kind persual and necessary action please.
2. Chief Environmental Officer, C-1, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information please.
3. Chief Law Officer, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information and necessary action please.

12/7/24
Regional Officer

3636

Compliance Report

In

Original Application No. 392/2022

Prasoon Pant & Anr.

Versus

Union of India & Ors.

Order Date – 15.11.2022

Filed on Behalf of:

U. P. Pollution Control Board, Greater Noida

1. Background

Hon'ble National Green Tribunal passed order on 15.11.2022 in O.A. No. 392/2022 in the matter of Prasoon Pant & Anr. Vs Union of India & Ors and relevant paras of the Order dated 15.11.2022 are reproduced below: -

".....Final compensation may be assessed by the joint Committee comprising of Regional Director, CGWB, Northern Region/or his Representative, representative of Uttar Pradesh Pollution Control Board and the District Magistrate."

A. Action taken by Joint Committee:

- As per decision taken in the Joint Committee dated 11.01.2024 regarding representation of PPs, further action has to be taken by GNIDA to provide water in required quantity or UPGWD to comply with U.P. ground water act, 2019.
- CGWB has asked for data such as period of EC comprising number of days, consumption of ground water per day, total cost of project area and name of block area, regarding which Regional Office, UPPCB, Greater Noida has written vide letter dated 18.04.2023 to U.P. Ground Water enclosing the list of 41 projects to provide the data for the assessment of final compensation, but UPGWD has failed to provide such type of data except name of block area.
- In compliance of Hon'ble Tribunal's orders dated 15.11.2022, District Magistrate, Gautam Buddha Nagar has formed a committee vide letter dated 02.06.2023 with additional member of Greater Noida Industrial Development Authority and U.P Ground Water Department, Gautam Buddha Nagar for assessment of final compensation. Copy of order is annexed as **Annexure-1**.

- CGWB has calculated final compensation as per data provided by UPPCB and GNIDA pertaining to 41 defaulter projects vide email dated 30.06.2023. UPPCB Greater Noida has sent the proposal of imposition of final compensation as assessed by CGWB to the joint committee vide its letter dated 30.06.2023 for approval of the proposal so that final compensation can be imposed but committee members (Additional District Magistrate and U.P. Ground Water Department) has denied calculation of final compensation because the data provided by UPPCB & GNIDA was not relevant and actual.
- A meeting of Joint Committee was held on dated 11.01.2024 to determine final compensation against defaulter projects. In the said meeting, it was unanimously decided that the Greater Noida Authority will produce the relevant data regarding consumption of water in construction phase including data of STP treated water provided by authority, Minutes of meeting is annexed as **Annexure-2**.
- Greater Noida Industrial Development Authority vide letter dated 14.03.2024 has provided partial information of total 12 projects out of total 41 projects. Regional officer, UPPCB, Greater Noida vide letter dated 16.03.2024 has furnished above information to the Regional Director, Central Ground Water Board, Lucknow for assessment of same to determine the final amount of Environmental Compensation to be levied against defaulters.
- CGWB sent a mail on dated 27.03.2024, in response of GNIDA letter dated 14.03.2024 that information provided by GNIDA is insufficient regarding calculation, copy of mail is annexed as **Annexure-3**.
- A meeting was held on dated 24.05.2024 in chairmanship of General Manager (Project), Greater Noida Industrial Development Authority for

taking decision of calculation of final compensation. In the said meeting, it was informed by GNIDA that GNIDA has not any information or documents regarding withdrawal of ground water and duration of abstraction of ground water by PPs. Further In the said meeting, it was informed by GNIDA that GNIDA imposes penalty 1% of total project cost of project in absence of giving water by GNIDA for constructions according to CPWD guidelines. Minutes of meeting is annexed as **Annexure-4**.

- In continuation of above meeting, a meeting of Joint Committee was held on dated 25.06.2024 to determine final compensation against defaulter projects in chairmanship of District Magistrate Gautam Buddha Nagar. In the said meeting, it was unanimously decided that final compensation should be imposed 1% of total project cost as per CPWD guidelines. Minutes of meeting is annexed as **Annexure-5**.
- In compliance of Minutes of Meeting issued by District Magistrate, Gautam Buddha Nagar vide letter dated 04.07.2024, GNIDA has imposed final compensation of 1% of project cost against 37 concerned project out of 41 project vide letter dated 09.07.2024. Copy of notices are annexed as **Annexure-6**.
- 01 project M/s JNC The Park, GH-1C, Sector-16 C, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar give reply to GNIDA regarding uses of STP treated water against notice issued by GNIDA vide letter dated 03.02.2024, 12.02.2024, 05.03.2024 and 01.04.2024. In continuation of reply submitted by project, GNIDA has sent a notice to project for expenses used for purchasing of STP treated water, so that assessment of compensation could be decided.

- As per office record of GNIDA and UPPCB regarding project cost of 03 projects (namely Novel velly, Sindhuja Green and Lucky Palm Velly) out of 41 projects are not available. In continuation of above, GNIDA has sent a letter to U.P. PWD for assessing of project cost of these projects. Copy of letter is annexed as **Annexure -7**.

B. Conclusion:

In view of above, it was unanimously decided by joint committee that final compensation should be imposed 1% of total project cost as per CPWD guidelines against concerned project. In continuation of consent of joint committee, Greater Noida Industrial Development Authority (GNIDA) has imposed final compensation against 37 concerned projects out of 41 projects and process has been initiated to impose final compensation against rest projects. Report is being submitted for kind perusal and consideration please.

Your's Sinciarly,



12/7/24
(D.K. Gupta)

Regional Officer,
U.P. Pollution Control Board
Greater Noida.

कार्यालय जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर।

क्र. : 34/300-30 वि. खण्ड - गौतमबुद्धनगर / NGT-0A392/2022 दिनांक 02/06/2023

कार्यालय आदेश

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 392/2022 प्रसून पंत एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 में प्रश्नगत परियोजनाओं पर Final Compensation की गणना किये जाने हेतु आदेश पारित किये गये हैं, जिसका मुख्य अंश निम्नवत है:-

".....11..... Final compensation may be assessed by the joint Committee comprising of Regional Director, CGWB, Northern Region/or his Representative, representative of Uttar Pradesh Pollution Control Board and the District Magistrate."

List for further consideration on 03.07.2023

प्रकरण ग्रेटर नोएडा वेस्ट क्षेत्र में विल्डिंग परियोजनाओं द्वारा भूगर्भ जल निष्कर्षण से सम्बन्धित है। उक्त निर्देशों के अनुपालन हेतु निम्न अधिकारियों की संयुक्त समिति गठित की जाती है-

क्र.	अधिकारी का नाम	पद
1.	अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), गौतमबुद्धनगर।	अध्यक्ष
2.	वरिष्ठ प्रबन्धक (जल/सीवर), ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा।	सदस्य
3.	क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा।	सदस्य
4.	सहायक भूजल वैज्ञानिक, केन्द्रीय भूगर्भ जल बोर्ड, लखनऊ।	सदस्य
5.	हाइड्रोलॉजिस्ट, उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग, गौतमबुद्धनगर।	सदस्य-सचिव

उपरोक्त मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 15.11.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में प्रश्नगत परियोजनाओं का उक्त समिति द्वारा Final Compensation की गणना परियोजनाओं द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन/सूचनाएं/अभिलेखों को समायोजित करते हुए किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है। प्रश्नगत परियोजनाओं पर Final Compensation की गणना आख्या अधोहस्ताक्षरी एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दाखिल किया जाना सुनिश्चित किया जाए, जिससे कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों का तत्समय अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

01.06.23
(मनीष कुमार वर्मा)
जिलाधिकारी
गौतमबुद्धनगर

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण को इस अनुरोध के साथ कि सम्यन्धित अधिकारी को अपने स्तर से ही निर्देशित करने का कष्ट करे।
2. वरिष्ठ प्रबन्धक (जल/सीवर), ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा।
4. श्री राहुल कुमार, सहायक भूजल वैज्ञानिक, केन्द्रीय भूगर्भ जल बोर्ड, लखनऊ।
5. हाइड्रोलॉजिस्ट, उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग, गौतमबुद्धनगर।

जिलाधिकारी
गौतमबुद्धनगर

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0सं0-392/2022, प्रसून पन्त एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 के अनुपालन में भूगर्भ जल दोहन प्रकरण पर प्रश्नगत 41 परियोजनाओं पर Final Compensation की गणना किये जाने हेतु अपर जिलाधिकारी महोदय (प्र0) की अध्यक्षता में संयुक्त समिति की संपन्न बैठक दिनांक 11.01.2024 का कार्यवृत्त।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0सं0-392/2022, प्रसून पन्त एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 में परियोजनाओं पर Final Compensation की गणना किये जाने के सम्बन्ध में प्रासंगिक अंश निम्नवत है -

"11. Following the above order, we issue directions for sealing of all borewells and recovery of compensation for illegal extraction of ground water in the past considering the cost of such water with different element and the cost of such water with deterrent element and the cost of replenishing ground water level. In absence of clear data on these aspects, interim/floor level compensation can be equal to at least 0.5% of the project cost of the PPs, apart from remedial action for future. The PPs may deposit compensation with the respective District Magistrate will be free to take coercive measures including filing of theft cases against the projects extracting ground water without permission and stopping the ongoing projects. **Final compensation may be assessed by the Joint Committee comprising of Regional Director, CGWB, Northern Region/or his Representative, representative of Uttar Pradesh Pollution Control Board and the District Magistrate....."**

उपरोक्त आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी(प्रशासन) महोदय की अध्यक्षता में संयुक्त समिति (केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल विभाग, खंड गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण) की बैठक दिनांक 11.01.2024 को आयोजित की गई। बैठक की उपस्थिति संलग्न है।

सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा एवं भूगर्भ जल विभाग, गौतमबुद्धनगर द्वारा मा0 एनजीटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 के अनुपालन में अब तक की गयी कृत कार्यवाही के विस्तृत विवरण से महोदय को अवगत कराया गया। भूगर्भ जल विभाग द्वारा अवगत कराया गया उक्त वाद ग्रेटर नोएडा वेस्ट क्षेत्र में हाऊसिंग परियोजनाओं द्वारा अवैध भू-गर्भ जल निष्कर्षण के सम्बन्ध में है। अग्रेतर क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 एनजीटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 के अनुपालन में अब तक कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या मा0 एनजीटी में दाखिल की जानी है, साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि मा0 एनजीटी की अगली सुनवाई की तिथि 18.01.2024 निर्धारित की गयी है।

भूगर्भ जल विभाग, गौतमबुद्धनगर द्वारा यह अवगत कराया गया यह संयुक्त समिति की बैठक प्रश्नगत परियोजनाओं पर **Final compensation** की गणना किये जाने हेतु आयोजित की जा रही है। समिति द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत विषय में **Final compensation** हेतु ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा ही सूचना दी जानी है। इस सन्दर्भ में पुर्व की बैठकों में दिए गए निर्देशानुसार ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से संदर्भित परियोजनाओं में प्राधिकरण के द्वारा आवश्यकता के सापेक्ष कम जलापूर्ति, जलापूर्ति न किये जाने एवं निर्माण में प्राधिकरण के एस०टी०पी० टी०टेड वाटर का प्रयोग किये जाने सम्बन्धी विवरण उपलब्ध कराया गया है।

किन्तु उपरोक्त विवरण से Final Compensation या Environmental Compensation की गणना किये जाने हेतु वांछित आंकड़ें अपर्याप्त है।

अतः समिति के उपस्थित अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श के उपरांत निम्न बिंदु तय किये गए -

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा प्रश्नगत 41 परियोजनाओं से पत्राचार कर निर्माण के दौरान उपभोग किये गये जल की मात्रा एवं स्रोत का विवरण के अभिलेखों को प्राधिकरण में कार्यालय अभिलेखों से मिलान करते हुए प्रश्नगत 41 परियोजनाओं में किये गये भूगर्भीय जल की मात्रा एवं भूगर्भीय जल निष्कर्षण की अवधि स्पष्ट उल्लेख करते हुए विवरण समिति को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

वरिष्ठ प्रबंधक (जल), ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के लिए निर्देश दिया गया कि प्रश्नगत 41 परियोजनाओं के प्रतिनिधियों से परियोजना द्वारा निर्माण कार्य हेतु प्रयोजित जल का प्रकार एवं खपत की मात्रा एवं अवधि सम्बंधित जानकारी एवं वांछित अभिलेख प्राप्त किया जाये जिससे परियोजना द्वारा निर्माणधीन चरण तक जल की कुल कितनी मात्रा की खपत की गयी है उसके आधार पर परियोजनाओं के विरुद्ध Final Compensation की गणना की जा सके।

(कार्यवाही- ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण)

इस सम्बन्ध में केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, लखनऊ से उपस्थित अधिकारी, श्री जगदम्बा प्रसाद, (साइंसटिस्ट डी), द्वारा यह सुझाव दिया गया कि प्राधिकरण द्वारा प्रश्नगत परियोजनाओं से सम्बंधित सभी अभिलेख प्राप्त किये जाये (यथा निर्माण कार्य के दौरान परियोजना द्वारा उपयोग में लिए गए शोधित जल की मात्रा तथा कुल अवैध भूजल निष्कर्षण की मात्रा), जिससे अवैध भूगर्भ जल निष्कर्षण की सही मात्रा एवं निष्कर्षण की अवधि का पता लग सके। अंत में सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हुए बैठक का समापन किया गया।


(अंकिता राय)
हाइड्रोलॉजिस्ट
भूगर्भ जल विभाग
खंड-गौतमबुद्धनगर

कार्यालय अधिशासी अभियंता, भूगर्भ जल विभाग, खण्ड- गौतमबुद्धनगर
पत्रांक- 353 /भूज०वि० खंड-गौतमबुद्धनगर/एनजीटी-ओ.ए.392/2022 दिनांक. 16 /01/2024
प्रतिलिपि:

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण को सादर सूचनार्थ।
2. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर, को सादर सूचनार्थ।
3. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), गौतमबुद्धनगर को सादर सूचनार्थ।
4. सम्बंधित विभाग/अधिकारियों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्त के सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही करने का कष्ट करें।


हाइड्रोलॉजिस्ट
भूगर्भ जल विभाग
खंड-गौतमबुद्धनगर

3644

 Gmail

RO Greater Noida <rogreaternoida@uppcb.in>

Fwd: MOM of NGT O.A.369 meeting and letter from R.O. UPPCB

5 messages

27 March 2024 at 13:55

JAGDAMBA PRASAD <jprasad-cgwb@gov.in>

To: ankurai3005@gmail.com, rogreaternoida <rogreaternoida@uppcb.in>

Cc: Central Ground Water Authority <cgwa@nic.in>, VINOD KUMAR <vk.dhaundiyaal-cgwb@gov.in>, RD CGWB NR Lucknow <rdnr-cgwb@nic.in>, ms <ms@uppcb.in>

महोदय/महोदया

Trailing mail के संदर्भ में अवगत करना है की , ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा भेजी गयी सूची से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है की 09 परियोजनाओ ने निर्माण के दौरान की अवधि में प्रयुक्त खपत जल की मात्रा भूजल से है अथवा ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करवाया गया treated water है, इसके अलावा 03 परियोजनाओ का प्रयुक्त खपत जल / treated water की मात्रा और अवधि का विवरण नहीं है। कृपया उपरोक्त को स्पष्ट करने का कष्ट करे ताकि Environment Compensation का निर्धारण समय से किया जा सके।

भवदीय

जगदंबा प्रसाद

वैज्ञानिक-डी

From: "RICHA GAUTAM" <gautamricha-cgwb@gov.in>

To: "JAGDAMBA PRASAD" <jprasad-cgwb@gov.in>

Cc: "RD CGWB NR Lucknow" <rdnr-cgwb@nic.in>

Sent: Friday, March 22, 2024 5:54:58 PM

Subject: Re: MOM of NGT O.A.369 meeting and letter from R.O. UPPCB

Sir

Enclosed copy of document could not be open in my system.

No. of days has been calculated and submitted in hard copy today itself.

Thanks & Regards

Richa Gautam

Sc-B

From: "JAGDAMBA PRASAD" <jprasad-cgwb@gov.in>

To: "RICHA GAUTAM" <gautamricha-cgwb@gov.in>

Cc: "RD CGWB NR Lucknow" <rdnr-cgwb@nic.in>

Sent: Friday, March 22, 2024 1:55:00 PM

Subject: Fwd: MOM of NGT O.A.369 meeting and letter from R.O. UPPCB

Urgent

Madam ,

PFA for calculations of EC. PI calculate it by today

Regards

Jagdamba Prasad

Sc-D

From: "RD CGWB NR Lucknow" <rdnr-cgwb@nic.in>

To: "JAGDAMBA PRASAD" <jprasad-cgwb@gov.in>

Sent: Thursday, March 21, 2024 10:50:54 PM

Subject: Fwd: MOM of NGT O.A.369 meeting and letter from R.O. UPPCB

3645

Central Ground Water Board

Northern Region, Bhujal Bhawan

Sector-B, Sitapur Road Yojana, Allganj

Lucknow - 226 021

Ph: +91-522-2363812

E-mail: rdnr-cgwb@nic.in



जल है तो कल है, Save Water Save this Planet

From: ankurai3005@gmail.com
To: "RD CGWB NR Lucknow" <rdnr-cgwb@nic.in>
Sent: Thursday, March 21, 2024 1:58:10 PM
Subject: MOM of NGT O.A.369 meeting and letter from R.O. UPPCB

Sir, please find attached the following

JAGDAMBA PRASAD <jprasad-cgwb@gov.in> 25 April 2024 at 11:00 AM
To: ankurai3005 <ankurai3005@gmail.com>, rogreaternoida <rogreaternoida@uppcb.in>, authority@gnida.in, dmgbn <dmgbn@nic.in>
Cc: ms <ms@uppcb.in>, upgwd in <upgwd.in@mail.in>, Central Ground Water Authority <cgwa@nic.in>, MCGWA <mcgwa-cgwb@nic.in>, VINOD KUMAR <vk.dhaundiyaal-cgwb@gov.in>, RD CGWB NR Lucknow <rdnr-cgwb@nic.in>

अनुस्मारक - संख्या 1 / अति आवश्यक - माननीय

एन.जी.टी. के अनुपालन से सम्बंधित
महोदय

Trailing mail के संदर्भ में अवगत करना है की, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा 41 परियोजनाओं में से केवल 09 परियोजनाओं के बारे में भेजे गये प्राप्त विवरण से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि निर्माण के दौरान की अवधि में प्रयुक्त खपत जल की मात्रा भूजल से है अथवा ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करवाया गया treated water है, इसके अलावा इन 09 परियोजनाओं में से भी 03 परियोजनाओं का प्रयुक्त खपत जल / treated water की मात्रा और अवधि का विवरण नहीं है, कृपया उपरोक्त केस को मध्यनजर रखते हुये, अतिशीघ्र अवगत करवाने की कृपा करे, ताकि Environment Compensation ka निर्धारण किया जा सके, जैसा की CGWA, New Delhi द्वारा दिनांक 29.04.23 माननीय एन.जी.टी. में reply फ़ाइल होना है।

भवदीय

जगदंबा प्रसाद

वैज्ञानिक-डी

From: "RD CGWB NR Lucknow" <rdnr-cgwb@nic.in>
To: "JAGDAMBA PRASAD" <jprasad-cgwb@gov.in>
Sent: Wednesday, April 24, 2024 11:57:35 PM
Subject: Fwd: MOM of NGT O.A.369 meeting and letter from R.O. UPPCB

कृपया भेज दें।

3646



Central
Ground Water
Board
Northern
Region, Bhujal
Bhawan
Sector-B,
Sitapur Road
Yojana,
Aliganj
Lucknow -
226 021
Ph: +91-522-
2363812
E-mail: rdnr-
cgwb@nic.in
जल है तो कल
है, Save
Water Save
this Planet

From: "JAGDAMBA PRASAD" <jprasad-cgwb@gov.in>
To: "RD CGWB NR Lucknow" <rdnr-cgwb@nic.in>
Sent: Wednesday, April 24, 2024 4:22:22 PM
Subject: Fwd: MOM of NGT O.A.369 meeting and letter from R.O. UPPCB

अनुस्मारक - संख्या 1 / अति आवश्यक - माननीय

एन.जी.टी

महोदय

Trailing mail के संदर्भ में अवगत करना है की, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा 41 परियोजनाओं में से केवल 09 परियोजनाओं के बारे में भेजे गये प्राप्त विवरण से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि निर्माण के दौरान की अवधि में प्रयुक्त खपत जल की मात्रा भूजल से है अथवा ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करवाया गया treated water है, इसके अलावा 03 परियोजनाओं का प्रयुक्त खपत जल / treated water की मात्रा और अवधि का विवरण नहीं है, कृपया उपरोक्त को केस को मध्यनजर रखते हुये, अतिशीघ्र अवगत करवाने की कृपा करे, ताकि Environment Compensation का निर्धारण किया जा सके, जैसा की CGWA, New Delhi द्वारा दिनांक 29.04.23 माननीय एन.जी.टी में रिप्लाई फ़ाइल होना है।
यदि, स्वीकृति हो तो इसे concerned departments, DM, GB Nagar और CGWA को भेजा जा सकता है।

भवदीय

जगदंबा प्रसाद

वैज्ञानिक-डी

From: "JAGDAMBA PRASAD" <jprasad-cgwb@gov.in>
To: ankurai3005@gmail.com, "rogreaternoida" <rogreaternoida@uppcb.in>
Cc: "Central Ground Water Authority" <cgwa@nic.in>, "VINOD KUMAR" <vk.dhaundiyal-cgwb@gov.in>, "RD CGWB NR Lucknow" <rdnr-cgwb@nic.in>, "ms" <ms@uppcb.in>
Sent: Wednesday, March 27, 2024 1:55:01 PM
[Quoted text hidden]
[Quoted text hidden]

CEO 1 <ceo1@uppcb.in>
To: RO Greater Noida <rogreaternoida@uppcb.in>, RO NOIDA <ronoida@uppcb.in>

3 May 2024 at 15:3

3647

----- Forwarded message -----

From: MS UPPCB <ms@uppcb.in>

Date: Thu, Apr 25, 2024 at 11:45 AM

Subject: Fwd: MOM of NGT O.A.369 meeting and letter from R.O. UPPCB

To: CEO1 <ceo1@uppcb.in>

[Quoted text hidden]



Sanjeev Kumar Singh,

Member Secretary,

U.P. Pollution Control Board,

TC-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow-226010 – U.P.

Phone: 91-522-2720895,

E-mail:ms@uppcb.in;

Website:www.uppcb.com



Vivek Roy

Chief Environmental Officer Circle-1/ (Admin)

/ Nodal NCAP,

U.P. Pollution Control Board,

TC-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow-226010 – U.P.

E-mail:ceo1@uppcb.in;

Website:www.uppcb.com

CEO 1 <ceo1@uppcb.in>

To: RO Greater Noida <rogreaternoida@uppcb.in>, RO NOIDA <ronoida@uppcb.in>

3 May 2024 at 15:36

[Quoted text hidden]

RD CGWB NR Lucknow <rdnr-cgwb@nic.in>

To: rogreaternoida@uppcb.in

Cc: dmgbn <dmgbn@nic.in>, authority@gnida.in, ankurai3005@gmail.com, ms@uppcb.in, upgwd in <upgwd.in@mail.in>, Central Ground Water Authority <cgwa@nic.in>, MCGWA <mcgwa-cgwb@nic.in>, VINOD KUMAR <vk.dhaundiyal-cgwb@gov.in>, JAGDAMBA PRASAD <jprasad-cgwb@gov.in>

16 May 2024 at 19:41

क्षेत्रीय अधिकारी

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

ग्रेटर नोएडा, A-1, फर्स्ट फ्लोर,

कॉमेरकीयल कॉम्प्लेक्स,

बीटा-2, ग्रेटर नोएडा

गोतमबुद्ध नगर

Eमेल: rogreaternoida@uppcb.in

विषय: OA No. 392 / 2022, in the matter of "Prasoon Pant & Others Vs. Union of India & Others" in compliance of order dated 15.11.2022 passed by Honourable नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, नई दिल्ली।

संदर्भ: आपका पत्रांक 119/NGT-54/24 Dated 04/05/2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र के संदर्भ में आपको अवगत करना है कि 23 परियोजनाओं में भूजल खपत ट्रीटिड वाटर की सूची जो कि ग्रेटर नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा आपको उपलब्ध करवाई गई है उसको आपके कार्यालय ने EC गणना हेतु इस कार्यालय को भेजी है जबकि इस सबन्ध में इस कार्यालय को इस तरह की कोई सूची अभी तक नहीं पत्र के माध्यम से और न ही ईमेल के द्वारा प्राप्त हुई है।

उपरोक्त के क्रम में आपको यह भी अवगत करना है कि उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल विभाग, नोएडा के नोडल अधिकारी द्वारा मार्च माह में ईमेल द्वारा 12 परियोजनाओं में खपत भूजल उपचारित जल (Treated water) की सूची भेजी थी जिसमें की एसटीपी जल की मात्रा का विवरण है लेकिन इसमें यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि यह परियोजनाओं के द्वारा उपयोग अवैध भूजल की मात्रा है या उपचारित जल (Treated water) की मात्रा है। क्योंकि EC केवल अवैध भूजल की निकासी पर ही प्रत्यारोपित की जा सकती है नकि उपचारित जल (Treated water) पर। इस संबंध में 27 मार्च '24 और 25 अप्रैल '24 माह में आपको ईमेल के माध्यम से सूचना मांगी थी जिसका प्रतिउत्तर अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है (ईमेल नीचे लगे हैं)।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि परियोजनाओं के द्वारा उपयोग अवैध भूजल की मात्रा की सूची अबिलंब उपलब्ध करवाने की कृपा करें जिससे EC का निर्धारण ससमय पूरा किया जा सके।

भवदीय !

CGWA Cell

CGWB, Lucknow.



Central
Ground Water
Board
Northern
Region, Bhujal
Bhawan
Sector-B,
Sitapur Road
Yojana,
Aliganj
Lucknow -
226 021
Ph: +91-522-
2363812
E-mail: rdnr-
cgwb@nic.in
जल है तो कल
है, Save
Water Save
this Planet

From: "JAGDAMBA PRASAD" <jprasad-cgwb@gov.in>
To: ankurai3005@gmail.com, rogreaternoida@uppcb.in, authority@gnida.in, "dmgbn" <dmgbn@nic.in>
Cc: ms@uppcb.in, "upgwd in" <upgwd.in@mail.in>, "Central Ground Water Authority" <cgwa@nic.in>, "MCGWA" <mcgwa-cgwb@nic.in>, "VINOD KUMAR" <vk.dhaundiyal-cgwb@gov.in>, "RD CGWB NR Lucknow" <rdnr-cgwb@nic.in>
Sent: Thursday, April 25, 2024 11:07:50 AM
[Quoted text hidden]
[Quoted text hidden]



भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड,
उत्तरी क्षेत्र, भूजल भवन
सेक्टर-बी, सीतापुर रोड योजना
अलीगंज, लखनऊ - 226021
दूरभाष : (0522)-2363812
ई-मेल: rdnr-cgwb@nlc.in



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF JAL SHAKTI
CENTRAL GROUND WATER BOARD
NORTHERN REGION, BHUJAL BHAWAN
SECTOR-B, SITAPUR ROAD YOJANA
ALIGANJ, LUCKNOW-226 021
PHONE : (0522)-2363812
E-mail : rdnr-cgwb@nlc.in



3650

न.- 4(237)/ एन. जी. टी./के.भू.ज.बो./उ.क्षे./एस&आइ- ५१५
दिनांक: 27 जून, 2024

सेवा में,

अधिशारी अभियंता
भू-गर्भ जल विभाग खण्ड, ए. डे.
अंसल गोल्फ लिंक -2, दादरी मैन रोड,
ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर

27 JUN 2024

विषय: मा० एन० जी० टी० में योजित ओ. न. 392/2022 (प्रसून पंत & अन्य Vs यूनियन ऑफ इंडिया) से संबंधित दिनांक 25.06.2024 आयोजित बैठक के संबंध में

सन्दर्भ : पत्रांक संख्या 566/ भू० ज० वि० ख० / (एन० जी० टी०-24/ गौतमबुद्ध नगर, दिनांक 21.06.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके तहत जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 25.06.2024 को बैठक आहूत की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी एवं ADM (वित्त & राजस्व) महोदय द्वारा CGWA द्वारा Environmental Compensation (EC) की गणना के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें जिलाधिकारी एवं ADM (वित्त & राजस्व) महोदय को अवगत कराया गया कि CGWA की guideline के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environmental Compensation EC) की गणना अवैध भूजल निष्कर्षण की मात्रा (किलोलीटर प्रतिदिन) एवं अवैध भूजल निष्कर्षण की समय अवधि (दिनों की संख्या) के आधार पर की जाती है।

मा० एन० जी० टी० में योजित ओ. न. 392/2022 के अनुपालन में ग्रेटर नोएडा के वेस्ट क्षेत्र में 41 बिल्डिंग परियोजनाओं के विरुद्ध Environmental Compensation (EC) का निर्धारण करना है, जिसके लिए उपरोक्त सूचनाओं का होना अति आवश्यक है, इस संबंध में पूर्व में आहूत की गई बैठकों में भी, ADM (प्रशासन) महोदय, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा, वरिष्ठ प्रबंधक (जल), ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, हाइड्रोलॉजिस्ट, उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल विभाग को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environmental Compensation EC) की गणना के लिए आवश्यक सूचनाओं के बारे में अवगत कराया जा चुका है, और इन बैठकों के उपरांत लिए गए निर्णयों में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण को उपरोक्त सूचनाओं को उपलब्ध कराए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा गया, लेकिन आवश्यक सूचनाएं अभी तक उपलब्ध नहीं हो पायी है, जिसके कारण Environmental Compensation (EC) का निर्धारण नहीं हो पाया है।

भवदीय

(संजय गोपाल भरतरिया)

क्षेत्रीय निदेशक

प्रतिलिपि:-

1. महाप्रबंधक (प्रोजेक्ट) ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा सिटी, गौतमबुद्ध नगर सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. सदस्य सचिव, केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण, 18/11, जामनगर हाउस, मन सिंह रोड, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ हेतु।

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट न०-1 सेक्टर--कै० पी०-4 ग्रेटर नोएडा सिटी, जिला-गौतमबुद्ध नगर (उ०प्र०)।
website: www.greaternoidaauthority.in email id: authority@gnoida.in

पत्रांक: जल/2024/562

दिनांक: 28/05/2024

वैठक कार्यवृत्त

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 392/2022 प्रसून पंत एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 के अनुपालन में सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 392/2022 प्रसून पंत एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 के अनुपालन के सम्वन्ध में दिनांक 24.05.2024 को महाप्रबंधक (प्रोजेक्ट), ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के कक्ष में बैठक आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थित अधिकारियों का वितरण निम्नवत् है:-

1. श्री एस०के० मिश्रा, महाप्रबंधक (प्रोजेक्ट), ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।
2. श्री जगदम्बा प्रसाद, वैज्ञानिक डी, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, लखनऊ।
3. श्री ए०पी० वर्मा, वरिष्ठ प्रबंधक (जल), ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
4. श्री डी०के० गुप्ता, क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा।
5. श्रीमती अंकिता राय, हाईड्रोजोलिस्ट, उ०प्र० भू-गर्भ जल विभाग, गौतमबुद्धनगर।

सर्व प्रथम उ०प्र० भूगर्भ जल विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त वाद ग्रेटर नोएडा वेस्ट क्षेत्र में हाउसिंग परियोजनाओं द्वारा अवैध भू-गर्भ जल दोहन किये जाने के संबंध में है। उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 392/2022 प्रसून पंत एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 के अनुपालन हेतु प्रश्नगत परियोजनाओं पर अवैध भूजल दोहन किये जाने के दृष्टिगत Final Compensation की गणना किये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्धनगर कार्यालय के पत्र दिनांक 02.06.2023 द्वारा संयुक्त समिति का गठन किया गया है एवं उक्त वाद से सम्बन्धित तथ्यों के विषय में महोदय को अवगत कराया गया।

उक्त वाद में प्रश्नगत विल्डरों पर Final Compensation की गणना किये जाने हेतु पूर्व में केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, लखनऊ द्वारा भूजल निष्कर्षण की अवधि एवं उपभोगित भूजल खपत की मात्रा की सूचना चाही गयी थी। तत्क्रम में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा 23 परियोजनाओं की सूचना अपने पत्र दिनांक 15.04.2024 के माध्यम से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध कराया गया। तदोपरान्त प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उक्त सूचना केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, लखनऊ प्रेषित की गयी एवं प्रेषित सूचनाओं पर केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, लखनऊ के ई-मेल दिनांक 16.05.2024 पर आपत्ति लगाते हुए सुसंगत सूचनाओं का न होने का हवाला दिया गया।

(कार्यवाही- ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण)

प्रश्नगत विल्डरों पर Final Compensation की गणना किये जाने हेतु ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अपने पत्रांक जल/2024/527 दिनांक 17.05.2024 द्वारा समिति के सदस्यों की बैठक दिनांक 24.05.2024 को आहूत की गयी। तत्क्रम में महाप्रबंधक, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के कक्ष में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में संयुक्त समिति द्वारा यह सहमति व्यक्त की गयी कि प्रश्नगत विल्डरों पर Final Compensation की गणना किये जाने हेतु केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा चाही गयी वास्तविक सूचना भूजल निष्कर्षण की अवधि एवं उक्त अवधि के दौरान प्रोजेक्ट द्वारा दोहित भूजल की वास्तविक मात्रा का आंकलन, पम्पों के संचालन अवधि ज्ञात करने हेतु आवर मीटर अथवा वाटर मीटर के अभाव में किया जाना व्यवहारिक रूप में सम्भव नहीं हो पा रहा है।

(कार्यवाही- ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण)

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजनाओं को आवंटन किये जाने के दौरान किये गये कॉन्ट्रैक्ट में परियोजना के निर्माण में जलापूर्ति यदि प्राधिकरण से किया जाता है तो प्रोजेक्ट कॉस्ट का 1% धनराशि लिये जाने का प्राविधान है, उक्त के सम्वन्ध में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश की प्रति सलग्न है। चूंकि प्रश्नगत परियोजनाओं को 03 नोटिस दिये जा चुके हैं, चुके हैं, किन्तु उनके द्वारा सुसंगत/याँचिता सूचनाएँ नहीं दी जा रही हैं। अतः संयुक्त समिति द्वारा यह सहमति व्यक्त



ग्रेंटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट नो-1, सेक्टर-कै0 पी0-4, ग्रेंटर नौएडा सिटी जिला-गौतमबुद्ध नगर (उ0प्र0)।
website: www.greaternoidaauthority.in email: authority@gnida.in

की गयी कि प्रश्नगत बिल्डरों पर Final Compensation की गणना किये जाने हेतु CPWD में प्राविधानित नियम के अनुसार प्रोजेक्ट कॉस्ट का 1% धनराशि का जुर्माना लगाया जाना उचित होगा। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि यदि बिल्डर अवगत कराता है कि उराक द्वारा निर्माण के दौरान प्रयोग में लाये गये शुद्धिकृत घरेलू उत्प्रावाह (ट्रीटेड सीवेज द्वारा) की मात्रा इतनी है तो इस वास्तविक व्यय की धनराशि को जुर्माने की धनराशि में से घटा दिया जायेगा। प्रोजेक्ट द्वारा खपत की गयी ट्रीटेड सीवेज पर व्यय धनराशि के सम्बन्ध में वास्तविक सूचना प्राप्त किये जाने हेतु परियोजना को ग्रेंटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेंटर नौएडा द्वारा पत्र/अनुसमारकीय पत्र प्रेषित कर सूचना प्राप्त किये जायेगा।

(कार्यवाही- केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड/उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग/ग्रेंटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण/उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

प्रश्नगत बिल्डरों पर Final Compensation की गणना किये जाने हेतु CPWD में प्राविधानित नियम के अनुसार प्रोजेक्ट कॉस्ट का 1% धनराशि का जुर्माना अधिरोपित किये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक आहूत कर अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही- केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड/उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग/ग्रेंटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण/उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

उक्त प्रकरण पर जिलाधिकारी महोदय के सहगत।दये जाने के उपरान्त GNIDA द्वारा परियोजना के प्रोजेक्ट कॉस्ट का 1% धनराशि का जुर्माना लगाये जाने का नोटिस प्रश्नगत परियोजनाओं को प्रेषित किया जायेगा।

(कार्यवाही- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/भू-गर्भ जल विभाग/ ग्रेंटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण/उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/लघु सिंचाई विभाग)

अन्त में सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हुए बैठक का समापन किया गया।


(स0पी0 वर्मा)
वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदय, जिला-गौतमबुद्धनगर को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. स्टाफ आफिसर को, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सी0) महोदय के अवलोकनार्थ।
3. महाप्रबन्धक (अभियन्त्रण-जल) महोदय को सादर सूचनार्थ।
2. सम्बन्धित विभाग/अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)

3653



सत्यमेव जयते

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT

दिल्ली दर अनुसूची

(भाग - 1)

DELHI SCHEDULE OF RATES

(Vol. 1)

2018



CPWD

महानिदेशक, के.लो.नि.वि., नई दिल्ली के प्राधिकार के अधीन प्रकाशित
Published under the Authority of Director General, CPWD, New Delhi

3654



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



केंद्रीय लोक निर्माण विभाग
CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT

दिल्ली दर अनुसूची
(भाग-1)

DELHI SCHEDULE OF RATES
(Vol-1)

2018

महानिदेशक, कें.लो.नि.वि., नई दिल्ली
Director General, CPWD, New Delhi

SCHEDULE III

PRICE/ COMPENSATION SCHEDULE

1. Levy/Taxes Payable by Contractor

- (i) GST, Building and other Construction Workers Welfare Cess or any other Tax, Levy or Cess in respect of input for or output by this contract shall be payable by the contractor. The Corporation shall not entertain any claim whatsoever in this respect except as provided under Clause 18.7. of Schedule II
- (ii) The contractor shall deposit Royalty and obtain necessary permit for supply of the red bajri, stone, kankar etc. from local authorities.
- (iii) If pursuant to or under any law, notification or order any royalty, cess or the like becomes payable by the Corporation and does not any time become payable by the contractor to the State Govt., Local Authorities in respect of any material used by the contractor in the works, then in such a case, it shall be lawful to the Corporation and it will have the right and be entitled to recover the amount paid in the circumstances as aforesaid from dues of the contractor under any contract with Corporation.

Important Instructions on Prices:

1. Specifications as published by CPWD for Civil, E& M works (latest including UpToDate correction slips) for building works and MORTH specifications for Road works shall be used for executing the work. Works for which CPWD specifications are not available, the same shall be carried out in accordance with GCC.
2. Schedule A consists of miscellaneous item of works consisting of following:
 - (i) DSR Civil 2021 and Market Rates (MR) Civil
 - (ii) DSR (E & M) 2022 and Market Rates (MR) E&M
 - (iii) General Maintenance Works and Services (GMWS) consisting Horticulture Works and Housekeeping Services.
3. Items of work in schedule are the works which are most likely to be executed under the contract. But items not covered under the schedule may also be taken up as per site requirement and need. Rates of such item shall be decided as per relevant clauses of GCC.
4. DSR and MR Civil item rate consists of 1% Water charges, GST 12% and labor cess 1%
MR item rates are based on Analysis of most similar items of DSR, Labor rates as in DSR 2021 (civil) and most reasonable Market rate of material, sundries/T&P as per DSR 2021 (Civil).
5. DSR and MR Electrical item rate consists of GST 12%
MR item rates are based on Analysis of most similar items of DSR, Labor rates as in DSR 2022 (E&M) and most reasonable Market rate of material, Sundries/T&P as per DSR 2022 (E&M).
6. General Maintenance Works & Services (horticulture /Housekeeping Services) (GMWS) item rate consists of 1% Water charges, GST 12%.
7. Contractor shall quote a uniform percentage, called contractor percentage (CP) applicable to all items mentioned in the sub-schedule including DSR and MR Items. He may quote uniform or different CP for each sub schedule but quote for each sub schedule is mandatory otherwise Price bid shall be summarily rejected.
8. Contractor shall quote his rates considering contribution towards ESI/EPF as per prevailing act and rules, 18 % GST and labor CESS (BOCW), as applicable as per prevailing tax regime and no extra GST/ CESS /Additional sum on account of ESI/EPF shall be payable except as per cl 18.7 of Schedule II.
9. The Total Amount quoted for each sub schedule (A. I, A.II & A.III) shall be calculated by Multiplying quoted CP with estimated Amount of that sub-schedule.
10. Total for each sub schedule (A. I, A.II and A.III) shall be done to arrive Gross Tendered Amount (GTA). The bidder who has quoted the lowest Gross Tendered Amount (GTA) shall be L1

Volume-IV: Schedule-III (PRICE/ COMPENSATION SCHEDULE)

bidder.

11. The CP quoted for Civil works in respective sub schedule (A.I) shall also be applicable for all other Civil works/items whether mentioned in these sub schedule or not but mentioned in DSP. Civil 2021 and also on items not mentioned in DSP 2021 (Civil) ie Other Market rates Items of Civil works and Rates of such items shall be decided as per Procedure given in Contract.
12. The CP quoted for E&M works in respective sub schedule (A.II) shall also be applicable for all other E&M works/items whether mentioned in these sub schedule or not but mentioned in DSP. E&M 2022 and also on items not mentioned in DSP 2022 (E&M) ie Other Market rates Items of E&M works and Rates of such items shall be decided as per Procedure given in Contract.
13. The CP quoted for General Maintenance Works & Services in respective sub schedule (A.III) shall also be applicable for all other similar nature General Maintenance Works/ Housekeeping services if not mentioned in this sub schedule and Rates of such items shall be decided as per Procedure given in Contract.
14. Where rate/percentage rate is asked for, tenderer should quote in figures. In E- Tender, values in words are not acceptable. Tenderer should note that noncompliance of above, may lead to rejection of their tender.
15. Items given in price schedule are just to give an idea of work involved. CWC reserves the right to delete any item from price schedule or operate any other items scheduled in the latest DSP (at the time of tender publishing) or non-schedule item (market rates item) without any limit of variation to complete the work. The payment of DSP items/MR items shall be made at the accepted Contractor Percentage (CP) above/below/at par of DSP /MR quoted in respective sub schedule and in terms of relevant clause of SCC/GCC.
16. Tenderers are required to quote their rate in percentage only in the excel sheet designed for quoting rates in the uploaded tender on the tender website.
17. Tenderer is required to dump/stack and neatly level, dress all excavated material as per the instruction of Warehouse Manager / Engineer at site, for use in the work. Contractor is not supposed to take any excavated material out of site without permission of CWC Warehouse Manager / Engineer.

Tender Price Schedules:

Schedule-A	
• Sub schedule A. (1): Items based on DSR 2021 (with up-to-date correction slips) and Non-Scheduled Items for civil works,	
Name of Work:	Execution of Miscellaneous Repair /Maintenance, upgradation and Construction works in Zone V - a cluster of central warehouses located at Malanpur and Bhind On Annual rate Contract basis.
NIT Number	NIT_CWC/RO BPL/ENGG/ZMC/23-24/23/2 nd Call
Total Estimated Amount (Rs.) for works/services covering this Sub-Schedule-	Rs. 14,37,7758.00

S/N	Description of Work	Contractor Percentage (CP) % Quote by Bidder (In Fig)	
		Above/Below/ At Par of rates - mentioned in Price Schedule	% Fig
1	Price Schedule: <ul style="list-style-type: none"> • Items mentioned at Schedule A. (I): • Items based on DSR 2021 for civil works, • Non-Scheduled Market rate Items of Civil work. 		
	Tendered Amount Based on above Quote: Estimated Amount x Contractor Percentage	Rs. (In figure)	

Important Note:

(TENDERER SHALL NOT QUOTE THE RATE ANY WHERE IN TECHNICAL BID. THE RATES SHALL BE QUOTED IN THE PRICE BID XL SHEET DESIGNED FOR QUOTING RATES IN THE UPLOADED TENDER ON THE TENDER WEBSITE. THE RATES IF ANY MENTION IN TECHNICAL BID SHALL NOT BE CONSIDERED FOR PRICE EVALUATION AND WILL BE NULL AND VOID TO THIS EFFECT

Tender Price Schedules:

Schedule-A	
Sub schedule A. (II): Items based on DSR 2022 (with up-to-date correction slips) and Non-Scheduled Items for E&M Works,	
Name of Work:	Execution of Miscellaneous Repair /Maintenance, upgradation and Construction works in Zone V - a cluster of central warehouses located at Malanpur and Bind On Annual rate Contract basis.
NIT Number	NIT_CWC/RO BPL/ENGG/ZMC/23-24/23/2 nd Call
Total Estimated Amount (Rs.) for works/services covering this Sub-Schedule-	Rs. 1,51,870.00

S/N	Description of Work	Contractor Percentage (CP) % Quote by Bidder(In Fig)	
		Above/Below/ At Par of rates - mentioned in Price Schedule	% Fig
1	Price Schedule: <ul style="list-style-type: none"> • Items mentioned at Schedule A. (II): • Items based on DSR(E &M) 2022 for Electrical works • Non-Scheduled Market rate Items of E&M work. 		
	Tendered Amount Based on above Quote: Estimated Amount x Contractor Percentage	Rs. (In figure)	

Important Note:

(TENDERER SHALL NOT QUOTE THE RATE ANY WHERE IN TECHNICAL BID. THE RATES SHALL BE QUOTED IN THE PRICE BID XL SHEET DESIGNED FOR QUOTING RATES IN THE UPLOADED TENDER ON THE TENDER WEBSITE. THE RATES IF ANY MENTION IN TECHNICAL BID SHALL NOT BE CONSIDERED FOR PRICE EVALUATION AND WILL BE NULL AND VOID TO THIS EFFECT

Tender Price Schedules:

Schedule-A	
Sub schedule A. (III): Items for General Maintenance Services -Horticulture Works and Housekeeping Services.	
Name of Work:	Execution of Miscellaneous Repair /Maintenance, upgradation and Construction works in Zone V - a cluster of central warehouses located at Malanpur and Bhind On Annual rate Contract basis.
NIT Number	NIT_CWC/RO BPL/ENGG/ZMC/23-24/23/2 nd Call
Total Estimated Amount (Rs.) for works /Services covering this Sub-Schedule-	Rs. 10,07,244.00

S/N	Description of Work	Contractor Percentage (CP) % Quote by Bidder(In Fig)	
		Above/Below/ At Par of rates - mentioned in Price Schedule	% Fig
1	Price Schedule: <ul style="list-style-type: none"> • Items mentioned at Schedule A. (III): • Items for General Maintenance Works & Services consisting Horticulture works and House Keeping Services. 		
	Tendered Amount Based on above Quote: Estimated Amount x Contractor Percentage	Rs. (In figure)	

Important Note:

(TENDERER SHALL NOT QUOTE THE RATE ANY WHERE IN TECHNICAL BID. THE RATES SHALL BE QUOTED IN THE PRICE BID XL SHEET DESIGNED FOR QUOTING RATES IN THE UPLOADED TENDER ON THE TENDER WEBSITE. THE RATES IF ANY MENTION IN TECHNICAL BID SHALL NOT BE CONSIDERED FOR PRICE EVALAUTION AND WILL BE NULL AND VOID TO THIS EFFECT

Tender Price Schedules:

Schedule-A
Price Bid- Summary Sheet

Name of Work:	Execution of Miscellaneous Repair /Maintenance, upgradation and Construction works in Zone V - a cluster of central warehouses located at Malanpur and Bhind On Annual rate Contract basis.
NIT Number	NIT_ CWC/RO BPL/ENGG/ZMC/23-24/23/2 nd Call
Total Estimated Amount (Rs.) for works/services.	Rs. 1,55,36,872.00

S/ N	Description	Estimated Amount (Rs.)	Contractor Percentage (CP) Quoted Above/ Below/At Par of rates - mentioned in Price Schedule	Tendered Amount (Rs.)
1	Price Sub Schedule A.I			
2	Price Sub Schedule A.II			
3	Price Sub Schedule A.III			
	Sub Total Rs.			
Gross Tendered Amount (GTA) Rs.				

Important Note:

TENDERER SHALL NOT QUOTE THE RATE ANY WHERE IN TECHNICAL BID. THE RATES SHALL BE QUOTED IN THE PRICE BID XL SHEET DESIGNED FOR QUOTING RATES IN THE UPLOADED TENDER ON THE TENDER WEBSITE. THE RATES IF ANY MENTION IN TECHNICAL BID SHALL NOT BE CONSIDERED FOR PRICE EVALAUTION AND WILL BE NULL AND VOID TO THIS EFFECT

Code	Description	Unit	Quantity	Rate ₹	Amount ₹
9999	Sundries (Form work etc.)	L.S.	13.52	2.12	28.66
	TOTAL				4190.11 W
	Add 1 % Water charges on "W-A"				6.28
	TOTAL				4196.39 X
	Add GST on "X-A" (multiplying factor 0.1405)				89.10
	TOTAL				4285.49 Y
	Add 15% CPOH on "Y-A"				4393.97 Z
	TOTAL				8.32
	Add Cess @ 1% on "Z-A"				4402.29
	Cost for 10 sqm.				440.23
	Cost of 1 sqm.				440.25
	Say				

4.12 Extra for providing and mixing water proofing material in cement concrete work in doses by weight of cement as per manufacturer's specification.

Code	Description	Unit	Quantity	Rate ₹	Amount ₹
1213	Details of cost for per bag of 50kg. of cement				
9988	MATERIAL				
	Approved waterproofing materials according to the recommended proportions	kilogram	1.00	35.00	35.00
	Water proofing materials				
	Carriage of water proofing material and labour for mixing etc.	L.S.	3.64	2.12	7.72
	TOTAL				42.72 W
	Add 1 % Water charges on "W"				0.43
	TOTAL				43.14 X
	Add GST on "X" (multiplying factor 0.1405)				6.06
	TOTAL				49.21 Y
	Add 15% CPOH on "Y"				7.38
	TOTAL				56.59 Z
	Add Cess @ 1% on "Z"				0.57
	Cost per bag of cement of 50kg.				57.15
	Say				57.15

4.13 Providing & applying a coat of residual petroleum bitumen of grade of VG-10 of approved quality using 1.7kg per square metre on damp proof course after cleaning the surface with brushes and finally with a piece of cloth lightly soaked in kerosene oil.

Code	Description	Unit	Quantity	Rate ₹	Amount ₹
0309	Details of cost for 10sqm. MATERIAL				
	Paving bitumen VG-10 of approved quality	tonne	0.017	25614.00	435.44
0771	Kerosene oil	litre	1.23	50.00	61.50
	Fuel for heating				

10

AS PER CPWD (CENTRAL PUBLIC WORKS DEPT)

- 4.11 Providing and laying damp-proof course 50mm thick with cement concrete 1:2:4 (1 cement : 2 coarse sand (zone-III) derived from natural sources : 4 graded stone aggregate 20mm nominal size derived from natural sources).

Code	Description	Unit	Quantity	Rate ₹	Amount ₹
4.1.3	Details of cost for 10 sqm MATERIAL Cement concrete 1:2:4 (1 cement : 2 coarse sand (zone-III) : 4 graded stone aggregate 20 mm nominal size) = $10 \times 0.05 = 0.50$ cum Rate as per item no 4.1.3 of SH: Concrete work	cum	0.50	7365.15	3682.58 A
	Add for delay :				
0123	Mason (brick layer) 1st class	day	0.40	784.00	313.60
0124	Mason (brick layer) 2nd class	day	0.40	714.00	285.60
9999	Sundries (Form work etc.)	L.S.	13.52	2.12	28.56
	TOTAL				4310.44 W
	Add 1 % Water charges on "W-A"				6.28
	TOTAL				4316.72 X
	Add GST on "X-A" (multiplying factor 0.1405)				89.10
	TOTAL				4405.81 Y
	Add 15% CPOH on "Y-A"				102.49
	TOTAL				4514.30 Z
	Add Cess @ 1% on "Z-A"				8.32
	Cost for 10 sqm.				4522.62
	Cost of 1 sqm.				452.26
	Say				452.25

- 4.11A Providing and laying damp-proof course 50mm thick with cement concrete 1:2:4 (1 cement : 2 coarse sand (zone-III) including manufactured sand derived from Recycled Concrete Aggregate (RCA) upto 25% : 4 graded stone aggregate 20mm nominal size including (Recycled Concrete Aggregate (RCA) upto 25%))

Code	Description	Unit	Quantity	Rate ₹	Amount ₹
4.1.3A	Details of cost for 10 sqm MATERIAL 1:2:4 (1 cement : 2 coarse sand (zone-III) Recycled concrete aggregate (RCA) upto 25% : 4 graded stone aggregate 20mm nominal size (Recycled Concrete Aggregate (RCA) upto 25%)) = $10 \times 0.05 = 0.50$ cum Rate as per item no 4.1.3A of SH: Concrete work	cum	0.50	7124.50	3562.25 A
	Add for delay :				
0123	Mason (brick layer) 1st class	day	0.40	784.00	313.60
0124	Mason (brick layer) 2nd class	day	0.40	714.00	285.60

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 392/2022 प्रसून पंत एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 के अनुपालन में भूजल दोहन प्रकरण पर प्रश्नगत 41 परियोजनाओं पर Final Compensation की गणना किये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में संयुक्त समिति की सम्पन्न बैठक दिनांक 25.06.2024 की कार्यवृत्त।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 392/2022 प्रसून पंत एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 अंश निम्नवत् हैं—

“Final compensation may be assessed by the joint Committee comprising of Regional Director, CGWB, Northern Region/or his Representative, representative of Uttar Pradesh Pollution Control Board and the District Magistrate.”

उपरोक्त आदेश के अनुपालन में भूजल विभाग खण्ड गौतमबुद्धनगर के पत्रांक 566/भू0ज0वि0ख0/एन0जी0टी0-24/गौतमबुद्धनगर दिनांक 21.06.2024 द्वारा जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में संयुक्त समिति की बैठक प्रस्तावित की गयी। तत्क्रम में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में संयुक्त समिति (अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), गौतमबुद्धनगर, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, लखनऊ, उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग, गौतमबुद्धनगर, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गौतमबुद्धनगर) की बैठक दिनांक 25.06.2024 को सम्पन्न हुई। बैठक में प्रतिभाग किये गये प्रतिनिधियों का विवरण निम्नवत् है—

1. जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्धनगर।
2. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), गौतमबुद्धनगर।
3. श्री जगदम्बा प्रसाद, वैज्ञानिक डी, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, लखनऊ।
4. श्री ए0पी0 वर्मा, वरिष्ठ प्रबंधक (जल), ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।
5. श्री डी0के0 गुप्ता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा।
6. श्रीमती अंकिता राय, हाईड्रोलॉजिस्ट, भूगर्भ जल विभाग, खण्ड गौतमबुद्धनगर।

सर्वप्रथम उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 के अनुपालन में अब तक की गयी कृत कार्यवाही का विस्तृत विवरण से जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया गया।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) द्वारा केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड एवं उ0प्र0 भूजल विभाग से जानकारी चाही गयी कि अवैध भूजल दोहन किये जाने की दशा में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने का आधार एवं विधि क्या होता है? इस पर केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि अवैध भूजल निष्कर्षण की मात्रा (किलोलीटर/दिन) एवं अवैध भूजल निष्कर्षण की अवधि (दिनों की संख्या) पर आधारित गणना किये जाने का प्राविधान है। उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि अवैध भूजल

दोहन किये जाने पर उ०प्र० भूगर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम, 2019 में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने का प्राविधान नहीं है।

तदोपरान्त अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) द्वारा उक्त के सम्बन्ध में लिखित वक्तव्य प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

(कार्यवाही-केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड/उ०प्र० भूगर्भ जल विभाग)

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) द्वारा ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण से अवैध भूजल निष्कर्षण की मात्रा (किलोलीटर/दिन) एवं अवैध भूजल निष्कर्षण की अवधि (दिनों की संख्या) की सूचना देने हेतु कहा गया, जिस पर प्राधिकरण के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत परियोजनाओं द्वारा दोहित भूजल की वास्तविक जल की मात्रा का आंकलन, पम्पों के संचालन अवधि ज्ञात करने हेतु आवर मीटर अथवा वाटर मीटर के अभाव में किया जाना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं हो पा रहा है। प्राधिकरण के प्रतिनिधि द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि CPWD में प्राविधानित नियम के अनुसार, प्राधिकरण के जिन परियोजनाओं के निर्माण के दौरान प्राधिकरण द्वारा जल की आपूर्ति नहीं की जाती है, उन परियोजनाओं में जल खपत पर होने वाले व्यय की गणना कुल परियोजना लागत का 1% मानते हुये गणना की जाती है, इसी प्रकार CPWD में प्राविधानित नियम के अनुसार प्रोजेक्ट का जुर्माना लगाया जाना उचित होगा। उपरोक्त के सम्बन्ध में CGWA के प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना हेतु वांछित सूचना ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध न कराये जाने के कारण उसके विकल्प के रूप में CPWD द्वारा प्राविधानित नियम को आधार मानते हुये कुल परियोजना लागत का 1% के बराबर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाना उचित होगा तथा जुर्माना धनराशि में से जिन परियोजनाओं द्वारा निर्माण के दौरान शुद्धिकृत घरेलू उत्प्रवाह (ट्रीटेड सीवेज) के उपयोग पर जितनी धनराशि वास्तविक रूप से व्यय की गयी हो, उसे प्रोजेक्ट कॉस्ट के 1% के बराबर जुर्माना धनराशि में से घटा लिया जाना उचित होगा।

तदोपरान्त अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) द्वारा उक्त के सम्बन्ध में प्राधिकरण के प्रतिनिधि को लिखित वक्तव्य प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

(कार्यवाही-ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण/केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड)

उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यालय अमिलेखों में प्रश्नगत 41 परियोजनाओं में 38 परियोजनाओं का प्रोजेक्ट कॉस्ट की सूचना उपलब्ध है, जिसे ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण से साझा कर दिया गया है। बैठक में समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गयी कि शेष 03 परियोजनाओं का प्रोजेक्ट कॉस्ट प्राधिकरण अपने स्तर से प्राप्त करे एवं उपरोक्त के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करें।

(कार्यवाही-ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण)

जिलाधिकारी महोदय द्वारा CPWD में प्राविधानित नियम के अनुसार प्रोजेक्ट कॉस्ट का 1% धनराशि का जुर्माना 38 परियोजनाओं के विरुद्ध अधिरोपित किये जाने हेतु ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण को निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही-ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण)

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा प्रश्नगत परियोजनाओं पर प्रोजेक्ट कॉस्ट का 1% धनराशि का जुर्माना अधिरोपित करने के उपरान्त एक्शन टेकेन रिपोर्ट/ अनुपालन आख्या मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल किया जाये।

(कार्यवाही- ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण/उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

अन्त में सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हुए बैठक का समापन किया गया।

(मनीष कुमार वर्मा)
जिलाधिकारी
गौतमबुद्धनगर।
K K

कार्यालय जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर

पत्रांक 77/भू0ज0वि0 खण्ड-गौतमबुद्धनगर/एनजीटी-ओ.ए.392/2022 दिनांक 04/07/2024

प्रतिलिपि:

1. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), गौतमबुद्धनगर को अनुपालनार्थ प्रेषित।
2. सम्बन्धित विभाग/अधिकारियों को अनुपालनार्थ प्रेषित।

04/07/24
जिलाधिकारी
गौतमबुद्धनगर।
K K



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट न०-1, सैक्टर-कै० पी०-4, ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला-गौतमबुद्ध नगर (उ०प्र०)।

website: www.greaternoidaauthority.in email id: authority@gnida.in

पत्रांक : जल/2024/737

दिनांक: 09 / 07 / 2024

✓ सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
ए-1, प्रथम तल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स,
बीटा-2, ग्रेटर नौएडा।

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 के अनुपालन में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित संयुक्त समिति की दिनांक 25.06.2024 को हुई बैठक कार्यवृत्त (दिनांक 04.07.2024 को जारी) के अनुसार परियोजना के निर्माण में खपत जल पर होने वाले व्यय की गणना CPWD द्वारा निर्धारित दर (परियोजना की लागत का 1%) के अनुसार परियोजना की लागत (UPPCB द्वारा उपलब्ध कराये गये रिकार्ड के अनुसार) के सापेक्ष प्रश्नगत 37 परियोजनाओं पर 1% धनराशि की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु दिनांक 09.07.2024 को नोटिस जारी कर दिये गये हैं। उक्त प्रकरण की Final Hearing दिनांक 15.07.2024 को नियत है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक अग्रिम कार्यवाही अपने स्तर से करना चाहें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

(ए०पी० वर्मा)

वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)

प्रतिलिपि :

1. जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्ध नगर, ग्रेटर नौएडा को सादर अवलोकनार्थ।
2. स्टाफ ऑफिसर को, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एल०/डी०) महोदय/महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
3. महाप्रबन्धक (अभियंत्रण-जल) महोदय को सादर सूचनार्थ।
4. हाईड्रोलॉजिस्ट, उ०प्र० भूगर्भ जल विभाग, ए०ई०-18, अंसल गोल्फ लिंक-2, निकट तिलपता गोल चक्कर ग्रेटर नौएडा को सूचनार्थ।
5. प्रभारी विधि अधिकारी को सूचनार्थ।
6. सम्बन्धित प्रबन्धक/सहायक प्रबन्धक-जल का आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. सम्बन्धित पत्रावली।

AEE(R)
For n.a.pl.
11/7/24

वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)

3667



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट न०-०१, सेक्टर-के०पी०-४, ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला-गौतमबुद्ध नगर (उ०प्र०)।
website: www.greaternoidaauthority.in email id: authority@gnida.in, sm.workcircle.jal@gnida.in

पत्रांक-जल/2024/707

दिनांक ०९ / ०७ / २०२४

अति-आवश्यक / समयबद्ध

सेवा में,

Mahagun Maantra-2
(Hebe Infrastructure Pvt. Ltd.)
GH-01/A, Sector-10,
Greater Noida (U.P.)

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-३९२/२०२२ प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक १५.११.२०२२ के अनुपालन के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- जल/२०२४/९१, दिनांक-०३.०२.२०२४, जल/२०२४/१४६, दिनांक-१२.०२.२०२४
जल/२०२४/२१६, दिनांक-०५.०३.२०२४, जल/२०२४/३४४, दिनांक-०१.०४.२०२४

उपरोक्त संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें अवगत कराया गया था कि कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्ध नगर के कार्यवृत्त पत्रांक-३५३/भू०ज०वि० खण्ड-गौतमबुद्धनगर/एनजीटी-ओ०ए०३९२/२०२२ दिनांक १६.०१.२०२४ द्वारा ग्रेटर नौएडा विकास प्राधिकरण के लिए निर्देश दिया गया था कि "परियोजनाओं के प्रतिनिधियों से परियोजनाओं द्वारा निर्माण कार्य हेतु प्रयुक्त जल का प्रकार एवं खपत की मात्रा एवं अवधि सम्बन्धित जानकारी एवं वांछित आख्या अभिलेख प्राप्त किया जाये, जिससे परियोजना द्वारा निर्माणाधीन चरण तक जल की कुल कितनी मात्रा की खपत की गयी है उसके आधार पर परियोजनाओं के विरुद्ध की Final Compensation की गणना की जा सके।" इस सम्बन्ध में आप द्वारा कोई सूचना कार्यालय में उपलब्ध नहीं करायी गई है।

उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित संयुक्त समिति की दिनांक २५.०६.२०२४ को हुई बैठक कार्यवृत्त (दिनांक ०४.०७.२०२४ को जारी) के अनुसार परियोजना के निर्माण में खपत जल पर होने वाले व्यय की गणना CPWD द्वारा निर्धारित दर (परियोजना की लागत का १%) के अनुसार परियोजना की लागत अर्थात् धनराशि रू० २०५.८३ करोड़ (UPPCB द्वारा उपलब्ध कराये गये रिकार्ड के अनुसार) के सापेक्ष १% धनराशि रू० २.०६ करोड़ पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाता है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में आपको अन्तिम अवसर देते हुये यह निर्देशित किया जाता है कि निर्माण के दौरान प्रयुक्त जल का प्रकार एवं खपत की मात्रा पर किये गये व्यय की धनराशि का आधार/साक्ष्य सहित १५ दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अन्यथा की स्थिति में यह माना जायेगा कि आप द्वारा निर्माण के दौरान केवल भूजल का ही प्रयोग किया गया है और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना प्रोजेक्ट कास्ट का १% अधिरोपित किया गया माना जायेगा, जो कि आपको मान्य होगा, तदोपरान्त इस पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को १५ दिनों के अन्दर NGT के खाते में ONLINE (<https://erp.eshiksa.net/DirectFessv3/UPPCB>) जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

(ए०पी० वर्मा)

वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)

प्रतिलिपि:

- जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्ध नगर को सूचनार्थ।
- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एल०) महोदय / (डी०) महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- महाप्रबन्धक (अभियन्त्रण-जल) महोदय को सादर सूचनार्थ।
- क्षेत्रीय अधिकारी (प्रभारी), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ए-१, प्रथम तल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बीटा-२, ग्रेटर नौएडा, को सूचनार्थ।
- हाईड्रोलॉजिस्ट, उ०प्र० भूगर्भ जल विभाग, ए०ई०-१८, अंसल गोल्फ लिंक-२, निकट तिलपता गॉल चक्कर ग्रेटर नौएडा को सूचनार्थ।
- प्रभारी (विधि) को सूचनार्थ।
- सम्बन्धित पत्रावली।

वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)



ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट न०-०१, सेक्टर-के०पी०-४, ग्रेटर नोएडा सिटी, जिला-गौतमबुद्ध नगर (उ०प्र०)।
website: www.greaternoidaauthority.in email id: authority@gnida.in, sm.workcircle.jal@gnida.in

पत्रांक-जल/2024/7-06

दिनांक ०१ / ०७ / 2024

अति-आवश्यक / समयबद्ध

सेवा में,

Mahagun Maantra-1
(M/s Dhanya Promoters Pvt. Ltd.)
GH-01/B, Sector-10,
Greater Noida (U.P.)

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- जल/2024/90, दिनांक-03.02.2024, जल/2024/145, दिनांक-12.02.2024
जल/2024/217, दिनांक-05.03.2024, जल/2024/343, दिनांक-01.04.2024

उपरोक्त संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें अवगत कराया गया था कि कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्ध नगर के कार्यवृत्त पत्रांक-353/भू०ज०वि० खण्ड-गौतमबुद्धनगर/एनजीटी-ओ०ए०३९२/2022 दिनांक 16.01.2024 द्वारा ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के लिए निर्देश दिया गया था कि "परियोजनाओं के प्रतिनिधियों से परियोजनाओं द्वारा निर्माण कार्य हेतु प्रयुक्त जल का प्रकार एवं खपत की मात्रा एवं अवधि सम्बन्धित जानकारी एवं वांछित आख्या अभिलेख प्राप्त किया जाये, जिससे परियोजना द्वारा निर्माणाधीन चरण तक जल की कुल कितनी मात्रा की खपत की गयी है उसके आधार पर परियोजनाओं के विरुद्ध की Final Compensation की गणना की जा सके।" इस सम्बन्ध में आप द्वारा कोई सूचना कार्यालय में उपलब्ध नहीं करायी गई है।

उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित संयुक्त समिति की दिनांक 25.06.2024 को हुई बैठक कार्यवृत्त (दिनांक 04.07.2024 को जारी) के अनुसार परियोजना के निर्माण में खपत जल पर होने वाले व्यय की गणना CPWD द्वारा निर्धारित दर (परियोजना की लागत का 1%) के अनुसार परियोजना की लागत अर्थात् धनराशि रू० 177.41 करोड़ (UPPCB द्वारा उपलब्ध कराये गये रिकार्ड के अनुसार) के सापेक्ष 1% धनराशि रू० 1.77 करोड़ पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाता है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में आपको अन्तिम अवसर देते हुये यह निर्देशित किया जाता है कि निर्माण के दौरान प्रयुक्त जल का प्रकार एवं खपत की मात्रा पर किये गये व्यय की धनराशि का आधार/साक्ष्य सहित 15 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अन्यथा की स्थिति में यह माना जायेगा कि आप द्वारा निर्माण के दौरान केवल भूजल का ही प्रयोग किया गया है और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना प्रोजेक्ट कास्ट का 1% अधिरोपित किया गया माना जायेगा, जो कि आपको मान्य होगा, तदोपरान्त इस पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को 15 दिनों के अन्दर NGT के खाते में ONLINE (<https://erp.eshiksa.net/DirectFessv3/UPPCB>) जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।
संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

(ए०पी० वर्मा)

वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)

प्रतिलिपि:

- जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्ध नगर को सूचनार्थ।
- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एल०) महोदय/ (डी०) महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- महाप्रबन्धक (अभियन्त्रण-जल) महोदय को सादर सूचनार्थ।
- क्षेत्रीय अधिकारी (प्रभारी), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ए-1, प्रथम तल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, को सूचनार्थ।
- हाईड्रोलॉजिस्ट, उ०प्र० भूगर्भ जल विभाग, ए०ई०-18, अंसल गोल्फ लिंक-2, निकट तिलपता गोल चक्कर ग्रेटर नोएडा को सूचनार्थ।
- प्रभारी (विधि) को सूचनार्थ।
- सम्बन्धित पत्रावली।

वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट न०-०१, सैक्टर-के०पी०-४, ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला-गौतमबुद्ध नगर (उ०प्र०)।
website: www.greaternoidaauthority.in email id: authority@gnida.in, sm.workcircle.jal@gnida.in

पत्रांक-जल/2024/708

दिनांक ०९/०७/ 2024

अति-आवश्यक / समयबद्ध

सेवा में,

La Residentia
(M/s La Residentia Developer Pvt. Ltd.),
Plot No-GH-06A, Sector-Techzone-04,
Greater Noida (U.P.)

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- जल/2024/88, दिनांक-03.02.2024, जल/2024/143, दिनांक-14.02.2024
जल/2024/207, दिनांक-05.03.2024, जल/2024/341, दिनांक-01.04.2024

उपरोक्त संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें अवगत कराया गया था कि कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्ध नगर के कार्यवृत्त पत्रांक-353/भू०ज०वि० खण्ड-गौतमबुद्धनगर/एनजीटी-ओ०ए०३९२/2022 दिनांक 16.01.2024 द्वारा ग्रेटर नौएडा विकास प्राधिकरण के लिए निर्देश दिया गया था कि "परियोजनाओं के प्रतिनिधियों से परियोजनाओं द्वारा निर्माण कार्य हेतु प्रयुक्त जल का प्रकार एवं खपत की मात्रा एवं अवधि सम्बन्धित जानकारी एवं वांछित आख्या अभिलेख प्राप्त किया जाये, जिससे परियोजना द्वारा निर्माणाधीन चरण तक जल की कुल कितनी मात्रा की खपत की गयी है उसके आधार पर परियोजनाओं के विरुद्ध की Final Compensation की गणना की जा सके।" इस सम्बन्ध में आप द्वारा कोई सूचना कार्यालय में उपलब्ध नहीं करायी गई है।

उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित संयुक्त समिति की दिनांक 25.06.2024 को हुई बैठक कार्यवृत्त (दिनांक 04.07.2024 को जारी) के अनुसार परियोजना के निर्माण में खपत जल पर होने वाले व्यय की गणना CPWD द्वारा निर्धारित दर (परियोजना की लागत का 1%) के अनुसार परियोजना की लागत अर्थात धनराशि रू० 1150.00 करोड़ (UPPCB द्वारा उपलब्ध कराये गये रिकार्ड के अनुसार) के सापेक्ष 1% धनराशि रू० 11.50 करोड़ पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाता है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में आपको अन्तिम अवसर देते हुये यह निर्देशित किया जाता है कि निर्माण के दौरान प्रयुक्त जल का प्रकार एवं खपत की मात्रा पर किये गये व्यय की धनराशि का आधार/साक्ष्य सहित 15 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अन्यथा की स्थिति में यह माना जायेगा कि आप द्वारा निर्माण के दौरान केवल भूजल का ही प्रयोग किया गया है और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना प्रोजेक्ट कास्ट का 1% अधिरोपित किया गया माना जायेगा, जो कि आपको मान्य होगा, तदोपरान्त इस पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को 15 दिनों के अन्दर NGT के खाते में ONLINE (<https://erp.eshiksa.net/DirectFessv3/UPPCB>) जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।
संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

(ए०पी० वर्मा)

वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)

प्रतिलिपि:

- जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्ध नगर को सूचनार्थ।
- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एल०) महोदय/ (डी०) महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- महाप्रबन्धक (अभियन्त्रण-जल) महोदय को सादर सूचनार्थ।
- क्षेत्रीय अधिकारी (प्रभारी), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ए-1, प्रथम तल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नौएडा, को सूचनार्थ।
- हाईड्रोलॉजिस्ट, उ०प्र० भूगर्भ जल विभाग, ए०ई०-18, अंसल गोल्फ लिंक-2, निकट तिलपता गोल चक्कर ग्रेटर नौएडा को सूचनार्थ।
- प्रभारी (विधि) को सूचनार्थ।
- सम्बन्धित पत्रावली।

वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)



3670 ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट न०-०१, सैक्टर-के०पी०-४, ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला-गौतमबुद्ध नगर (उ०प्र०)।
website: www.greaternoidaauthority.in email id: authority@gnida.in, sm.workcircle.jal@gnida.in

पत्रांक-जल/2024/704

दिनांक ०९/०७/२०२४

अति-आवश्यक/समयबद्ध

सेवा में,

Ajnara Le Garden
(Ajnara Realtech Limited),
Plot No-GH-02, Sector-16B,
Greater Noida West (U.P.)

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनिजन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- जल/2024/86, दिनांक-03.02.2024
जल/2024/141, दिनांक-12.02.2024
जल/2024/212, दिनांक-05.03.2024
जल/2024/340, दिनांक-01.04.2024

उपरोक्त संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें अवगत कराया गया था कि कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्ध नगर के कार्यवृत्त पत्रांक-353/भू०ज०वि० खण्ड-गौतमबुद्धनगर/एनजीटी-ओ०ए०३९२/२०२२ दिनांक 16.01.2024 द्वारा ग्रेटर नौएडा विकास प्राधिकरण के लिए निर्देश दिया गया था कि "परियोजनाओं के प्रतिनिधियों से परियोजनाओं द्वारा निर्माण कार्य हेतु प्रयुक्त जल का प्रकार एवं खपत की मात्रा एवं अवधि सम्बन्धित जानकारी एवं वांछित आख्या अभिलेख प्राप्त किया जाये, जिससे परियोजना द्वारा निर्माणाधीन चरण तक जल की कुल कितनी मात्रा की खपत की गयी है उसके आधार पर परियोजनाओं के विरुद्ध की Final Compensation की गणना की जा सके।" इस सम्बन्ध में आप द्वारा कोई सूचना कार्यालय में उपलब्ध नहीं करायी गई है।

उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित संयुक्त समिति की दिनांक 25.06.2024 को हुई बैठक कार्यवृत्त (दिनांक 04.07.2024 को जारी) के अनुसार परियोजना के निर्माण में खपत जल पर होने वाले व्यय की गणना CPWD द्वारा निर्धारित दर (परियोजना की लागत का 1%) के अनुसार परियोजना की लागत अर्थात धनराशि रू० 203.00 करोड़ (UPPCB द्वारा उपलब्ध कराये गये रिकार्ड के अनुसार) के सापेक्ष 1% धनराशि रू० 2.03 करोड़ पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाता है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में आपको अन्तिम अवसर देते हुये यह निर्देशित किया जाता है कि निर्माण के दौरान प्रयुक्त जल का प्रकार एवं खपत की मात्रा पर किये गये व्यय की धनराशि का आधार/साक्ष्य सहित 15 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अन्यथा की स्थिति में यह माना जायेगा कि आप द्वारा निर्माण के दौरान केवल भूजल का ही प्रयोग किया गया है और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना प्रोजेक्ट कास्ट का 1% अधिरोपित किया गया माना जायेगा, जो कि आपको मान्य होगा, तदोपरान्त इस पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को 15 दिनों के अन्दर NGT के खाते में ONLINE (<https://erp.eshiksa.net/DirectFessv3/UPPCB>) जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।
संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

(ए०पी० वर्मा)

वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)

प्रतिलिपि:

- जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्ध नगर को सूचनार्थ।
- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एल०) महोदय/ (डी०) महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- महाप्रबन्धक (अभियन्त्रण-जल) महोदय को सादर सूचनार्थ।
- क्षेत्रीय अधिकारी (प्रभारी), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ए-1, प्रथम तल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, वीटा-2, ग्रेटर नौएडा, को सूचनार्थ।
- हाईड्रोलॉजिस्ट, उ०प्र० भूगर्भ जल विभाग, ए०ई०-18, अंसल गोल्फ लिंक-2, निकट तिलपता गोल चक्कर ग्रेटर नौएडा को सूचनार्थ।
- प्रभारी (विधि) को सूचनार्थ।
- सम्बन्धित पत्रावली।

वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट न०-०१, सेक्टर-के०पी०-४, ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला-गौतमबुद्ध नगर (उ०प्र०)।
website: www.greaternoidaauthority.in email id: authority@gnida.in, sm.workcircle.jal@gnida.in

पत्रांक-जल/2024/702

दिनांक ०९/०७/2024

अति-आवश्यक/समयबद्ध

सेवा में,

Ajnara Homes
(APV Realty Ltd.),
Plot No-GH-03, Sector-16B,
Greater Noida West (U.P.)

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनिन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- जल/2024/85, दिनांक-03.02.2024
जल/2024/140, दिनांक-12.02.2024
जल/2024/211, दिनांक-05.03.2024
जल/2024/339, दिनांक-01.04.2024

उपरोक्त संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें अवगत कराया गया था कि कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्ध नगर के कार्यवृत्त पत्रांक-353/भू०ज०वि० खण्ड-गौतमबुद्धनगर/एनजीटी-ओ०ए०३९२/२०२२ दिनांक 16.01.2024 द्वारा ग्रेटर नौएडा विकास प्राधिकरण के लिए निर्देश दिया गया था कि "परियोजनाओं के प्रतिनिधियों से परियोजनाओं द्वारा निर्माण कार्य हेतु प्रयुक्त जल का प्रकार एवं खपत की मात्रा एवं अवधि सम्बन्धित जानकारी एवं वांछित आख्या अभिलेख प्राप्त किया जाये, जिससे परियोजना द्वारा निर्माणाधीन चरण तक जल की कुल कितनी मात्रा की खपत की गयी है उसके आधार पर परियोजनाओं के विरुद्ध की Final Compensation की गणना की जा सके।" इस सम्बन्ध में आप द्वारा कोई सूचना कार्यालय में उपलब्ध नहीं करायी गई है।

उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित संयुक्त समिति की दिनांक 25.06.2024 को हुई बैठक कार्यवृत्त (दिनांक 04.07.2024 को जारी) के अनुसार परियोजना के निर्माण में खपत जल पर होने वाले व्यय की गणना CPWD द्वारा निर्धारित दर (परियोजना की लागत का 1%) के अनुसार परियोजना की लागत अर्थात् धनराशि रू० 369.62 करोड़ (UPPCB द्वारा उपलब्ध कराये गये रिकार्ड के अनुसार) के सापेक्ष 1% धनराशि रू० 3.70 करोड़ पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाता है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में आपको अन्तिम अवसर देते हुये यह निर्देशित किया जाता है कि निर्माण के दौरान प्रयुक्त जल का प्रकार एवं खपत की मात्रा पर किये गये व्यय की धनराशि का आधार/साक्ष्य सहित 15 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अन्यथा की स्थिति में यह माना जायेगा कि आप द्वारा निर्माण के दौरान केवल भूजल का ही प्रयोग किया गया है और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना प्रोजेक्ट कार्ट का 1% अधिरोपित किया गया माना जायेगा, जो कि आपको मान्य होगा, तदोपरान्त इस पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को 15 दिनों के अन्दर NGT के खाते में ONLINE (<https://erp.eshiksa.net/DirectFessv3/UPPCB>) जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

(ए०पी० वर्मा)

वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)

प्रतिलिपि:

- जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्ध नगर को सूचनार्थ।
- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एल०) महोदय/ (डी०) महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- महाप्रबन्धक (अभियन्त्रण-जल) महोदय को सादर सूचनार्थ।
- क्षेत्रीय अधिकारी (प्रभारी), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ए-1, प्रथम तल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, वीटा-2, ग्रेटर नौएडा, को सूचनार्थ।
- हाईड्रोलॉजिस्ट, उ०प्र० भूगर्भ जल विभाग, ए०ई०-18, अंसल गोल्फ लिंक-2, निकट तिलपता गोल चक्कर ग्रेटर नौएडा को सूचनार्थ।
- प्रभारी (विधि) को सूचनार्थ।
- सम्बन्धित पत्रावली।

वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)



3672 ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट न०-०१, सैक्टर-के०पी०-४, ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला-गौतमबुद्ध नगर (उ०प्र०)।
website: www.greaternoidaauthority.in email id: authority@gnida.in, sm.workcircle.jal@gnida.in

पत्रांक-जल/2024/713

दिनांक ०९/०७/2024

अति-आवश्यक / समयबद्ध

सेवा में,

Ace City
(Ideal Real Tech Pvt. Ltd.)
GH-01, Sector-01, Greater Noida.

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- जल/2024/83, दिनांक-03.02.2024
जल/2024/138, दिनांक-12.02.2024
जल/2024/208, दिनांक-05.03.2024
जल/2024/349, दिनांक-01.04.2024

उपरोक्त संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें अवगत कराया गया था कि कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्ध नगर के कार्यवृत्त पत्रांक-353/भू०ज०वि० खण्ड-गौतमबुद्धनगर/एनजीटी-ओ०ए०३९२/2022 दिनांक 16.01.2024 द्वारा ग्रेटर नौएडा विकास प्राधिकरण के लिए निर्देश दिया गया था कि "परियोजनाओं के प्रतिनिधियों से परियोजनाओं द्वारा निर्माण कार्य हेतु प्रयुक्त जल का प्रकार एवं खपत की मात्रा एवं अवधि सम्बन्धित जानकारी एवं वांछित आख्या अभिलेख प्राप्त किया जाये, जिससे परियोजना द्वारा निर्माणाधीन चरण तक जल की कुल कितनी मात्रा की खपत की गयी है उसके आधार पर परियोजनाओं के विरुद्ध की Final Compensation की गणना की जा सके।" इस सम्बन्ध में आप द्वारा कोई सूचना कार्यालय में उपलब्ध नहीं करायी गई है।

उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित संयुक्त समिति की दिनांक 25.06.2024 को हुई बैठक कार्यवृत्त (दिनांक 04.07.2024 को जारी) के अनुसार परियोजना के निर्माण में खपत जल पर होने वाले व्यय की गणना CPWD द्वारा निर्धारित दर (परियोजना की लागत का 1%) के अनुसार परियोजना की लागत अर्थात् धनराशि रू० 783.00 करोड़ (UPPCB द्वारा उपलब्ध कराये गये रिकार्ड के अनुसार) के सापेक्ष 1% धनराशि रू० 7.83 करोड़ पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाता है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में आपको अन्तिम अवसर देते हुये यह निर्देशित किया जाता है कि निर्माण के दौरान प्रयुक्त जल का प्रकार एवं खपत की मात्रा पर किये गये व्यय की धनराशि का आधार/साक्ष्य सहित 15 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अन्यथा की स्थिति में यह माना जायेगा कि आप द्वारा निर्माण के दौरान केवल भूजल का ही प्रयोग किया गया है और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना प्रोजेक्ट कास्ट का 1% अधिरोपित किया गया माना जायेगा, जो कि आपको मान्य होगा, तदोपरान्त इस पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को 15 दिनों के अन्दर NGT के खाते में ONLINE (<https://erp.eshiksa.net/DirectFessv3/UPPCB>) जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।
संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

(ए०पी० वर्मा)

वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)

प्रतिलिपि:

- जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्ध नगर को सूचनार्थ।
- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एल०) महोदय/ (डी०) महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- महाप्रबन्धक (अभियन्त्रण-जल) महोदय को सादर सूचनार्थ।
- क्षेत्रीय अधिकारी (प्रभारी), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ए-1, प्रथम तल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नौएडा, को सूचनार्थ।
- हाईड्रोलॉजिस्ट, उ०प्र० भूगर्भ जल विभाग, ए०ई०-18, अंसल गोल्फ लिंक-2, निकट तिलपता गोल चक्कर ग्रेटर नौएडा को सूचनार्थ।
- प्रभारी (विधि) को सूचनार्थ।
- सम्बन्धित पत्रावली।

वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट नं०-०१, सैक्टर-के०पी०-४, ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला-गौतमबुद्ध नगर (उ०प्र०)।
website: www.greaternoidaauthority.in email id: authority@gnida.in, sm.workcircle.jal@gnida.in

पत्रांक-जल/2024/701

दिनांक ०९/०७/२०२४

अति-आवश्यक/समयबद्ध

सेवा में,

Galaxy Vega
(M/s Panchtava Promotors Pvt. Ltd.)
Plot No-GH-08C, Sector-Techzone-4,
Greater Noida West

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-३९२/२०२२ प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक १५.११.२०२२ के अनुपालन के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- जल/२०२४/५१, दिनांक-२०.०१.२०२४
जल/२०२४/१११, दिनांक-०५.०२.२०२४
जल/२०२४/१९६, दिनांक-०५.०३.२०२४
जल/२०२४/३३६, दिनांक-०१.०४.२०२४

उपरोक्त संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें अवगत कराया गया था कि कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्ध नगर के कार्यवृत्त पत्रांक-३५३/भू०ज०वि० खण्ड-गौतमबुद्धनगर/एनजीटी-ओ०ए०३९२/२०२२ दिनांक १६.०१.२०२४ द्वारा ग्रेटर नौएडा विकास प्राधिकरण के लिए निर्देश दिया गया था कि "परियोजनाओं के प्रतिनिधियों से परियोजनाओं द्वारा निर्माण कार्य हेतु प्रयुक्त जल का प्रकार एवं खपत की मात्रा एवं अवधि सम्बन्धित जानकारी एवं वांछित आख्या अभिलेख प्राप्त किया जाये, जिससे परियोजना द्वारा निर्माणाधीन चरण तक जल की कुल कितनी मात्रा की खपत की गयी है उसके आधार पर परियोजनाओं के विरुद्ध की Final Compensation की गणना की जा सके।" इस सम्बन्ध में आप द्वारा कोई सूचना कार्यालय में उपलब्ध नहीं करायी गई है।

उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित संयुक्त समिति की दिनांक २५.०६.२०२४ को हुई बैठक कार्यवृत्त (दिनांक ०४.०७.२०२४ को जारी) के अनुसार परियोजना के निर्माण में खपत जल पर होने वाले व्यय की गणना CPWD द्वारा निर्धारित दर (परियोजना की लागत का १%) के अनुसार परियोजना की लागत अर्थात् धनराशि रू० ६३.३० करोड़ (UPPCB द्वारा उपलब्ध कराये गये रिकार्ड के अनुसार) के सापेक्ष १% धनराशि रू० ०.६३ करोड़ पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाता है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में आपको अन्तिम अवसर देते हुये यह निर्देशित किया जाता है कि निर्माण के दौरान प्रयुक्त जल का प्रकार एवं खपत की मात्रा पर किये गये व्यय की धनराशि का आधार/साक्ष्य सहित १५ दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अन्यथा की स्थिति में यह माना जायेगा कि आप द्वारा निर्माण के दौरान केवल भूजल का ही प्रयोग किया गया है और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना प्रोजेक्ट कास्ट का १% अधिरोपित किया गया माना जायेगा, जो कि आपको मान्य होगा, तदोपरान्त इस पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को १५ दिनों के अन्दर NGT के खाते में ONLINE (<https://erp.eshiksa.net/DirectFessv3/UPPCB>) जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

(ए०पी० वर्मा)

वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)

प्रतिलिपि:

- जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्ध नगर को सूचनार्थ।
- रटाफ ऑफिसर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एल०) महोदय/ (डी०) महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- महाप्रबन्धक (अभियन्त्रण-जल) महोदय को सादर सूचनार्थ।
- क्षेत्रीय अधिकारी (प्रभारी), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ए-१, प्रथम तल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बीटा-२, ग्रेटर नौएडा, को सूचनार्थ।
- हाईड्रोलॉजिस्ट, उ०प्र० भूगर्भ जल विभाग, ए०ई०-१८, अंसल गोल्फ लिंक-२, निकट तिलपता गोल चक्कर ग्रेटर नौएडा को सूचनार्थ।
- प्रभारी (विधि) को सूचनार्थ।
- सम्बन्धित पत्रावली।

वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट न०-०१, सेक्टर-के०पी०-४, ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला-गौतमबुद्ध नगर (उ०प्र०)।
website: www.greaternoidaauthority.in email id: authority@gnida.in, sm.workcircle.jai@gnida.in

पत्रांक-जल/2024/712

दिनांक ०९/०७/ 2024

अति-आवश्यक/समयबद्ध

सेवा में,

Galaxy Diamond Plaza
(M/s Asteroid Shelters Homes Pvt. Ltd.)
Plot No-C-01A, Sector-4, Greater Noida

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- जल/2024/49, दिनांक-20.01.2024
जल/2024/109, दिनांक-05.02.2024
जल/2024/199, दिनांक-05.03.2024
जल/2024/334, दिनांक-01.04.2024

उपरोक्त संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें अवगत कराया गया था कि कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्ध नगर के कार्यवृत्त पत्रांक-353/भू०ज०वि० खण्ड-गौतमबुद्धनगर/एनजीटी-ओ०ए०३९२/2022 दिनांक 16.01.2024 द्वारा ग्रेटर नौएडा विकास प्राधिकरण के लिए निर्देश दिया गया था कि "परियोजनाओं के प्रतिनिधियों से परियोजनाओं द्वारा निर्माण कार्य हेतु प्रयुक्त जल का प्रकार एवं खपत की मात्रा एवं अवधि सम्बन्धित जानकारी एवं वांछित आख्या अभिलेख प्राप्त किया जाये, जिससे परियोजना द्वारा निर्माणाधीन चरण तक जल की कुल कितनी मात्रा की खपत की गयी है उसके आधार पर परियोजनाओं के विरुद्ध की Final Compensation की गणना की जा सके।" इस सम्बन्ध में आप द्वारा कोई सूचना कार्यालय में उपलब्ध नहीं करायी गई है।

उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित संयुक्त समिति की दिनांक 25.06.2024 को हुई बैठक कार्यवृत्त (दिनांक 04.07.2024 को जारी) के अनुसार परियोजना के निर्माण में खपत जल पर होने वाले व्यय की गणना CPWD द्वारा निर्धारित दर (परियोजना की लागत का 1%) के अनुसार परियोजना की लागत अर्थात धनराशि रू० 277.66 करोड़ (UPPCB द्वारा उपलब्ध कराये गये रिकार्ड के अनुसार) के सापेक्ष 1% धनराशि रू० 2.78 करोड़ पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाता है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में आपको अन्तिम अवसर देते हुये यह निर्देशित किया जाता है कि निर्माण के दौरान प्रयुक्त जल का प्रकार एवं खपत की मात्रा पर किये गये व्यय की धनराशि का आधार/साक्ष्य सहित 15 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अन्यथा की स्थिति में यह माना जायेगा कि आप द्वारा निर्माण के दौरान केवल भूजल का ही प्रयोग किया गया है और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना प्रोजेक्ट कास्ट का 1% अधिरोपित किया गया माना जायेगा, जो कि आपको मान्य होगा, तदोपरान्त इस पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को 15 दिनों के अन्दर NGT के खाते में ONLINE (<https://erp.eshiksa.net/DirectFessv3/UPPCB>) जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

(ए०पी० वर्मा)

वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)

प्रतिलिपि:

- जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्ध नगर को सूचनार्थ।
- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एल०) महोदय/ (डी०) महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- महाप्रबन्धक (अभियन्त्रण-जल) महोदय को सादर सूचनार्थ।
- क्षेत्रीय अधिकारी (प्रभारी), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ए-1, प्रथम तल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नौएडा, को सूचनार्थ।
- हाईड्रोलॉजिस्ट, उ०प्र० भूगर्भ जल विभाग, ए०ई०-18, अंसल गोल्फ लिंक-2, निकट तिलपता गोल चक्कर ग्रेटर नौएडा को सूचनार्थ।
- प्रभारी (विधि) को सूचनार्थ।
- सम्बन्धित पत्रावली।

वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट न०-०१, सेक्टर-के०पी०-४, ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला-गौतमबुद्ध नगर (उ०प्र०)।
website: www.greaternoidaauthority.in email id: authority@gnida.in, sm.workcircle.jal@gnida.in

पत्रांक-जल/2024/710

दिनांक ०९/०७/२०२४

अति-आवश्यक/समयबद्ध

सेवा में,

M/s Galaxy Blue Sapphire
(GLD Infra Projects Pvt. Ltd.)
Plot No-C-03, Sector-4, Greater Noida

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-३९२/२०२२ प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक १५.११.२०२२ के अनुपालन के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- जल/२०२४/४८, दिनांक-२०.०१.२०२४
जल/२०२४/१०८, दिनांक-०५.०२.२०२४
जल/२०२४/१९८, दिनांक-०५.०३.२०२४
जल/२०२४/३३३, दिनांक-०१.०४.२०२४

उपरोक्त संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें अवगत कराया गया था कि कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्ध नगर के कार्यवृत्त पत्रांक-३५३/भू०ज०वि० खण्ड-गौतमबुद्धनगर/एनजीटी-ओ०ए०३९२/२०२२ दिनांक १६.०१.२०२४ द्वारा ग्रेटर नौएडा विकास प्राधिकरण के लिए निर्देश दिया गया था कि "परियोजनाओं के प्रतिनिधियों से परियोजनाओं द्वारा निर्माण कार्य हेतु प्रयुक्त जल का प्रकार एवं खपत की मात्रा एवं अवधि सम्बन्धित जानकारी एवं वांछित आख्या अभिलेख प्राप्त किया जाये, जिससे परियोजना द्वारा निर्माणाधीन चरण तक जल की कुल कितनी मात्रा की खपत की गयी है उसके आधार पर परियोजनाओं के विरुद्ध की Final Compensation की गणना की जा सके।" इस सम्बन्ध में आप द्वारा कोई सूचना कार्यालय में उपलब्ध नहीं करायी गई है।

उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित संयुक्त समिति की दिनांक २५.०६.२०२४ को हुई बैठक कार्यवृत्त (दिनांक ०४.०७.२०२४ को जारी) के अनुसार परियोजना के निर्माण में खपत जल पर होने वाले व्यय की गणना CPWD द्वारा निर्धारित दर (परियोजना की लागत का १%) के अनुसार परियोजना की लागत अर्थात धनराशि ₹० ७२६.५० करोड़ (UPPCB द्वारा उपलब्ध कराये गये रिकार्ड के अनुसार) के सापेक्ष १% धनराशि ₹० ७.२६ करोड़ पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाता है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में आपको अन्तिम अवसर देते हुये यह निर्देशित किया जाता है कि निर्माण के दौरान प्रयुक्त जल का प्रकार एवं खपत की मात्रा पर किये गये व्यय की धनराशि का आधार/साक्ष्य सहित १५ दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अन्यथा की स्थिति में यह माना जायेगा कि आप द्वारा निर्माण के दौरान केवल भूजल का ही प्रयोग किया गया है और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना प्रोजेक्ट कारस्ट का १% अधिरोपित किया गया माना जायेगा, जो कि आपको मान्य होगा, तदोपरान्त इस पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को १५ दिनों के अन्दर NGT के खाते में ONLINE (<https://erp.eshiksa.net/DirectFessv3/UPPCB>) जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।
संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

(ए०पी० वर्मा)

वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)

प्रतिलिपि:

- जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्ध नगर को सूचनार्थ।
- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एल०) महोदय/ (डी०) महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- महाप्रबन्धक (अभियन्त्रण-जल) महोदय को सादर सूचनार्थ।
- क्षेत्रीय अधिकारी (प्रभारी), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ए-१, प्रथम तल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, वीटा-२, ग्रेटर नौएडा, को सूचनार्थ।
- हाईड्रोलॉजिस्ट, उ०प्र० भूगर्भ जल विभाग, ए०ई०-१८, अंसल गोल्फ लिंक-२, निकट तिलपता गोल चक्कर ग्रेटर नौएडा को सूचनार्थ।
- प्रभारी (विधि) को सूचनार्थ।
- सम्बन्धित पत्रावली।

वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट न०-०१, सेक्टर-के०पी०-४, ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला-गौतमबुद्ध नगर (उ०प्र०)।
website: www.greaternoidaauthority.in email id: authority@gnida.in, sm.workcircle.jal@gnida.in

पत्रांक-जल/2024/699

दिनांक ०९ ०७ / 2024

अति-आवश्यक / समयबद्ध

सेवा में,

Ecovillage-III
(M/s Supertech Limited)
Plot No-GH-06, Sector-16B, Greater Noida
(Phase-1, 10 Tower Only)

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-392/2022 प्रसून पन्त व अन्य वनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- जल/2024/47, दिनांक-20.01.2024
जल/2024/107, दिनांक-05.02.2024
जल/2024/200, दिनांक-05.03.2024
जल/2024/332, दिनांक-01.04.2024

उपरोक्त संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें अवगत कराया गया था कि कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्ध नगर के कार्यवृत्त पत्रांक-353/भू०ज०वि० खण्ड-गौतमबुद्धनगर/एनजीटी-ओ०ए०३९२/2022 दिनांक 16.01.2024 द्वारा ग्रेटर नौएडा विकास प्राधिकरण के लिए निर्देश दिया गया था कि "परियोजनाओं के प्रतिनिधियों से परियोजनाओं द्वारा निर्माण कार्य हेतु प्रयुक्त जल का प्रकार एवं खपत की मात्रा एवं अवधि सम्बन्धित जानकारी एवं वांछित आख्या अभिलेख प्राप्त किया जाये, जिससे परियोजना द्वारा निर्माणाधीन चरण तक जल की कुल कितनी मात्रा की खपत की गयी है उसके आधार पर परियोजनाओं के विरुद्ध की Final Compensation की गणना की जा सके।" इस सम्बन्ध में आप द्वारा कोई सूचना कार्यालय में उपलब्ध नहीं करायी गई है।

उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित संयुक्त समिति की दिनांक 25.06.2024 को हुई बैठक कार्यवृत्त (दिनांक 04.07.2024 को जारी) के अनुसार परियोजना के निर्माण में खपत जल पर होने वाले व्यय की गणना CPWD द्वारा निर्धारित दर (परियोजना की लागत का 1%) के अनुसार परियोजना की लागत अर्थात् धनराशि रू० 479.50 करोड़ (UPPCB द्वारा उपलब्ध कराये गये रिकार्ड के अनुसार) के सापेक्ष 1% धनराशि रू० 4.79 करोड़ पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाता है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में आपको अन्तिम अवसर देते हुये यह निर्देशित किया जाता है कि निर्माण के दौरान प्रयुक्त जल का प्रकार एवं खपत की मात्रा पर किये गये व्यय की धनराशि का आधार/साक्ष्य सहित 15 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अन्यथा की स्थिति में यह माना जायेगा कि आप द्वारा निर्माण के दौरान केवल भूजल का ही प्रयोग किया गया है और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना प्रोजेक्ट कारस्ट का 1% अधिरोपित किया गया माना जायेगा, जो कि आपको मान्य होगा, तदोपरान्त इस पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को 15 दिनों के अन्दर NGT के खाते में ONLINE (<https://erp.eshiksa.net/DirectFessv3/UPPCB>) जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।
संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

(ए०पी० वर्मा)

वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)

प्रतिलिपि:

- जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्ध नगर को सूचनार्थ।
- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एल०) महोदय/ (डी०) महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- महाप्रबन्धक (अभियन्त्रण-जल) महोदय को सादर सूचनार्थ।
- क्षेत्रीय अधिकारी (प्रभारी), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ए-1, प्रथम तल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, वीटा-2, ग्रेटर नौएडा, को सूचनार्थ।
- हाईड्रोलॉजिस्ट, उ०प्र० भूगर्भ जल विभाग, ए०ई०-18, अंसल गोल्फ लिंक-2, निकट तिलपता गोल चक्कर ग्रेटर नौएडा को सूचनार्थ।
- प्रभारी (विधि) को सूचनार्थ।
- सम्बन्धित पत्रावली।

वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट न०-०१, सेक्टर-के०पी०-४, ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला-गौतमबुद्ध नगर (उ०प्र०)।
website: www.greaternoidaauthority.in email id: authority@gnida.in, sm.workcircle.jai@gnida.in

पत्रांक-जल/2024/698

दिनांक ०९/०७/२०२४

अति-आवश्यक / समयबद्ध

सेवा में,

M/s Bulland Elevates, (Bulland Buildtech Pvt. Ltd.)
Plot No-GH-3A, Sector-16C, Greater Noida.

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-३९२/२०२२ प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक १५.११.२०२२ के अनुपालन के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- जल/२०२४/४४, दिनांक-२०.०१.२०२४
जल/२०२४/१०४, दिनांक-०५.०२.२०२४
जल/२०२४/२०२, दिनांक-०५.०३.२०२४
जल/२०२४/३३१, दिनांक-०१.०४.२०२४

उपरोक्त संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें अवगत कराया गया था कि कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्ध नगर के कार्यवृत्त पत्रांक-३५३/भू०ज०वि० खण्ड-गौतमबुद्धनगर/एनजीटी-ओ०ए०३९२/२०२२ दिनांक १६.०१.२०२४ द्वारा ग्रेटर नौएडा विकास प्राधिकरण के लिए निर्देश दिया गया था कि "परियोजनाओं के प्रतिनिधियों से परियोजनाओं द्वारा निर्माण कार्य हेतु प्रयुक्त जल का प्रकार एवं खपत की मात्रा एवं अवधि सम्बन्धित जानकारी एवं वांछित आख्या अभिलेख प्राप्त किया जाये, जिससे परियोजना द्वारा निर्माणाधीन चरण तक जल की कुल कितनी मात्रा की खपत की गयी है उसके आधार पर परियोजनाओं के विरुद्ध की Final Compensation की गणना की जा सके।" इस सम्बन्ध में आप द्वारा कोई सूचना कार्यालय में उपलब्ध नहीं करायी गई है।

उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित संयुक्त समिति की दिनांक २५.०६.२०२४ को हुई बैठक कार्यवृत्त (दिनांक ०४.०७.२०२४ को जारी) के अनुसार परियोजना के निर्माण में खपत जल पर होने वाले व्यय की गणना CPWD द्वारा निर्धारित दर (परियोजना की लागत का १%) के अनुसार परियोजना की लागत अर्थात धनराशि रू० २८४.५५ करोड़ (UPPCB द्वारा उपलब्ध कराये गये रिकार्ड के अनुसार) के सापेक्ष १% धनराशि रू० २.८५ करोड़ पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाता है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में आपको अन्तिम अवसर देते हुये यह निर्देशित किया जाता है कि निर्माण के दौरान प्रयुक्त जल का प्रकार एवं खपत की मात्रा पर किये गये व्यय की धनराशि का आधार/साक्ष्य सहित १५ दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अन्यथा की स्थिति में यह माना जायेगा कि आप द्वारा निर्माण के दौरान केवल भूजल का ही प्रयोग किया गया है और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना प्रोजेक्ट कास्ट का १% अधिरोपित किया गया माना जायेगा, जो कि आपको मान्य होगा, तदोपरान्त इस पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को १५ दिनों के अन्दर NGT के खाते में ONLINE (<https://erp.eshiksa.net/DirectFessv3/UPPCB>) जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

(ए०पी० वमा)

वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)

प्रतिलिपि:

- जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्ध नगर को सूचनार्थ।
- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एल०) महोदय / (डी०) महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- महाप्रबन्धक (अभियन्त्रण-जल) महोदय को सादर सूचनार्थ।
- क्षेत्रीय अधिकारी (प्रभारी), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ए-१, प्रथम तल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बीटा-२, ग्रेटर नौएडा, को सूचनार्थ।
- हाईड्रोलॉजिस्ट, उ०प्र० भूगर्भ जल विभाग, ए०ई०-१८, अंसल गोल्फ लिंक-२, निकट तिलपता गोल चक्कर ग्रेटर नौएडा को सूचनार्थ।
- प्रभारी (विधि) को सूचनार्थ।
- सम्बन्धित पत्रावली।

वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)



3678 ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट न०-०१, सेक्टर-के०पी०-४, ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला-गौतमबुद्ध नगर (उ०प्र०)।
website: www.greaternoidaauthority.in email id: authority@gnida.in, sm.workcircle.jal@gnida.in

पत्रांक-जल/2024/709

दिनांक ०९/०७/2024

अति-आवश्यक/समयबद्ध

सेवा में,

M/s Aastha Green (Aastha Infracity Limited)
Plot No.-03, GH-04, Sector-04, Greater Noida.

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- जल/2024/39, दिनांक-20.01.2024, जल/2024/99, दिनांक-05.02.2024
जल/2024/205, दिनांक-05.03.2024, जल/2024/329, दिनांक-01.04.2024

उपरोक्त संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें अवगत कराया गया था कि कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्ध नगर के कार्यवृत्त पत्रांक-353/भू०ज०वि० खण्ड-गौतमबुद्धनगर/एनजीटी-ओ०ए०३९२/2022 दिनांक 16.01.2024 द्वारा ग्रेटर नौएडा विकास प्राधिकरण के लिए निर्देश दिया गया था कि "परियोजनाओं के प्रतिनिधियों से परियोजनाओं द्वारा निर्माण कार्य हेतु प्रयुक्त जल का प्रकार एवं खपत की मात्रा एवं अवधि सम्बन्धित जानकारी एवं वांछित आख्या अभिलेख प्राप्त किया जाये, जिससे परियोजना द्वारा निर्माणाधीन चरण तक जल की कुल कितनी मात्रा की खपत की गयी है उसके आधार पर परियोजनाओं के विरुद्ध की Final Compensation की गणना की जा सके।" इस सम्बन्ध में आप द्वारा कोई सूचना कार्यालय में उपलब्ध नहीं करायी गई है।

उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित संयुक्त समिति की दिनांक 25.06.2024 को हुई बैठक कार्यवृत्त (दिनांक 04.07.2024 को जारी) के अनुसार परियोजना के निर्माण में खपत जल पर होने वाले व्यय की गणना CPWD द्वारा निर्धारित दर (परियोजना की लागत का 1%) के अनुसार परियोजना की लागत अर्थात् धनराशि ₹० 324.27 करोड़ (UPPCB द्वारा उपलब्ध कराये गये रिकार्ड के अनुसार) के सापेक्ष 1% धनराशि ₹० 3.24 करोड़ पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाता है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में आपको अन्तिम अवसर देते हुये यह निर्देशित किया जाता है कि निर्माण के दौरान प्रयुक्त जल का प्रकार एवं खपत की मात्रा पर किये गये व्यय की धनराशि का आधार/साक्ष्य सहित 15 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अन्यथा की स्थिति में यह माना जायेगा कि आप द्वारा निर्माण के दौरान केवल भूजल का ही प्रयोग किया गया है और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना प्रोजेक्ट कास्ट का 1% अधिरोपित किया गया माना जायेगा, जो कि आपको मान्य होगा, तदोपरान्त इस पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को 15 दिनों के अन्दर NGT के खाते में ONLINE (<https://erp.eshiksa.net/DirectFessv3/UPPCB>) जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।
संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

(ए०पी० वर्मा)

वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)

प्रतिलिपि:

- जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्ध नगर को सूचनार्थ।
- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एल०) महोदय/ (डी०) महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- महाप्रबन्धक (अभियन्त्रण-जल) महोदय को सादर सूचनार्थ।
- क्षेत्रीय अधिकारी (प्रभारी), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ए-1, प्रथम तल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नौएडा, को सूचनार्थ।
- हाईड्रोलॉजिस्ट, उ०प्र० भूगर्भ जल विभाग, ए०ई०-18, अंसल गोल्फ लिंक-2, निकट तिलपता गोल चक्कर ग्रेटर नौएडा को सूचनार्थ।
- प्रभारी (विधि) को सूचनार्थ।
- सम्बन्धित पत्रावली।

वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट नं०-०१, सेक्टर-के०पी०-४, ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला-गौतमबुद्ध नगर (उ०प्र०)।
website: www.greaternoidaauthority.in email id: authorityv@gnida.in, sm.workcircle.jal@gnida.in

पत्रांक-जल/2024/136

दिनांक ०१/०७/२०२४

अति-आवश्यक/समयबद्ध

सेवा में,

M/s Ace Divino (Stardity Real Estate Pvt. Ltd.),
Plot No-GH14, Sector-01, Greater Noida

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-३९२/२०२२ प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक १५.११.२०२२ के अनुपालन के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- जल/२०२४/४०, दिनांक-२०.०१.२०२४, जल/२०२४/१००, दिनांक-०५.०२.२०२४

उपरोक्त संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें अवगत कराया गया था कि कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्ध नगर के कार्यवृत्त पत्रांक-३५३/भू०ज०वि० खण्ड-गौतमबुद्धनगर/एनजीटी-ओ०ए०३९२/२०२२ दिनांक १६.०१.२०२४ द्वारा ग्रेटर नौएडा विकास प्राधिकरण के लिए निर्देश दिया गया था कि "परियोजनाओं के प्रतिनिधियों से परियोजनाओं द्वारा निर्माण कार्य हेतु प्रयोजित जल का प्रकार एवं खपत की मात्रा एवं अवधि सम्बन्धित जानकारी एवं वांछित आख्या अभिलेख प्राप्त किया जाये, जिससे परियोजना द्वारा निर्माणाधीन चरण तक जल की कुल कितनी मात्रा की खपत की गयी है उसके आधार पर परियोजनाओं के विरुद्ध की Final Compensation की गणना की जा सके।"

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आप द्वारा दिनांक ०६.०२.२०२४ को पत्र के माध्यम से सूचना उपलब्ध करायी गई है। पत्र के साथ जो साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं (उसमें जो सीवरेज जल का प्रयोग किया गया है।) वह ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के STP जल से सम्बन्धित नहीं है। अतः मान्य नहीं है।

उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित संयुक्त समिति की दिनांक २५.०६.२०२४ को हुई बैठक कार्यवृत्त (दिनांक ०४.०७.२०२४ को जारी) के अनुसार परियोजना के निर्माण में खपत जल पर होने वाले व्यय की गणना CPWD द्वारा निर्धारित दर (परियोजना की लागत का १%) के अनुसार परियोजना की लागत अर्थात् धनराशि रू० ६६१.०० करोड़ (UPPCB द्वारा उपलब्ध कराये गये रिकार्ड के अनुसार) के सापेक्ष १% धनराशि रू० ६.६१ करोड़ पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाता है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में आपको अन्तिम अवसर देते हुये यह निर्देशित किया जाता है कि निर्माण के दौरान प्रयुक्त जल का प्रकार एवं खपत की मात्रा पर किये गये व्यय की धनराशि का आधार/साक्ष्य सहित १५ दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अन्यथा की स्थिति में यह माना जायेगा कि आप द्वारा निर्माण के दौरान केवल भूजल का ही प्रयोग किया गया है और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना प्रोजेक्ट कास्ट का १% अधिरोपित किया गया माना जायेगा, जो कि आपको मान्य होगा, तदोपरान्त इस पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को १५ दिनों के अन्दर NGT के खाते में ONLINE (<https://erp.eshiksa.net/DirectFessv3/UPPCB>) जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

(ए०पी० वर्मा)

वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)

प्रतिलिपि:

- जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्ध नगर को सूचनार्थ।
- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एल०) महोदय/ (डी०) महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- महाप्रबन्धक (अभियन्त्रण-जल) महोदय को सादर सूचनार्थ।
- क्षेत्रीय अधिकारी (प्रभारी), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ए-१, प्रथम तल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बीटा-२, ग्रेटर नौएडा, को सूचनार्थ।
- हाईड्रोलॉजिस्ट, उ०प्र० भूगर्भ जल विभाग, ए०ई०-१८, अंसल गोल्फ लिंक-२, निकट तिलपता गोल चक्कर ग्रेटर नौएडा को सूचनार्थ।
- प्रभारी (विधि) को सूचनार्थ।
- सम्बन्धित पत्रावली।

वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट न०-०१, सैक्टर-के०पी०-४, ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला-गौतमबुद्ध नगर (उ०प्र०)।
website: www.greaternoidaauthority.in email id: authority@gnida.in, sm.workcircle.jal@gnida.in

पत्रांक-जल/2024/335

दिनांक ०१ / ०७ / २०२४

अति-आवश्यक / समयबद्ध

सेवा में,

M/s Apex Golf Avenue (Flora Realcon Pvt. Ltd.)
GH-03/SC-1, Adjoining Techzone, Greater Noida west
(Tower-A, B, C, D, E & 6 Villas)

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- जल/2024/41, दिनांक-20.01.2024
जल/2024/101, दिनांक-05.02.2024
जल/2024/204, दिनांक-05.03.2024

उपरोक्त संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें अवगत कराया गया था कि कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्ध नगर के कार्यवृत्त पत्रांक-353/भू०ज०वि० खण्ड-गौतमबुद्धनगर/एनजीटी-ओ०ए०३९२/२०२२ दिनांक 16.01.2024 द्वारा ग्रेटर नौएडा विकास प्राधिकरण के लिए निर्देश दिया गया है कि "परियोजनाओं के प्रतिनिधियों से परियोजनाओं द्वारा निर्माण कार्य हेतु प्रयोजित जल का प्रकार एवं खपत की मात्रा एवं अवधि सम्बन्धित जानकारी एवं वांछित आख्या अभिलेख प्राप्त किया जाये, जिससे परियोजना द्वारा निर्माणाधीन चरण तक जल की कुल कितनी मात्रा की खपत की गयी है उसके आधार पर परियोजनाओं के विरुद्ध की Final Compensation की गणना की जा सके।"

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आप द्वारा दिनांक 20.03.2024 को पत्र के माध्यम से सूचना उपलब्ध करायी गई है। पत्र के साथ जो साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं (उसमें जो सीवरेज जल का प्रयोग किया गया है।) वह ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के STP जल से सम्बन्धित नहीं है। अतः मान्य नहीं है।

उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित संयुक्त समिति की दिनांक 25.06.2024 को हुई बैठक कार्यवृत्त (दिनांक 04.07.2024 को जारी) के अनुसार परियोजना के निर्माण में खपत जल पर होने वाले व्यय की गणना CPWD द्वारा निर्धारित दर (परियोजना की लागत का 1%) के अनुसार परियोजना की लागत अर्थात् धनराशि रु० 210.23 करोड़ (UPPCB द्वारा उपलब्ध कराये गये रिकार्ड के अनुसार) के सापेक्ष 1% धनराशि रु० 2.10 करोड़ पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाता है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में आपको अन्तिम अवसर देते हुये यह निर्देशित किया जाता है कि निर्माण के दौरान प्रयुक्त जल का प्रकार एवं खपत की मात्रा पर किये गये व्यय की धनराशि का आधार/साक्ष्य सहित 15 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अन्यथा की स्थिति में यह माना जायेगा कि आप द्वारा निर्माण के दौरान केवल भूजल का ही प्रयोग किया गया है और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना प्रोजेक्ट कास्ट का 1% अधिरोपित किया गया माना जायेगा, जो कि आपको मान्य होगा, तदोपरान्त इस पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को 15 दिनों के अन्दर NGT के खाते में ONLINE (<https://erp.eshiksa.net/DirectFessv3/UPPCB>) जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

(ए०पी० वमा)

वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)

प्रतिलिपि:

- जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्ध नगर को सूचनार्थ।
- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एल०) महोदय / (डी०) महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- महाप्रबन्धक (अभियन्त्रण-जल) महोदय को सादर सूचनार्थ।
- क्षेत्रीय अधिकारी (प्रभारी), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ए-1, प्रथम तल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नौएडा, को सूचनार्थ।
- हाईड्रोलॉजिस्ट, उ०प्र० भूगर्भ जल विभाग, ए०ई०-18, अंसल गोल्फ लिंक-2, निकट तिलपता गोल चक्कर ग्रेटर नौएडा को सूचनार्थ।
- प्रभारी (विधि) को सूचनार्थ।
- सम्बन्धित पत्रावली।

वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)

3681

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट न०-०१, सेक्टर-के०पी०-४, ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला-गौतमबुद्ध नगर (उ०प्र०)।
website: www.greaternoidaauthority.in email id: authority@gnida.in, sm.workcircle.jal@gnida.in

पत्रांक-जल/2024/

दिनांक / / 2024

अति-आवश्यक/समयबद्ध

सेवा में,

M/s ATS Home Craft (Happy Trails),
(Shridhara Infratech (P) Ltd.)
GH-02A, Sector-10, Greater Noida

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- जल/2024/42, दिनांक-20.01.2024
जल/2024/102, दिनांक-05.02.2024

उपरोक्त संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें अवगत कराया गया था कि कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्ध नगर के कार्यवृत्त पत्रांक-353/भू०ज०वि० खण्ड-गौतमबुद्धनगर/एनजीटी-ओ०ए०३९२/2022 दिनांक 16.01.2024 द्वारा ग्रेटर नौएडा विकास प्राधिकरण के लिए निर्देश दिया गया है कि "परियोजनाओं के प्रतिनिधियों से परियोजनाओं द्वारा निर्माण कार्य हेतु प्रयोजित जल का प्रकार एवं खपत की मात्रा एवं अवधि सम्बन्धित जानकारी एवं वांछित आख्या अभिलेख प्राप्त किया जाये, जिससे परियोजना द्वारा निर्माणाधीन चरण तक जल की कुल कितनी मात्रा की खपत की गयी है उसके आधार पर परियोजनाओं के विरुद्ध की Final Compensation की गणना की जा सके।"

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आप द्वारा दिनांक 27.02.2024 को पत्र के माध्यम से सूचना उपलब्ध करायी गई है। पत्र के साथ जो साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं (उसमें जो सीवरेज जल का प्रयोग किया गया है।) वह ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के STP जल से सम्बन्धित नहीं है। अतः मान्य नहीं है।

उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित संयुक्त समिति की दिनांक 25.06.2024 को हुई बैठक कार्यवृत्त (दिनांक 04.07.2024 को जारी) के अनुसार परियोजना के निर्माण में खपत जल पर होने वाले व्यय की गणना CPWD द्वारा निर्धारित दर (परियोजना की लागत का 1%) के अनुसार परियोजना की लागत अर्थात् धनराशि ₹० 464.00 करोड़ (UPPCB द्वारा उपलब्ध कराये गये रिकार्ड के अनुसार) के सापेक्ष 1% धनराशि ₹० 4.64 करोड़ पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाता है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में आपको अन्तिम अवसर देते हुये यह निर्देशित किया जाता है कि निर्माण के दौरान प्रयुक्त जल का प्रकार एवं खपत की मात्रा पर किये गये व्यय की धनराशि का आधार/साक्ष्य सहित 15 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अन्यथा की स्थिति में यह माना जायेगा कि आप द्वारा निर्माण के दौरान केवल भूजल का ही प्रयोग किया गया है और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना प्रोजेक्ट कास्ट का 1% अधिरोपित किया गया माना जायेगा, जो कि आपको मान्य होगा, तदोपरान्त इस पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को 15 दिनों के अन्दर NGT के खाते में ONLINE (<https://erp.eshiksa.net/DirectFessv3/UPPCB>) जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

(ए०पी० वर्मा)

वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)

प्रतिलिपि:

- जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्ध नगर को सूचनार्थ।
- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एल०) महोदय/ (डी०) महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- महाप्रबन्धक (अभियन्त्रण-जल) महोदय को सादर सूचनार्थ।
- क्षेत्रीय अधिकारी (प्रभारी), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ए-1, प्रथम तल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नौएडा, को सूचनार्थ।
- हाईड्रोलॉजिस्ट, उ०प्र० भूगर्भ जल विभाग, ए०ई०-18, अंसल गोल्फ लिंक-2, निकट तिलपता गोल चक्कर ग्रेटर नौएडा को सूचनार्थ।
- प्रभारी (विधि) को सूचनार्थ।
- सम्बन्धित पत्रावली।

वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट न०-०१, सेक्टर-के०पी०-४, ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला-गौतमबुद्ध नगर (उ०प्र०)।
website: www.greaternoidaauthority.in email id: authority@gnida.in, sm.workcircle.jal@gnida.in

पत्रांक-जल/2024/734

दिनांक ०१/०७/२०२४

अति-आवश्यक/समयबद्ध

सेवा में,

M/s ATS Rhapsody,
(Promoter-DAR Housing Limited)
GH-12/1, Sector-1, Greater Noida

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-३९२/२०२२ प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक १५.११.२०२२ के अनुपालन के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- जल/२०२४/४३, दिनांक-२०.०१.२०२४
जल/२०२४/१०३, दिनांक-०५.०२.२०२४
जल/२०२४/२०३, दिनांक-०५.०३.२०२४

उपरोक्त संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें अवगत कराया गया था कि कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्ध नगर के कार्यवृत्त पत्रांक-३५३/भू०ज०वि० खण्ड-गौतमबुद्धनगर/एनजीटी-ओ०ए०३९२/२०२२ दिनांक १६.०१.२०२४ द्वारा ग्रेटर नौएडा विकास प्राधिकरण के लिए निर्देश दिया गया है कि "परियोजनाओं के प्रतिनिधियों से परियोजनाओं द्वारा निर्माण कार्य हेतु प्रयोजित जल का प्रकार एवं खपत की मात्रा एवं अवधि सम्बन्धित जानकारी एवं वांछित आख्या अभिलेख प्राप्त किया जाये, जिससे परियोजना द्वारा निर्माणाधीन चरण तक जल की कुल कितनी मात्रा की खपत की गयी है उसके आधार पर परियोजनाओं के विरुद्ध की Final Compensation की गणना की जा सके।"

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आप द्वारा दिनांक ०५.०४.२०२४ को पत्र के माध्यम से सूचना उपलब्ध करायी गई है। पत्र के साथ जो साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं (उसमें जो सीवरेज जल का प्रयोग किया गया है।) वह ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के STP जल से सम्बन्धित नहीं है। अतः मान्य नहीं है।

उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित संयुक्त समिति की दिनांक २५.०६.२०२४ को हुई बैठक कार्यवृत्त (दिनांक ०४.०७.२०२४ को जारी) के अनुसार परियोजना के निर्माण में खपत जल पर होने वाले व्यय की गणना CPWD द्वारा निर्धारित दर (परियोजना की लागत का १%) के अनुसार परियोजना की लागत अर्थात् धनराशि ₹० ४१५.९३ करोड़ (UPPCB द्वारा उपलब्ध कराये गये रिकार्ड के अनुसार) के सापेक्ष १% धनराशि ₹० ४.१६ करोड़ पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाता है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में आपको अन्तिम अवसर देते हुये यह निर्देशित किया जाता है कि निर्माण के दौरान प्रयुक्त जल का प्रकार एवं खपत की मात्रा पर किये गये व्यय की धनराशि का आधार/साक्ष्य सहित १५ दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अन्यथा की स्थिति में यह माना जायेगा कि आप द्वारा निर्माण के दौरान केवल भूजल का ही प्रयोग किया गया है और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना प्रोजेक्ट कास्ट का १% अधिरोपित किया गया माना जायेगा, जो कि आपको मान्य होगा, तदोपरान्त इस पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को १५ दिनों के अन्दर NGT के खाते में ONLINE (<https://erp.eshiksa.net/DirectFessv3/UPPCB>) जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

(ए०पी० वर्मा)

वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)

प्रतिलिपि:

- जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्ध नगर को सूचनार्थ।
- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एल०) महोदय / (डी०) महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- महाप्रबन्धक (अभियन्त्रण-जल) महोदय को सादर सूचनार्थ।
- क्षेत्रीय अधिकारी (प्रभारी), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ए-१, प्रथम तल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बीटा-२, ग्रेटर नौएडा, को सूचनार्थ।
- हाईड्रोलॉजिस्ट, उ०प्र० भूगर्भ जल विभाग, ए०ई०-१८, अंसल गोल्फ लिंक-२, निकट तिलपता गोल चक्कर ग्रेटर नौएडा को सूचनार्थ।
- प्रभारी (विधि) को सूचनार्थ।
- सम्बन्धित पत्रावली।

वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)

3683

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट न०-०१, सेक्टर-के०पी०-४, ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला-गौतमबुद्ध नगर (उ०प्र०)।
website: www.greaternoidaauthority.in email id: authority@gnida.in, sm.workcircle.jal@gnida.in

पत्रांक-जल/2024/733

दिनांक ०१ / ०७ / 2024

अति-आवश्यक / समयबद्ध

सेवा में,

M/s Capital Athena (Capital Infratech Homes Pvt. Ltd.)
Plot No-GH-12A-2, Sector-1, Greater Noida.

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- जल/2024/45, दिनांक-20.01.2024
जल/2024/105, दिनांक-05.02.2024
जल/2024/201, दिनांक-05.03.2024

उपरोक्त संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें अवगत कराया गया था कि कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्ध नगर के कार्यवृत्त पत्रांक-353/भू०ज०वि० खण्ड-गौतमबुद्धनगर/एनजीटी-ओ०ए०३३९२/2022 दिनांक 16.01.2024 द्वारा ग्रेटर नौएडा विकास प्राधिकरण के लिए निर्देश दिया गया है कि "परियोजनाओं के प्रतिनिधियों से परियोजनाओं द्वारा निर्माण कार्य हेतु प्रयोजित जल का प्रकार एवं खपत की मात्रा एवं अवधि सम्बन्धित जानकारी एवं वांछित आख्या अभिलेख प्राप्त किया जाये, जिससे परियोजना द्वारा निर्माणाधीन चरण तक जल की कुल कितनी मात्रा की खपत की गयी है उसके आधार पर परियोजनाओं के विरुद्ध की Final Compensation की गणना की जा सके।"

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आप द्वारा दिनांक 26.03.2024 को पत्र के माध्यम से सूचना उपलब्ध करायी गई है। पत्र के साथ जो साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं (उसमें जो सीवरेज जल का प्रयोग किया गया है।) वह ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के STP जल से सम्बन्धित नहीं है। अतः मान्य नहीं है।

उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित संयुक्त समिति की दिनांक 25.06.2024 को हुई बैठक कार्यवृत्त (दिनांक 04.07.2024 को जारी) के अनुसार परियोजना के निर्माण में खपत जल पर होने वाले व्यय की गणना CPWD द्वारा निर्धारित दर (परियोजना की लागत का 1%) के अनुसार परियोजना की लागत अर्थात् धनराशि रू० 350.00 करोड़ (UPPCB द्वारा उपलब्ध कराये गये रिकार्ड के अनुसार) के सापेक्ष 1% धनराशि रू० 3.50 करोड़ पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाता है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में आपको अन्तिम अवसर देते हुये यह निर्देशित किया जाता है कि निर्माण के दौरान प्रयुक्त जल का प्रकार एवं खपत की मात्रा पर किये गये व्यय की धनराशि का आधार/साक्ष्य सहित 15 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अन्यथा की स्थिति में यह माना जायेगा कि आप द्वारा निर्माण के दौरान केवल भूजल का ही प्रयोग किया गया है और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना प्रोजेक्ट कास्ट का 1% अधिरोपित किया गया माना जायेगा, जो कि आपको मान्य होगा, तदोपरान्त इस पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को 15 दिनों के अन्दर NGT के खाते में ONLINE (<https://erp.eshiksa.net/DirectFessv3/UPPCB>) जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

(ए०पी० वर्मा)

वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)

प्रतिलिपि:

- जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्ध नगर को सूचनार्थ।
- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एल०) महोदय/ (डी०) महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- महाप्रबन्धक (अभियन्त्रण-जल) महोदय को सादर सूचनार्थ।
- क्षेत्रीय अधिकारी (प्रभारी), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ए-1, प्रथम तल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नौएडा, को सूचनार्थ।
- हाईड्रोलॉजिस्ट, उ०प्र० भूगर्भ जल विभाग, ए०ई०-18, अंसल गोल्फ लिंक-2, निकट तिलपता गोल चक्कर ग्रेटर नौएडा को सूचनार्थ।
- प्रभारी (विधि) को सूचनार्थ।
- सम्बन्धित पत्रावली।

वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट न०-०१, सेक्टर-के०पी०-४, ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला-गौतमबुद्ध नगर (उ०प्र०)।
website: www.greaternoidaauthority.in email id: authority@gnida.in, sm.workcircle.jal@gnida.in

पत्रांक-जल/2024/726

दिनांक ०१/०७/2024

अति-आवश्यक/समयबद्ध

सेवा में,

M/s Coco County
(Promoter-M/s Shrija Real Estate Solution Pvt. Ltd.)
Plot No-GH-3C, Sector-10, Greater Noida

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- जल/2024/46, दिनांक-20.01.2024
जल/2024/106, दिनांक-05.02.2024

उपरोक्त संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें अवगत कराया गया था कि कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्ध नगर के कार्यवृत्त पत्रांक-353/भू०ज०वि० खण्ड-गौतमबुद्धनगर/एनजीटी-ओ०ए०३९२/2022 दिनांक 16.01.2024 द्वारा ग्रेटर नौएडा विकास प्राधिकरण के लिए निर्देश दिया गया है कि "परियोजनाओं के प्रतिनिधियों से परियोजनाओं द्वारा निर्माण कार्य हेतु प्रयोजित जल का प्रकार एवं खपत की मात्रा एवं अवधि सम्बन्धित जानकारी एवं वांछित आख्या अभिलेख प्राप्त किया जाये, जिससे परियोजना द्वारा निर्माणाधीन चरण तक जल की कुल कितनी मात्रा की खपत की गयी है उसके आधार पर परियोजनाओं के विरुद्ध की Final Compensation की गणना की जा सके।"

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आप द्वारा दिनांक 19.02.2024 को पत्र के माध्यम से सूचना उपलब्ध करायी गई है। पत्र के साथ जो साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं (उसमें जो सीवरेज जल का प्रयोग किया गया है।) वह ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के STP जल से सम्बन्धित नहीं है। अतः मान्य नहीं है।

उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित संयुक्त समिति की दिनांक 25.06.2024 को हुई बैठक कार्यवृत्त (दिनांक 04.07.2024 को जारी) के अनुसार परियोजना के निर्माण में खपत जल पर होने वाले व्यय की गणना CPWD द्वारा निर्धारित दर (परियोजना की लागत का 1%) के अनुसार परियोजना की लागत अर्थात् धनराशि रू० 262.95 करोड़ (UPPCB द्वारा उपलब्ध कराये गये रिकार्ड के अनुसार) के सापेक्ष 1% धनराशि रू० 2.63 करोड़ पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाता है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में आपको अन्तिम अवसर देते हुये यह निर्देशित किया जाता है कि निर्माण के दौरान प्रयुक्त जल का प्रकार एवं खपत की मात्रा पर किये गये व्यय की धनराशि का आधार/साक्ष्य सहित 15 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अन्यथा की स्थिति में यह माना जायेगा कि आप द्वारा निर्माण के दौरान केवल भूजल का ही प्रयोग किया गया है और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना प्रोजेक्ट कास्ट का 1% अधिरोपित किया गया माना जायेगा, जो कि आपको मान्य होगा, तदोपरान्त इस पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को 15 दिनों के अन्दर NGT के खाते में ONLINE (<https://erp.eshiksa.net/DirectFessv3/UPPCB>) जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

(ए०पी० वर्मा)

वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)

प्रतिलिपि:

- जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्ध नगर को सूचनार्थ।
- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एल०) महोदय/ (डी०) महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- महाप्रबन्धक (अभियन्त्रण-जल) महोदय को सादर सूचनार्थ।
- क्षेत्रीय अधिकारी (प्रभारी), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ए-1, प्रथम तल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नौएडा, को सूचनार्थ।
- हाईड्रोलॉजिस्ट, उ०प्र० भूगर्भ जल विभाग, ए०ई०-18, अंसल गोल्फ लिंक-2, निकट तिलपता गोल चक्कर ग्रेटर नौएडा को सूचनार्थ।
- प्रभारी (विधि) को सूचनार्थ।
- सम्बन्धित पत्रावली।

वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट न०-०१, सेक्टर-के०पी०-४, ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला-गौतमबुद्ध नगर (उ०प्र०)।
website: www.greaternoidaauthority.in email id: authority@gnida.in, sm.workcircle.jal@gnida.in

पत्रांक-जल/2024/732

दिनांक ०१ / ०१ / 2024

अति-आवश्यक / समयबद्ध

सेवा में,

Gaur City Mall,
Plot No-C-1B/GH-01,
Sector-4, Greater Noida

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-392/2022 प्रसून पन्त व अन्य वनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- जल/2024/52, दिनांक-20.01.2024
जल/2024/112, दिनांक-05.02.2024

उपरोक्त संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें अवगत कराया गया था कि कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्ध नगर के कार्यवृत्त पत्रांक-353/भू०ज०वि० खण्ड-गौतमबुद्धनगर/एनजीटी-ओ०ए०३९२/२०२२ दिनांक 16.01.2024 द्वारा ग्रेटर नौएडा विकास प्राधिकरण के लिए निर्देश दिया गया है कि "परियोजनाओं के प्रतिनिधियों से परियोजनाओं द्वारा निर्माण कार्य हेतु प्रयोजित जल का प्रकार एवं खपत की मात्रा एवं अवधि सम्बन्धित जानकारी एवं वांछित आख्या अभिलेख प्राप्त किया जाये, जिससे परियोजना द्वारा निर्माणाधीन चरण तक जल की कुल कितनी मात्रा की खपत की गयी है उसके आधार पर परियोजनाओं के विरुद्ध की Final Compensation की गणना की जा सके।"

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आप द्वारा दिनांक 28.02.2024 को पत्र के माध्यम से सूचना उपलब्ध करायी गई है। पत्र के साथ जो साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं (उसमें जो सीवरेज जल का प्रयोग किया गया है।) वह ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के STP जल से सम्बन्धित नहीं है। अतः मान्य नहीं है।

उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित संयुक्त समिति की दिनांक 25.06.2024 को हुई बैठक कार्यवृत्त (दिनांक 04.07.2024 को जारी) के अनुसार परियोजना के निर्माण में खपत जल पर होने वाले व्यय की गणना CPWD द्वारा निर्धारित दर (परियोजना की लागत का 1%) के अनुसार परियोजना की लागत अर्थात् धनराशि रू० 652.00 करोड़ (UPPCB द्वारा उपलब्ध कराये गये रिकार्ड के अनुसार) के सापेक्ष 1% धनराशि रू० 6.52 करोड़ पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाता है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में आपको अन्तिम अवसर देते हुये यह निर्देशित किया जाता है कि निर्माण के दौरान प्रयुक्त जल का प्रकार एवं खपत की मात्रा पर किये गये व्यय की धनराशि का आधार/साक्ष्य सहित 15 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अन्यथा की स्थिति में यह माना जायेगा कि आप द्वारा निर्माण के दौरान केवल भूजल का ही प्रयोग किया गया है और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना प्रोजेक्ट कारस्ट का 1% अधिरोपित किया गया माना जायेगा, जो कि आपको मान्य होगा, तदोपरान्त इस पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को 15 दिनों के अन्दर NGT के खाते में ONLINE (<https://erp.eshiksa.net/DirectFessv3/UPPCB>) जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

(ए०पी० वर्मा)

वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)

प्रतिलिपि:

- जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्ध नगर को सूचनार्थ।
- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एल०) महोदय/ (डी०) महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- महाप्रबन्धक (अभियन्त्रण-जल) महोदय को सादर सूचनार्थ।
- क्षेत्रीय अधिकारी (प्रभारी), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ए-1, प्रथम तल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, वीटा-2, ग्रेटर नौएडा, को सूचनार्थ।
- हाईड्रोलॉजिस्ट, उ०प्र० भूगर्भ जल विभाग, ए०ई०-18, अंसल गोल्फ लिंक-2, निकट तिलपता गोल चक्कर ग्रेटर नौएडा को सूचनार्थ।
- प्रभारी (विधि) को सूचनार्थ।
- सम्बन्धित पत्रावली।

वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट न०-०१, सेक्टर-के०पी०-४, ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला-गौतमबुद्ध नगर (उ०प्र०)।
website: www.greaternoidaauthority.in email id: authority@gnida.in, sm.workcircle.jal@gnida.in

पत्रांक-जल/2024/731

दिनांक ०१/०७/२०२४

अति-आवश्यक/समयबद्ध

सेवा में,

Gaur City-1,
Plot No-GH-01, Sector-4,
Greater Noida

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-३९२/२०२२ प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक १५.११.२०२२ के अनुपालन के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- जल/२०२४/५३, दिनांक-२०.०१.२०२४
जल/२०२४/११३, दिनांक-०५.०२.२०२४

उपरोक्त संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें अवगत कराया गया था कि कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्ध नगर के कार्यवृत्त पत्रांक-३५३/भू०ज०वि० खण्ड-गौतमबुद्धनगर/एनजीटी-ओ०ए०३९२/२०२२ दिनांक १६.०१.२०२४ द्वारा ग्रेटर नौएडा विकास प्राधिकरण के लिए निर्देश दिया गया है कि "परियोजनाओं के प्रतिनिधियों से परियोजनाओं द्वारा निर्माण कार्य हेतु प्रयोजित जल का प्रकार एवं खपत की मात्रा एवं अवधि सम्बन्धित जानकारी एवं वांछित आख्या अभिलेख प्राप्त किया जाये, जिससे परियोजना द्वारा निर्माणाधीन चरण तक जल की कुल कितनी मात्रा की खपत की गयी है उसके आधार पर परियोजनाओं के विरुद्ध की Final Compensation की गणना की जा सके।"

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आप द्वारा दिनांक २८.०२.२०२४ को पत्र के माध्यम से सूचना उपलब्ध करायी गई है। पत्र के साथ जो साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं (उसमें जो सीवरेज जल का प्रयोग किया गया है।) वह ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के STP जल से सम्बन्धित नहीं है। अतः मान्य नहीं है।

उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित संयुक्त समिति की दिनांक २५.०६.२०२४ को हुई बैठक कार्यवृत्त (दिनांक ०४.०७.२०२४ को जारी) के अनुसार परियोजना के निर्माण में खपत जल पर होने वाले व्यय की गणना CPWD द्वारा निर्धारित दर (परियोजना की लागत का १%) के अनुसार परियोजना की लागत अर्थात धनराशि ₹० १२२.८० करोड़ (UPPCB द्वारा उपलब्ध कराये गये रिकार्ड के अनुसार) के सापेक्ष १% धनराशि ₹० १.२३ करोड़ पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाता है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में आपको अन्तिम अवसर देते हुये यह निर्देशित किया जाता है कि निर्माण के दौरान प्रयुक्त जल का प्रकार एवं खपत की मात्रा पर किये गये व्यय की धनराशि का आधार/साक्ष्य सहित १५ दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अन्यथा की स्थिति में यह माना जायेगा कि आप द्वारा निर्माण के दौरान केवल भूजल का ही प्रयोग किया गया है और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना प्रोजेक्ट कास्ट का १% अधिरोपित किया गया माना जायेगा, जो कि आपको मान्य होगा, तदोपरान्त इस पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को १५ दिनों के अन्दर NGT के खाते में ONLINE (<https://erp.eshiksa.net/DirectFessv3/UPPCB>) जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

(ए०पी० वर्मा)

वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)

प्रतिलिपि:

- जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्ध नगर को सूचनार्थ।
- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एल०) महोदय/ (डी०) महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- महाप्रबन्धक (अभियन्त्रण-जल) महोदय को सादर सूचनार्थ।
- क्षेत्रीय अधिकारी (प्रभारी), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ए-१, प्रथम तल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बीटा-२, ग्रेटर नौएडा, को सूचनार्थ।
- हाईड्रोलॉजिस्ट, उ०प्र० भूगर्भ जल विभाग, ए०ई०-१८, अंसल गोल्फ लिंक-२, निकट तिलपता गोल चक्कर ग्रेटर नौएडा को सूचनार्थ।
- प्रभारी (विधि) को सूचनार्थ।
- सम्बन्धित पत्रावली।

वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)

3687

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट न०-०१, सेक्टर-के०पी०-४, ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला-गौतमबुद्ध नगर (उ०प्र०)।
website: www.greaternoidaauthority.in email id: authority@gnida.in, sm.workcircle.jal@gnida.in

पत्रांक-जल/2024/730

दिनांक ०१/०७/2024

अति-आवश्यक/समयबद्ध

सेवा में,

Gaur City-2,
Plot No-GH-01, Sector-16C,
Greater Noida

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- जल/2024/54, दिनांक-20.01.2024
जल/2024/114, दिनांक-05.02.2024

उपरोक्त संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें अवगत कराया गया था कि कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्ध नगर के कार्यवृत्त पत्रांक-353/भू०ज०वि० खण्ड-गौतमबुद्धनगर/एनजीटी-ओ०ए०३९२/2022 दिनांक 16.01.2024 द्वारा ग्रेटर नौएडा विकास प्राधिकरण के लिए निर्देश दिया गया है कि "परियोजनाओं के प्रतिनिधियों से परियोजनाओं द्वारा निर्माण कार्य हेतु प्रयोजित जल का प्रकार एवं खपत की मात्रा एवं अवधि सम्बन्धित जानकारी एवं वांछित आख्या अभिलेख प्राप्त किया जाये, जिससे परियोजना द्वारा निर्माणाधीन चरण तक जल की कुल कितनी मात्रा की खपत की गयी है उसके आधार पर परियोजनाओं के विरुद्ध की Final Compensation की गणना की जा सके।"

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आप द्वारा दिनांक 29.02.2024 को पत्र के माध्यम से सूचना उपलब्ध करायी गई है। पत्र के साथ जो साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं (उसमें जो सीवरेज जल का प्रयोग किया गया है) वह ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के STP जल से सम्बन्धित नहीं है। अतः मान्य नहीं है।

उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित संयुक्त समिति की दिनांक 25.06.2024 को हुई बैठक कार्यवृत्त (दिनांक 04.07.2024 को जारी) के अनुसार परियोजना के निर्माण में खपत जल पर होने वाले व्यय की गणना CPWD द्वारा निर्धारित दर (परियोजना की लागत का 1%) के अनुसार परियोजना की लागत अर्थात् धनराशि रू० 473.00 करोड़ (UPPCB द्वारा उपलब्ध कराये गये रिकार्ड के अनुसार) के सापेक्ष 1% धनराशि रू० 4.73 करोड़ पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाता है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में आपको अन्तिम अवसर देते हुये यह निर्देशित किया जाता है कि निर्माण के दौरान प्रयुक्त जल का प्रकार एवं खपत की मात्रा पर किये गये व्यय की धनराशि का आधार/साक्ष्य सहित 15 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अन्यथा की स्थिति में यह माना जायेगा कि आप द्वारा निर्माण के दौरान केवल भूजल का ही प्रयोग किया गया है और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना प्रोजेक्ट कास्ट का 1% अधिरोपित किया गया माना जायेगा, जो कि आपको मान्य होगा, तदोपरान्त इस पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को 15 दिनों के अन्दर NGT के खाते में ONLINE (<https://erp.eshiksa.net/DirectFessv3/UPPCB>) जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

(ए०पी० वर्मा)

वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)

प्रतिलिपि:

- जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्ध नगर को सूचनार्थ।
- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (ए०) महोदय/ (डी०) महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- महाप्रबन्धक (अभियन्त्रण-जल) महोदय को सादर सूचनार्थ।
- क्षेत्रीय अधिकारी (प्रभारी), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ए-1, प्रथम तल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, वीटा-2, ग्रेटर नौएडा, को सूचनार्थ।
- हाईड्रोलॉजिस्ट, उ०प्र० भूगर्भ जल विभाग, ए०ई०-18, अंसल गोल्फ लिंक-2, निकट तिलपता गोल चक्कर ग्रेटर नौएडा को सूचनार्थ।
- प्रभारी (विधि) को सूचनार्थ।
- सम्बन्धित पत्रावली।

वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट न०-०१, सेक्टर-के०पी०-४, ग्रेटर नौएडा सिटी, गिला-गौतमबुद्ध नगर (उ०प्र०)।
website: www.greaternoidaauthority.in email id: authority@gnida.in, sm.workcircle.jal@gnida.in

पत्रांक-जल/2024/729

दिनांक ०१ / ०७ / 2024

अति-आवश्यक / समयबद्ध

सेवा में,

Gaur Saundaryam
Plot No-GH-05C, Sector-Techzone-4,
Greater Noida

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- जल/2024/55, दिनांक-20.01.2024
जल/2024/115, दिनांक-05.02.2024

उपरोक्त संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें अवगत कराया गया था कि कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्ध नगर के कार्यवृत्त पत्रांक-353/भू०ज०वि० खण्ड-गौतमबुद्धनगर/एनजीटी-ओ०ए०३९२/2022 दिनांक 16.01.2024 द्वारा ग्रेटर नौएडा विकास प्राधिकरण के लिए निर्देश दिया गया है कि "परियोजनाओं के प्रतिनिधियों से परियोजनाओं द्वारा निर्माण कार्य हेतु प्रयोजित जल का प्रकार एवं खपत की मात्रा एवं अवधि सम्बन्धित जानकारी एवं वांछित आख्या अभिलेख प्राप्त किया जाये, जिससे परियोजना द्वारा निर्माणाधीन चरण तक जल की कुल कितनी मात्रा की खपत की गयी है उसके आधार पर परियोजनाओं के विरुद्ध की Final Compensation की गणना की जा सके।"

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आप द्वारा दिनांक 20.02.2024 को पत्र के माध्यम से सूचना उपलब्ध करायी गई है। पत्र के साथ जो साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं (उसमें जो सीवरेज जल का प्रयोग किया गया है।) वह ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के STP जल से सम्बन्धित नहीं है। अतः मान्य नहीं है।

उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित संयुक्त समिति की दिनांक 25.06.2024 को हुई बैठक कार्यवृत्त (दिनांक 04.07.2024 को जारी) के अनुसार परियोजना के निर्माण में खपत जल पर होने वाले व्यय की गणना CPWD द्वारा निर्धारित दर (परियोजना की लागत का 1%) के अनुसार परियोजना की लागत अर्थात् धनराशि ₹० 581.00 करोड़ (UPPCB द्वारा उपलब्ध कराये गये रिकार्ड के अनुसार) के सापेक्ष 1% धनराशि ₹० 5.81 करोड़ पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाता है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में आपको अन्तिम अवसर देते हुये यह निर्देशित किया जाता है कि निर्माण के दौरान प्रयुक्त जल का प्रकार एवं खपत की मात्रा पर किये गये व्यय की धनराशि का आधार/साक्ष्य सहित 15 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अन्यथा की स्थिति में यह माना जायेगा कि आप द्वारा निर्माण के दौरान केवल भूजल का ही प्रयोग किया गया है और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना प्रोजेक्ट कास्ट का 1% अधिरोपित किया गया माना जायेगा, जो कि आपको मान्य होगा, तदोपरान्त इस पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को 15 दिनों के अन्दर NGT के खाते में ONLINE (<https://erp.eshiksa.net/DirectFessv3/UPPCB>) जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

(ए०पी० वमा)

वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)

प्रतिलिपि:

- जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्ध नगर को सूचनार्थ।
- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एल०) महोदय/ (डी०) महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- महाप्रबन्धक (अभियन्त्रण-जल) महोदय को सादर सूचनार्थ।
- क्षेत्रीय अधिकारी (प्रभारी), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ए-1, प्रथम तल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, वीटा-2, ग्रेटर नौएडा, को सूचनार्थ।
- हाईड्रोलॉजिस्ट, उ०प्र० भूगर्भ जल विभाग, ए०ई०-18, अंसल गोल्फ लिंक-2, निकट तिलपता गोल चक्कर ग्रेटर नौएडा को सूचनार्थ।
- प्रभारी (विधि) को सूचनार्थ।
- सम्बन्धित पत्रावली।

वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट न०-०१, सेक्टर-के०पी०-४, ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला-गौतमबुद्ध नगर (उ०प्र०)।

website: www.greaternoidaauthority.in email id: authority@gnida.in, sm.workcircle.jal@gnida.in

पत्रांक-जल/2024/728

दिनांक ०१ / ०७ / २०२४

अति-आवश्यक / समयबद्ध

सेवा में,

Gulshan Bellina,
(M/s Gulshan Homz Pvt. Ltd.)
Plot No-GH-02/A, Sector-16, Greater Noida

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-३९२/२०२२ प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक १५.११.२०२२ के अनुपालन के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- जल/२०२४/५६, दिनांक-२०.०१.२०२४
जल/२०२४/११६, दिनांक-०५.०२.२०२४

उपरोक्त संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें अवगत कराया गया था कि कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्ध नगर के कार्यवृत्त पत्रांक-३५३/मू०ज०वि० खण्ड-गौतमबुद्धनगर/एनजीटी-ओ०ए०३९२/२०२२ दिनांक १६.०१.२०२४ द्वारा ग्रेटर नौएडा विकास प्राधिकरण के लिए निर्देश दिया गया है कि "परियोजनाओं के प्रतिनिधियों से परियोजनाओं द्वारा निर्माण कार्य हेतु प्रयोजित जल का प्रकार एवं खपत की मात्रा एवं अवधि सम्बन्धित जानकारी एवं वांछित आख्या अभिलेख प्राप्त किया जाये, जिससे परियोजना द्वारा निर्माणाधीन चरण तक जल की कुल कितनी मात्रा की खपत की गयी है उसके आधार पर परियोजनाओं के विरुद्ध की Final Compensation की गणना की जा सके।"

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आप द्वारा दिनांक २३.०२.२०२४ को पत्र के माध्यम से सूचना उपलब्ध करायी गई है। पत्र के साथ जो साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं (उसमें जो सीवरेज जल का प्रयोग किया गया है।) वह ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के STP जल से सम्बन्धित नहीं है। अतः मान्य नहीं है।

उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित संयुक्त समिति की दिनांक २५.०६.२०२४ को हुई बैठक कार्यवृत्त (दिनांक ०४.०७.२०२४ को जारी) के अनुसार परियोजना के निर्माण में खपत जल पर होने वाले व्यय की गणना CPWD द्वारा निर्धारित दर (परियोजना की लागत का १%) के अनुसार परियोजना की लागत अर्थात् धनराशि ₹० ४६५.३७ करोड़ (UPPCB द्वारा उपलब्ध कराये गये रिकार्ड के अनुसार) के सापेक्ष १% धनराशि ₹० ४.६५ करोड़ पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाता है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में आपको अन्तिम अवसर देते हुये यह निर्देशित किया जाता है कि निर्माण के दौरान प्रयुक्त जल का प्रकार एवं खपत की मात्रा पर किये गये व्यय की धनराशि का आधार/साक्ष्य सहित १५ दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अन्यथा की स्थिति में यह माना जायेगा कि आप द्वारा निर्माण के दौरान केवल भूजल का ही प्रयोग किया गया है और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना प्रोजेक्ट कास्ट का १% अधिरोपित किया गया माना जायेगा, जो कि आपको मान्य होगा, तदोपरान्त इस पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को १५ दिनों के अन्दर NGT के खाते में ONLINE (<https://erp.eshiksa.net/DirectFessv3/UPPCB>) जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

(ए०पी० वर्मा)

वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)

प्रतिलिपि:

- जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्ध नगर को सूचनार्थ।
- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एल०) महोदय/ (डी०) महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- महाप्रबन्धक (अभियन्त्रण-जल) महोदय को सादर सूचनार्थ।
- क्षेत्रीय अधिकारी (प्रभारी), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ए-१, प्रथम तल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बीटा-२, ग्रेटर नौएडा, को सूचनार्थ।
- हाईड्रोलॉजिस्ट, उ०प्र० भूगर्भ जल विभाग, ए०ई०-१८, अंसल गोल्फ लिंक-२, निकट तिलपता गोल चक्कर ग्रेटर नौएडा को सूचनार्थ।
- प्रभारी (विधि) को सूचनार्थ।
- सम्बन्धित पत्रावली।


वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट न०-०१, सेक्टर-के०पी०-४, ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला-गौतमबुद्ध नगर (उ०प्र०)।
website: www.greaternoidaauthority.in email id: authority@gnida.in, sm.workcircle.jal@gnida.in

पत्रांक-जल/2024/725

दिनांक ०१ / ०१ / 2024

अति-आवश्यक / समयबद्ध

सेवा में,

Mangalya Ophira,
(M/s Mangalya Buildtech Pvt. Ltd./Solaris Infra Project Pvt. Ltd.)
Plot No-GH-16F, Sector-1, Greater Noida

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- जल/2024/59, दिनांक-20.01.2024
जल/2024/119, दिनांक-05.02.2024
जल/2024/194, दिनांक-05.03.2024

उपरोक्त संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें अवगत कराया गया था कि कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्ध नगर के कार्यवृत्त पत्रांक-353/भू०ज०वि० खण्ड-गौतमबुद्धनगर/एनजीटी-ओ०ए०३९२/2022 दिनांक 16.01.2024 द्वारा ग्रेटर नौएडा विकास प्राधिकरण के लिए निर्देश दिया गया है कि "परियोजनाओं के प्रतिनिधियों से परियोजनाओं द्वारा निर्माण कार्य हेतु प्रयोजित जल का प्रकार एवं खपत की मात्रा एवं अवधि सम्बन्धित जानकारी एवं वांछित आख्या अभिलेख प्राप्त किया जाये, जिससे परियोजना द्वारा निर्माणाधीन चरण तक जल की कुल कितनी मात्रा की खपत की गयी है उसके आधार पर परियोजनाओं के विरुद्ध की Final Compensation की गणना की जा सके।"

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आप द्वारा दिनांक 20.03.2024 को पत्र के माध्यम से सूचना उपलब्ध करायी गई है। पत्र के साथ जो साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं (उसमें जो सीवरेज जल का प्रयोग किया गया है।) वह ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के STP जल से सम्बन्धित नहीं है। अतः मान्य नहीं है।

उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित संयुक्त समिति की दिनांक 25.06.2024 को हुई बैठक कार्यवृत्त (दिनांक 04.07.2024 को जारी) के अनुसार परियोजना के निर्माण में खपत जल पर होने वाले व्यय की गणना CPWD द्वारा निर्धारित दर (परियोजना की लागत का 1%) के अनुसार परियोजना की लागत अर्थात् धनराशि रू० 67.75 करोड़ (UPPCB द्वारा उपलब्ध कराये गये रिकार्ड के अनुसार) के सापेक्ष 1% धनराशि रू० 0.68 करोड़ पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाता है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में आपको अन्तिम अवसर देते हुये यह निर्देशित किया जाता है कि निर्माण के दौरान प्रयुक्त जल का प्रकार एवं खपत की मात्रा पर किये गये व्यय की धनराशि का आधार/साक्ष्य सहित 15 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अन्यथा की स्थिति में यह माना जायेगा कि आप द्वारा निर्माण के दौरान केवल भूजल का ही प्रयोग किया गया है और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना प्रोजेक्ट कास्ट का 1% अधिरोपित किया गया माना जायेगा, जो कि आपको मान्य होगा, तदोपरान्त इस पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को 15 दिनों के अन्दर NGT के खाते में ONLINE (<https://erp.eshiksa.net/DirectFessv3/UPPCB>) जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

(ए०पी० वर्मा)

वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)

प्रतिलिपि:

- जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्ध नगर को सूचनार्थ।
- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एल०) महोदय/ (डी०) महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- महाप्रबन्धक (अभियन्त्रण-जल) महोदय को सादर सूचनार्थ।
- क्षेत्रीय अधिकारी (प्रभारी), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ए-१, प्रथम तल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, वीटा-२, ग्रेटर नौएडा, को सूचनार्थ।
- हाईड्रोलॉजिस्ट, उ०प्र० भूगर्भ जल विभाग, ए०ई०-१८, अंसल गोल्फ लिंक-२, निकट तिलपता गोल चक्कर ग्रेटर नौएडा को सूचनार्थ।
- प्रभारी (विधि) को सूचनार्थ।
- सम्बन्धित पत्रावली।

वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)

3691

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट न०-०१, सेक्टर-के०पी०-४, ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला-गौतमबुद्ध नगर (उ०प्र०)।
website: www.greaternoidaauthority.in email id: authority@gnida.in, sm.workcircle.jal@gnida.in

पत्रांक-जल/2024/727

दिनांक ०१/०७/2024

अति-आवश्यक / समयबद्ध

सेवा में,

Neo Town,
(M/s Patel Advance JV)
Plot No-GH-03, Sector-Techzone-4,
Greater Noida West (Phase-1)

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- जल/2024/60, दिनांक-20.01.2024
जल/2024/120 दिनांक-05.02.2024
जल/2024/192 दिनांक-05.03.2024
जल/2024/348 दिनांक-01.04.2024

उपरोक्त संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें अवगत कराया गया था कि कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्ध नगर के कार्यवृत्त पत्रांक-353/भू०ज०वि० खण्ड-गौतमबुद्धनगर/एनजीटी-ओ०ए०३९२/2022 दिनांक 16.01.2024 द्वारा ग्रेटर नौएडा विकास प्राधिकरण के लिए निर्देश दिया गया है कि "परियोजनाओं के प्रतिनिधियों से परियोजनाओं द्वारा निर्माण कार्य हेतु प्रयोजित जल का प्रकार एवं खपत की मात्रा एवं अवधि सम्बन्धित जानकारी एवं वांछित आख्या अभिलेख प्राप्त किया जाये, जिससे परियोजना द्वारा निर्माणाधीन चरण तक जल की कुल कितनी मात्रा की खपत की गयी है उसके आधार पर परियोजनाओं के विरुद्ध की Final Compensation की गणना की जा सके।"

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आप द्वारा दिनांक 08.04.2024 को पत्र के माध्यम से सूचना उपलब्ध करायी गई है। पत्र के साथ जो साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं (उसमें जो सीवरेज जल का प्रयोग किया गया है।) वह ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के STP जल से सम्बन्धित नहीं है। अतः मान्य नहीं है।

उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित संयुक्त समिति की दिनांक 25.06.2024 को हुई बैठक कार्यवृत्त (दिनांक 04.07.2024 को जारी) के अनुसार परियोजना के निर्माण में खपत जल पर होने वाले व्यय की गणना CPWD द्वारा निर्धारित दर (परियोजना की लागत का 1%) के अनुसार परियोजना की लागत अर्थात् धनराशि रू० 670.41 करोड़ (UPPCB द्वारा उपलब्ध कराये गये रिकार्ड के अनुसार) के सापेक्ष 1% धनराशि रू० 6.70 करोड़ पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाता है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में आपको अन्तिम अवसर देते हुये यह निर्देशित किया जाता है कि निर्माण के दौरान प्रयुक्त जल का प्रकार एवं खपत की मात्रा पर किये गये व्यय की धनराशि का आधार/साक्ष्य सहित 15 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अन्यथा की स्थिति में यह माना जायेगा कि आप द्वारा निर्माण के दौरान केवल भूजल का ही प्रयोग किया गया है और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना प्रोजेक्ट कास्ट का 1% अधिरोपित किया गया माना जायेगा, जो कि आपको मान्य होगा, तदोपरान्त इस पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को 15 दिनों के अन्दर NGT के खाते में ONLINE (<https://erp.eshiksa.net/DirectFessv3/UPPCB>) जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

(ए०पी० वर्मा)

वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)

प्रतिलिपि:

- जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्ध नगर को सूचनार्थ।
- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एल०) महोदय/ (डी०) महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- महाप्रबन्धक (अभियन्त्रण-जल) महोदय को सादर सूचनार्थ।
- क्षेत्रीय अधिकारी (प्रभारी), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ए-1, प्रथम तल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नौएडा, को सूचनार्थ।
- हाईड्रोलॉजिस्ट, उ०प्र० भूगर्भ जल विभाग, ए०ई०-18, अंसल गोल्फ लिंक-2, निकट तिलपता गोल चक्कर ग्रेटर नौएडा को सूचनार्थ।
- प्रभारी (विधि) को सूचनार्थ।
- सम्बन्धित पत्रावली।

वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)

3692

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट न०-०१, सेक्टर-के०पी०-४, ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला-गौतमबुद्ध नगर (उ०प्र०)।
website: www.greaternoidaauthority.in email id: authority@gnida.in, sm.workcircle.jal@gnida.in

पत्रांक-जल/2024/7-24

दिनांक ०१/०५/2024

अति-आवश्यक/समयबद्ध

सेवा में,

Panchsheel Hynish,
(M/s Panchsheel Buildtech Pvt. Ltd.)
Plot No-GH-08A, Sector-1,
Greater Noida West

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- जल/2024/61, दिनांक-20.01.2024
जल/2024/121, दिनांक-05.02.2024

उपरोक्त संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें अवगत कराया गया था कि कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्ध नगर के कार्यवृत्त पत्रांक-353/भू०ज०वि० खण्ड-गौतमबुद्धनगर/एनजीटी-ओ०ए०392/2022 दिनांक 16.01.2024 द्वारा ग्रेटर नौएडा विकास प्राधिकरण के लिए निर्देश दिया गया है कि "परियोजनाओं के प्रतिनिधियों से परियोजनाओं द्वारा निर्माण कार्य हेतु प्रयोजित जल का प्रकार एवं खपत की मात्रा एवं अवधि सम्बन्धित जानकारी एवं वांछित आख्या अभिलेख प्राप्त किया जाये, जिससे परियोजना द्वारा निर्माणाधीन चरण तक जल की कुल कितनी मात्रा की खपत की गयी है उसके आधार पर परियोजनाओं के विरुद्ध की Final Compensation की गणना की जा सके।"

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आप द्वारा दिनांक 19.04.2024 को पत्र के माध्यम से सूचना उपलब्ध करायी गई है। पत्र के साथ जो साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं (उसमें जो सीवरेज जल का प्रयोग किया गया है) वह ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के STP जल से सम्बन्धित नहीं है। अतः मान्य नहीं है।

उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित संयुक्त समिति की दिनांक 25.06.2024 को हुई बैठक कार्यवृत्त (दिनांक 04.07.2024 को जारी) के अनुसार परियोजना के निर्माण में खपत जल पर होने वाले व्यय की गणना CPWD द्वारा निर्धारित दर (परियोजना की लागत का 1%) के अनुसार परियोजना की लागत अर्थात् धनराशि रू० 405.24 करोड़ (UPPCB द्वारा उपलब्ध कराये गये रिकार्ड के अनुसार) के सापेक्ष 1% धनराशि रू० 4.05 करोड़ पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाता है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में आपको अन्तिम अवसर देते हुये यह निर्देशित किया जाता है कि निर्माण के दौरान प्रयुक्त जल का प्रकार एवं खपत की मात्रा पर किये गये व्यय की धनराशि का आधार/साक्ष्य सहित 15 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अन्यथा की स्थिति में यह माना जायेगा कि आप द्वारा निर्माण के दौरान केवल भूजल का ही प्रयोग किया गया है और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना प्रोजेक्ट कास्ट का 1% अधिरोपित किया गया माना जायेगा, जो कि आपको मान्य होगा, तदोपरान्त इस पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को 15 दिनों के अन्दर NGT के खाते में ONLINE (<https://erp.eshiksa.net/DirectFessv3/UPPCB>) जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

(ए०पी० वर्मा)

वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)

प्रतिलिपि:

- जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्ध नगर को सूचनार्थ।
- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एल०) महोदय/ (डी०) महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- महाप्रबन्धक (अभियन्त्रण-जल) महोदय को सादर सूचनार्थ।
- क्षेत्रीय अधिकारी (प्रभारी), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ए-1, प्रथम तल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, वीटा-2, ग्रेटर नौएडा, को सूचनार्थ।
- हाईड्रोलॉजिस्ट, उ०प्र० भूगर्भ जल विभाग, ए०ई०-18, अंसल गोल्फ लिंक-2, निकट तिलपता गोल चक्कर ग्रेटर नौएडा को सूचनार्थ।
- प्रभारी (विधि) को सूचनार्थ।
- सम्बन्धित पत्रावली।

वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)



3693 ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट न०-०१, सैक्टर-के०पी०-४, ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला-गौतमबुद्ध नगर (उ०प्र०)।
website: www.greaternoidaauthority.in email id: authority@gnida.in, sm.workcircle.jal@gnida.in

पत्रांक-जल/2024/723

दिनांक ०१ / ०७ / 2024

अति-आवश्यक / समयबद्ध

सेवा में,

Rajhans Residency,
(M/s Rajhans Infrateh (P) Ltd.)
Plot No-GH-06B, Sector-1,
Greater Noida West.

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- जल/2024/62, दिनांक-20.01.2024

उपरोक्त संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें अवगत कराया गया था कि कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्ध नगर के कार्यवृत्त पत्रांक-353/मू०ज०वि० खण्ड-गौतमबुद्धनगर/एनजीटी-ओ०ए०३९२/2022 दिनांक 16.01.2024 द्वारा ग्रेटर नौएडा विकास प्राधिकरण के लिए निर्देश दिया गया है कि "परियोजनाओं के प्रतिनिधियों से परियोजनाओं द्वारा निर्माण कार्य हेतु प्रयोजित जल का प्रकार एवं खपत की मात्रा एवं अवधि सम्बन्धित जानकारी एवं वांछित आख्या अभिलेख प्राप्त किया जाये, जिससे परियोजना द्वारा निर्माणाधीन चरण तक जल की कुल कितनी मात्रा की खपत की गयी है उसके आधार पर परियोजनाओं के विरुद्ध की Final Compensation की गणना की जा सके।"

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आप द्वारा दिनांक 05.02.2024 को पत्र के माध्यम से सूचना उपलब्ध करायी गई है। पत्र के साथ जो साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं (उसमें जो सीवरेज जल का प्रयोग किया गया है।) वह ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के STP जल से सम्बन्धित नहीं है। अतः मान्य नहीं है।

उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित संयुक्त समिति की दिनांक 25.06.2024 को हुई बैठक कार्यवृत्त (दिनांक 04.07.2024 को जारी) के अनुसार परियोजना के निर्माण में खपत जल पर होने वाले व्यय की गणना CPWD द्वारा निर्धारित दर (परियोजना की लागत का 1%) के अनुसार परियोजना की लागत अर्थात् धनराशि रू० 127.88 करोड़ (UPPCB द्वारा उपलब्ध कराये गये रिकार्ड के अनुसार) के सापेक्ष 1% धनराशि रू० 1.28 करोड़ पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाता है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में आपको अन्तिम अवसर देते हुये यह निर्देशित किया जाता है कि निर्माण के दौरान प्रयुक्त जल का प्रकार एवं खपत की मात्रा पर किये गये व्यय की धनराशि का आधार/साक्ष्य सहित 15 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अन्यथा की स्थिति में यह माना जायेगा कि आप द्वारा निर्माण के दौरान केवल भूजल का ही प्रयोग किया गया है और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना प्रोजेक्ट कार्ट का 1% अधिरोपित किया गया माना जायेगा, जो कि आपको मान्य होगा, तदोपरान्त इस पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को 15 दिनों के अन्दर NGT के खाते में ONLINE (<https://erp.eshiksa.net/DirectFessv3/UPPCB>) जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

(ए०पी० वर्मा)

वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)

प्रतिलिपि:

- जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्ध नगर को सूचनार्थ।
- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एल०) महोदय/ (डी०) महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- महाप्रबन्धक (अभियन्त्रण-जल) महोदय को सादर सूचनार्थ।
- क्षेत्रीय अधिकारी (प्रभारी), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ए-1, प्रथम तल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नौएडा, को सूचनार्थ।
- हाईड्रोलॉजिस्ट, उ०प्र० भूगर्भ जल विभाग, ए०ई०-18, अंसल गोल्फ लिंक-2, निकट तिलपता गोल चक्कर ग्रेटर नौएडा को सूचनार्थ।
- प्रभारी (विधि) को सूचनार्थ।
- सम्बन्धित पत्रावली।

वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)

3694

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट न०-०१, सेक्टर-के०पी०-४, ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला-गौतमबुद्ध नगर (उ०प्र०)।
website: www.greatermoldaaauthority.in email id: authority@gnida.in, sm.workcircle.jal@gnida.in

पत्रांक-जल/2024/716

दिनांक ०१ / ०१ / 2024

अति-आवश्यक / समयबद्ध

सेवा में,

Sikka Kamaya Greens,
(Promoter-M/s Eco Green Buildtech (P) Ltd.)
Plot No-02B, Sector-10, Greater Noida.

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- जल/2024/63, दिनांक-20.01.2024

जल/2024/123, दिनांक-05.02.2024

उपरोक्त संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें अवगत कराया गया था कि कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्ध नगर के कार्यवृत्त पत्रांक-353/भू०ज०वि० खण्ड-गौतमबुद्धनगर/एनजीटी-ओ०ए०३९२/2022 दिनांक 16.01.2024 द्वारा ग्रेटर नौएडा विकास प्राधिकरण के लिए निर्देश दिया गया है कि "परियोजनाओं के प्रतिनिधियों से परियोजनाओं द्वारा निर्माण कार्य हेतु प्रयोजित जल का प्रकार एवं खपत की मात्रा एवं अवधि सम्बन्धित जानकारी एवं वांछित आख्या अभिलेख प्राप्त किया जाये, जिससे परियोजना द्वारा निर्माणाधीन चरण तक जल की कुल कितनी मात्रा की खपत की गयी है उसके आधार पर परियोजनाओं के विरुद्ध की Final Compensation की गणना की जा सके।"

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आप द्वारा दिनांक 16.02.2024 को पत्र के माध्यम से सूचना उपलब्ध करायी गई है। पत्र के साथ जो साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं (उसमें जो सीवरेज जल का प्रयोग किया गया है।) वह ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के STP जल से सम्बन्धित नहीं है। अतः मान्य नहीं है।

उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित संयुक्त समिति की दिनांक 25.06.2024 को हुई बैठक कार्यवृत्त (दिनांक 04.07.2024 को जारी) के अनुसार परियोजना के निर्माण में खपत जल पर होने वाले व्यय की गणना CPWD द्वारा निर्धारित दर (परियोजना की लागत का 1%) के अनुसार परियोजना की लागत अर्थात् धनराशि रू० 230.28 करोड़ (UPPCB द्वारा उपलब्ध कराये गये रिकार्ड के अनुसार) के सापेक्ष 1% धनराशि रू० 2.30 करोड़ पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाता है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में आपको अन्तिम अवसर देते हुये यह निर्देशित किया जाता है कि निर्माण के दौरान प्रयुक्त जल का प्रकार एवं खपत की मात्रा पर किये गये व्यय की धनराशि का आधार/साक्ष्य सहित 15 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अन्यथा की स्थिति में यह माना जायेगा कि आप द्वारा निर्माण के दौरान केवल भूजल का ही प्रयोग किया गया है और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना प्रोजेक्ट कास्ट का 1% अधिरोपित किया गया माना जायेगा, जो कि आपको मान्य होगा, तदोपरान्त इस पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को 15 दिनों के अन्दर NGT के खाते में ONLINE (<https://erp.eshiksa.net/DirectFessv3/UPPCB>) जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

(ए०पी० वर्मा)

वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)

प्रतिलिपि:

- जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्ध नगर को सूचनार्थ।
- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (ए०) महोदय/ (डी०) महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- महाप्रबन्धक (अभियन्त्रण-जल) महोदय को सादर सूचनार्थ।
- क्षेत्रीय अधिकारी (प्रभारी), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ए-1, प्रथम तल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नौएडा, को सूचनार्थ।
- हाईड्रोलॉजिस्ट, उ०प्र० भूगर्भ जल विभाग, ए०ई०-18, अंसल गोल्फ लिंक-2, निकट तिलपता गोल चक्कर ग्रेटर नौएडा को सूचनार्थ।
- प्रभारी (विधि) को सूचनार्थ।
- सम्बन्धित पत्रावली।


वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट न०-०१, सेक्टर-के०पी०-४, ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला-गौतमबुद्ध नगर (उ०प्र०)।
website: www.greaternoidaauthority.in email id: authority@gnida.in, sm.workcircle.jal@gnida.in

पत्रांक-जल/2024/722

दिनांक ०१ / ०७ / 2024

अति-आवश्यक / समयबद्ध

सेवा में,

Vihaan Villas,
(M/s Vihaan Developers Pvt. Ltd.)
Plot No-GH-15C, Sector-1, Greater Noida.

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- जल/2024/64, दिनांक-20.01.2024
जल/2024/124, दिनांक-05.02.2024

उपरोक्त संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें अवगत कराया गया था कि कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्ध नगर के कार्यवृत्त पत्रांक-353/भू०ज०वि० खण्ड-गौतमबुद्धनगर/एनजीटी-ओ०ए०३९२/2022 दिनांक 16.01.2024 द्वारा ग्रेटर नौएडा विकास प्राधिकरण के लिए निर्देश दिया गया है कि "परियोजनाओं के प्रतिनिधियों से परियोजनाओं द्वारा निर्माण कार्य हेतु प्रयोजित जल का प्रकार एवं खपत की मात्रा एवं अवधि सम्बन्धित जानकारी एवं वांछित आख्या अभिलेख प्राप्त किया जाये, जिससे परियोजना द्वारा निर्माणाधीन चरण तक जल की कुल कितनी मात्रा की खपत की गयी है उसके आधार पर परियोजनाओं के विरुद्ध की Final Compensation की गणना की जा सके।"

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आप द्वारा दिनांक 15.02.2024 को पत्र के माध्यम से सूचना उपलब्ध करायी गई है। पत्र के साथ जो साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं (उसमें जो सीवरेज जल का प्रयोग किया गया है।) वह ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के STP जल से सम्बन्धित नहीं है। अतः मान्य नहीं है।

उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित संयुक्त समिति की दिनांक 25.06.2024 को हुई बैठक कार्यवृत्त (दिनांक 04.07.2024 को जारी) के अनुसार परियोजना के निर्माण में खपत जल पर होने वाले व्यय की गणना CPWD द्वारा निर्धारित दर (परियोजना की लागत का 1%) के अनुसार परियोजना की लागत अर्थात् धनराशि रू० 117.00 करोड़ (UPPCB द्वारा उपलब्ध कराये गये रिकार्ड के अनुसार) के सापेक्ष 1% धनराशि रू० 1.77 करोड़ पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाता है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में आपको अन्तिम अवसर देते हुये यह निर्देशित किया जाता है कि निर्माण के दौरान प्रयुक्त जल का प्रकार एवं खपत की मात्रा पर किये गये व्यय की धनराशि का आधार/साक्ष्य सहित 15 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अन्यथा की स्थिति में यह माना जायेगा कि आप द्वारा निर्माण के दौरान केवल भूजल का ही प्रयोग किया गया है और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना प्रोजेक्ट कास्ट का 1% अधिरोपित किया गया माना जायेगा, जो कि आपको मान्य होगा, तदोपरान्त इस पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को 15 दिनों के अन्दर NGT के खाते में ONLINE (<https://erp.eshiksa.net/DirectFessv3/UPPCB>) जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

(ए०पी० वर्मा)

वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)

प्रतिलिपि:

- जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्ध नगर को सूचनार्थ।
- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एल०) महोदय/ (डी०) महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- महाप्रबन्धक (अभियन्त्रण-जल) महोदय को सादर सूचनार्थ।
- क्षेत्रीय अधिकारी (प्रभारी), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ए-1, प्रथम तल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, वीटा-2, ग्रेटर नौएडा, को सूचनार्थ।
- हाईड्रोलॉजिस्ट, उ०प्र० भूगर्भ जल विभाग, ए०ई०-18, अंसल गोल्फ लिंक-2, निकट तिलपता गोल चक्कर ग्रेटर नौएडा को सूचनार्थ।
- प्रभारी (विधि) को सूचनार्थ।
- सम्बन्धित पत्रावली।

वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट नं०-०१, सैक्टर-के०पी०-४, ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला-गौतमबुद्ध नगर (उ०प्र०)।
website: www.greaternoidaauthority.in email id: authority@gnida.in, sm.workcircle.jal@gnida.in

पत्रांक-जल/2024/717

दिनांक ०१ / ०१ / 2024

अति-आवश्यक / समयबद्ध

सेवा में,

VVIP Home/Meridian,
(Promoter-M/s Solitaire Infra Home Pvt. Ltd.)
Plot No-GC-03K/GH-03, Sector-16C,
Greater Noida (Phase-1 & Phase-2)

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- जल/2024/65, दिनांक-20.01.2024
जल/2024/125, दिनांक-05.02.2024
जल/2024/191, दिनांक-05.03.2024
जल/2024/337, दिनांक-01.04.2024

उपरोक्त संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें अवगत कराया गया था कि कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्ध नगर के कार्यवृत्त पत्रांक-353/भू०ज०वि० खण्ड-गौतमबुद्धनगर/एनजीटी-ओ०ए०३९२/2022 दिनांक 16.01.2024 द्वारा ग्रेटर नौएडा विकास प्राधिकरण के लिए निर्देश दिया गया है कि "परियोजनाओं के प्रतिनिधियों से परियोजनाओं द्वारा निर्माण कार्य हेतु प्रयोजित जल का प्रकार एवं खपत की मात्रा एवं अवधि सम्बन्धित जानकारी एवं वांछित आख्या अभिलेख प्राप्त किया जाये, जिससे परियोजना द्वारा निर्माणाधीन चरण तक जल की कुल कितनी मात्रा की खपत की गयी है उसके आधार पर परियोजनाओं के विरुद्ध की Final Compensation की गणना की जा सके।"

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आप द्वारा दिनांक 10.04.2024 को पत्र के माध्यम से सूचना उपलब्ध करायी गई है। पत्र के साथ जो साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं (उसमें जो सीवरेज जल का प्रयोग किया गया है।) वह ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के STP जल से सम्बन्धित नहीं है। अतः मान्य नहीं है।

उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित संयुक्त समिति की दिनांक 25.06.2024 को हुई बैठक कार्यवृत्त (दिनांक 04.07.2024 को जारी) के अनुसार परियोजना के निर्माण में खपत जल पर होने वाले व्यय की गणना CPWD द्वारा निर्धारित दर (परियोजना की लागत का 1%) के अनुसार परियोजना की लागत अर्थात् करोड़ पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाता है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में आपको अन्तिम अवसर देते हुये यह निर्देशित किया जाता है कि निर्माण के दौरान प्रयुक्त जल का प्रकार एवं खपत की मात्रा पर किये गये व्यय की धनराशि का आधार/साक्ष्य सहित 15 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अन्यथा की स्थिति में यह माना जायेगा कि आप द्वारा निर्माण के दौरान केवल भूजल का ही प्रयोग किया गया है और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना प्रोजेक्ट कास्ट का 1% अधिरोपित किया गया माना जायेगा, जो कि आपको मान्य होगा, तदोपरान्त इस पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को 15 दिनों के अन्दर NGT के खाते में ONLINE (<https://erp.eshiksa.net/DirectFessv3/UPPCB>) जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

(ए०पी० वर्मा)

वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)

प्रतिलिपि:

- जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्ध नगर को सूचनार्थ।
- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एल०) महोदय/ (डी०) महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- महाप्रबन्धक (अभियन्त्रण-जल) महोदय को सादर सूचनार्थ।
- क्षेत्रीय अधिकारी (प्रभारी), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ए-1, प्रथम तल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नौएडा, को सूचनार्थ।
- हाईड्रोलॉजिस्ट, उ०प्र० भूगर्भ जल विभाग, ए०ई०-18, अंसल गोल्फ लिंक-2, निकट तिलपता गोल चक्कर ग्रेटर नौएडा को सूचनार्थ।
- प्रभारी (विधि) को सूचनार्थ।
- सम्बन्धित पत्रावली।

वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट न०-०१, सेक्टर-के०पी०-४, ग्रेटर नौएडा मिडी, जिला-गौतमबुद्ध नगर (उ०प्र०)।
website: www.greaternoidaauthority.in email id: authority@gnida.in, sm.workcircle.jal@gnida.in

पत्रांक-जल/2024/721

दिनांक ०१ / ०७ / 2024

अति-आवश्यक / समयबद्ध

सेवा में

Mahagun Mywood
(M/s Mahagun (India) Pvt. Ltd.)
GH-04, Sector-16,
Greater Noida (U.P.)

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम युनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- जल/2024/92, दिनांक-03.02.2024
जल/2024/147, दिनांक-12.02.2024
जल/2024/218, दिनांक-05.03.2024
जल/2024/345, दिनांक-01.04.2024

उपरोक्त संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें अवगत कराया गया था कि कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्ध नगर के कार्यवृत्त पत्रांक-353/भू०ज०वि० खण्ड-गौतमबुद्धनगर/एनजीटी-ओ०ए०३९२/2022 दिनांक 16.01.2024 द्वारा ग्रेटर नौएडा विकास प्राधिकरण के लिए निर्देश दिया गया है कि "परियोजनाओं के प्रतिनिधियों से परियोजनाओं द्वारा निर्माण कार्य हेतु प्रयोजित जल का प्रकार एवं खपत की मात्रा एवं अवधि सम्बन्धित जानकारी एवं वांछित आख्या अभिलेख प्राप्त किया जाये, जिससे परियोजना द्वारा निर्माणाधीन चरण तक जल की कुल कितनी मात्रा की खपत की गयी है उसके आधार पर परियोजनाओं के विरुद्ध की Final Compensation की गणना की जा सके।"

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आप द्वारा दिनांक 27.02.2024 को पत्र के माध्यम से सूचना उपलब्ध करायी गई है। पत्र के साथ जो साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं (उसमें जो सीवरेज जल का प्रयोग किया गया है) वह ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के STP जल से सम्बन्धित नहीं है। अतः मान्य नहीं है।

उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित संयुक्त समिति की दिनांक 25.06.2024 को हुई बैठक कार्यवृत्त (दिनांक 04.07.2024 को जारी) के अनुसार परियोजना के निर्माण में खपत जल पर होने वाले व्यय की गणना CPWD द्वारा निर्धारित दर (परियोजना की लागत का 1%) के अनुसार परियोजना की लागत अर्थात् धनराशि ₹० 463.00 करोड़ (UPPCB द्वारा उपलब्ध कराये गये रिकार्ड के अनुसार) के सापेक्ष 1% धनराशि ₹० 4.63 करोड़ पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाता है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में आपको अन्तिम अवसर देते हुये यह निर्देशित किया जाता है कि निर्माण के दौरान प्रयुक्त जल का प्रकार एवं खपत की मात्रा पर किये गये व्यय की धनराशि का आधार/साक्ष्य सहित 15 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अन्यथा की स्थिति में यह माना जायेगा कि आप द्वारा निर्माण के दौरान केवल भूजल का ही प्रयोग किया गया है और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना प्रोजेक्ट कास्ट का 1% अधिरोपित किया गया माना जायेगा, जो कि आपको मान्य होगा, तदोपरान्त इस पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को 15 दिनों के अन्दर NGT के खाते में ONLINE (<https://erp.eshiksa.net/DirectFessv3/UPPCB>) जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

(ए०पी० वमा)

वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)

प्रतिलिपि:

- जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्ध नगर को सूचनार्थ।
- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एल०) महोदय/ (डी०) महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- महाप्रबन्धक (अभियन्त्रण-जल) महोदय को सादर सूचनार्थ।
- क्षेत्रीय अधिकारी (प्रभारी), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ए-1, प्रथम तल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नौएडा, को सूचनार्थ।
- हाईड्रोलॉजिस्ट, उ०प्र० भूगर्भ जल विभाग, ए०ई०-18, अंसल गोल्फ लिंक-2, निकट तिलपता गोल चक्कर ग्रेटर नौएडा को सूचनार्थ।
- प्रभारी (विधि) को सूचनार्थ।
- सम्बन्धित पत्रावली।

वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट न०-०१, सेक्टर-के०पी०-४, ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला-गौतमबुद्ध नगर (उ०प्र०)।
website: www.greaternoidaauthority.in email id: authority@gnida.in, sm.workcircle.jal@gnida.in

पत्रांक-जल/2024/218

दिनांक ०१ / ०१ / २०२४

अति-आवश्यक / समयबद्ध

सेवा में,

Ace Aspire
(M/s Ideal Realtech Pvt. Ltd.)
GH-02A, Techzone-04, Greater Noida West.

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-३९२/२०२२ प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक १५.११.२०२२ के अनुपालन के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- जल/२०२४/८२, दिनांक-०३.०२.२०२४
जल/२०२४/१३७, दिनांक-१२.०२.२०२४
जल/२०२४/२१९, दिनांक-०५.०३.२०२४

उपरोक्त संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें अवगत कराया गया था कि कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्ध नगर के कार्यवृत्त पत्रांक-३५३/भू०ज०वि० खण्ड-गौतमबुद्धनगर/एनजीटी-ओ०ए०३९२/२०२२ दिनांक १६.०१.२०२४ द्वारा ग्रेटर नौएडा विकास प्राधिकरण के लिए निर्देश दिया गया है कि "परियोजनाओं के प्रतिनिधियों से परियोजनाओं द्वारा निर्माण कार्य हेतु प्रयोजित जल का प्रकार एवं खपत की मात्रा एवं अवधि सम्बन्धित जानकारी एवं वांछित आख्या अभिलेख प्राप्त किया जाये, जिससे परियोजना द्वारा निर्माणाधीन चरण तक जल की कुल कितनी मात्रा की खपत की गयी है उसके आधार पर परियोजनाओं के विरुद्ध की Final Compensation की गणना की जा सके।"

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आप द्वारा दिनांक २३.०२.२०२४ को पत्र के माध्यम से सूचना उपलब्ध करायी गई है। पत्र के साथ जो साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं (उसमें जो सीवरेज जल का प्रयोग किया गया है।) वह ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के STP जल से सम्बन्धित नहीं है। अतः मान्य नहीं है।

उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित संयुक्त समिति की दिनांक २५.०६.२०२४ को हुई बैठक कार्यवृत्त (दिनांक ०४.०७.२०२४ को जारी) के अनुसार परियोजना के निर्माण में खपत जल पर होने वाले व्यय की गणना CPWD द्वारा निर्धारित दर (परियोजना की लागत का १%) के अनुसार परियोजना की लागत अर्थात् धनराशि रू० २७७.५८ करोड़ (UPPCB द्वारा उपलब्ध कराये गये रिकार्ड के अनुसार) के सापेक्ष १% धनराशि रू० २.७८ करोड़ पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाता है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में आपको अन्तिम अवसर देते हुये यह निर्देशित किया जाता है कि निर्माण के दौरान प्रयुक्त जल का प्रकार एवं खपत की मात्रा पर किये गये व्यय की धनराशि का आधार/साक्ष्य सहित १५ दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अन्यथा की स्थिति में यह माना जायेगा कि आप द्वारा निर्माण के दौरान केवल भूजल का ही प्रयोग किया गया है और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना प्रोजेक्ट कास्ट का १% अधिरोपित किया गया माना जायेगा, जो कि आपको मान्य होगा, तदोपरान्त इस पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को १५ दिनों के अन्दर NGT के खाते में ONLINE (<https://erp.eshiksa.net/DirectFessv3/UPPCB>) जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

(ए०पी० वर्मा)

वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)

प्रतिलिपि:

- जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्ध नगर को सूचनार्थ।
- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एल०) महोदय/ (डी०) महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- महाप्रबन्धक (अभियन्त्रण-जल) महोदय को सादर सूचनार्थ।
- क्षेत्रीय अधिकारी (प्रभारी), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ए-१, प्रथम तल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बीटा-२, ग्रेटर नौएडा, को सूचनार्थ।
- हाईड्रोलॉजिस्ट, उ०प्र० भूगर्भ जल विभाग, ए०ई०-१८, अंसल गोल्फ लिंक-२, निकट तिलपता गोल चक्कर ग्रेटर नौएडा को सूचनार्थ।
- प्रभारी (विधि) को सूचनार्थ।
- सम्बन्धित पत्रावली।


वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट न०-०१, सेक्टर-के०पी०-४, ग्रेटर नौएडा सिटी, मिला-गौतमबुद्ध नगर (उ०प्र०)।
website: www.greaternoidaauthority.in email id: authority@gnida.in, sm.workcircle.jal@gnida.in

पत्रांक-जल/2024/719

दिनांक ०१ / ०७ / 2024

अति-आवश्यक / समयबद्ध

सेवा में,

Aims Green Avenue
(Aims Golf Town Developers Pvt. Ltd.)
Phase-1, Plot No.-4, GH-04, Greater Noida.

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- जल/2024/84, दिनांक-03.02.2024
जल/2024/139, दिनांक-12.02.2024
जल/2024/210, दिनांक-05.03.2024
जल/2024/338, दिनांक-01.04.2024

उपरोक्त संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें अवगत कराया गया था कि कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्ध नगर के कार्यवृत्त पत्रांक-353/भू०ज०वि० खण्ड-गौतमबुद्धनगर/एनजीटी-ओ०ए०३३९२/2022 दिनांक 16.01.2024 द्वारा ग्रेटर नौएडा विकास प्राधिकरण के लिए निर्देश दिया गया है कि "परियोजनाओं के प्रतिनिधियों से परियोजनाओं द्वारा निर्माण कार्य हेतु प्रयोजित जल का प्रकार एवं खपत की मात्रा एवं अवधि सम्बन्धित जानकारी एवं वांछित आख्या अभिलेख प्राप्त किया जाये, जिससे परियोजना द्वारा निर्माणाधीन चरण तक जल की कुल कितनी मात्रा की खपत की गयी है उसके आधार पर परियोजनाओं के विरुद्ध की Final Compensation की गणना की जा सके।"

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आप द्वारा दिनांक 19.04.2024 को पत्र के माध्यम से सूचना उपलब्ध करायी गई है। पत्र के साथ जो साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं (उसमें जो सीवरेज जल का प्रयोग किया गया है।) वह ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के STP जल से सम्बन्धित नहीं है। अतः मान्य नहीं है।

उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित संयुक्त समिति की दिनांक 25.06.2024 को हुई बैठक कार्यवृत्त (दिनांक 04.07.2024 को जारी) के अनुसार परियोजना के निर्माण में खपत जल पर होने वाले व्यय की गणना CPWD द्वारा निर्धारित दर (परियोजना की लागत का 1%) के अनुसार परियोजना की लागत अर्थात् धनराशि ₹० 326.03 करोड़ (UPPCB द्वारा उपलब्ध कराये गये रिकार्ड के अनुसार) के सापेक्ष 1% धनराशि ₹० 3.26 करोड़ पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाता है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में आपको अन्तिम अवसर देते हुये यह निर्देशित किया जाता है कि निर्माण के दौरान प्रयुक्त जल का प्रकार एवं खपत की मात्रा पर किये गये व्यय की धनराशि का आधार/साक्ष्य सहित 15 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अन्यथा की स्थिति में यह माना जायेगा कि आप द्वारा निर्माण के दौरान केवल भूजल का ही प्रयोग किया गया है और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना प्रोजेक्ट कास्ट का 1% अधिरोपित किया गया माना जायेगा, जो कि आपको मान्य होगा, तदोपरान्त इस पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को 15 दिनों के अन्दर NGT के खाते में ONLINE (<https://erp.eshiksa.net/DirectFessv3/UPPCB>) जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

(ए०पी० वर्मा)

वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)

प्रतिलिपि:

- जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्ध नगर को सूचनार्थ।
- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एल०) महोदय/ (डी०) महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- महाप्रबन्धक (अभियन्त्रण-जल) महोदय को सादर सूचनार्थ।
- क्षेत्रीय अधिकारी (प्रभारी), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ए-1, प्रथम तल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नौएडा, को सूचनार्थ।
- हाईड्रोलॉजिस्ट, उ०प्र० भूगर्भ जल विभाग, ए०ई०-18, अंसल गोल्फ लिंक-2, निकट तिलपता गोल चक्कर ग्रेटर नौएडा को सूचनार्थ।
- प्रभारी (विधि) को सूचनार्थ।
- सम्बन्धित पत्रावली।

वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)

3700



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट न०-०१, सेक्टर-के०पी०-४, ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला-गौतमबुद्ध नगर (उ०प्र०)।
website: www.greaternoidaauthority.in email id: authority@gnida.in, sm.workcircle.jal@gnida.in

पत्रांक-जल/2024/720

दिनांक ०१ / ०७ / 2024

अति-आवश्यक / समयबद्ध

सेवा में,

Divyansh Flora
(Promotor- M/s Divyansh Infra hight (P) Ltd.)
Plot No-A-76, Kanti Nagar,
Near Hero Honda Show Room,
Delhi-110051

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- जल/2024/87, दिनांक-03.02.2024
जल/2024/142, दिनांक-12.02.2024
जल/2024/206, दिनांक-05.03.2024

उपरोक्त संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें अवगत कराया गया था कि कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्ध नगर के कार्यवृत्त पत्रांक-353/भू०ज०वि० खण्ड-गौतमबुद्धनगर/एनजीटी-ओ०ए०३९२/2022 दिनांक 16.01.2024 द्वारा ग्रेटर नौएडा विकास प्राधिकरण के लिए निर्देश दिया गया है कि "परियोजनाओं के प्रतिनिधियों से परियोजनाओं द्वारा निर्माण कार्य हेतु प्रयोजित जल का प्रकार एवं खपत की मात्रा एवं अवधि सम्बन्धित जानकारी एवं वांछित आख्या अभिलेख प्राप्त किया जाये, जिससे परियोजना द्वारा निर्माणाधीन चरण तक जल की कुल कितनी मात्रा की खपत की गयी है उसके आधार पर परियोजनाओं के विरुद्ध की Final Compensation की गणना की जा सके।"

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आप द्वारा दिनांक 27.02.2024 को पत्र के माध्यम से सूचना उपलब्ध करायी गई है। पत्र के साथ जो साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं (उसमें जो सीवरेज जल का प्रयोग किया गया है।) वह ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के STP जल से सम्बन्धित नहीं है। अतः मान्य नहीं है।

उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित संयुक्त समिति की दिनांक 25.06.2024 को हुई बैठक कार्यवृत्त (दिनांक 04.07.2024 को जारी) के अनुसार परियोजना के निर्माण में खपत जल पर होने वाले व्यय की गणना CPWD द्वारा निर्धारित दर (परियोजना की लागत का 1%) के अनुसार परियोजना की लागत अर्थात् धनराशि ₹० 128.00 करोड़ (UPPCB द्वारा उपलब्ध कराये गये रिकार्ड के अनुसार) के सापेक्ष 1% धनराशि ₹० 1.28 करोड़ पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाता है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में आपको अन्तिम अवसर देते हुये यह निर्देशित किया जाता है कि निर्माण के दौरान प्रयुक्त जल का प्रकार एवं खपत की मात्रा पर किये गये व्यय की धनराशि का आधार/साक्ष्य सहित 15 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अन्यथा की स्थिति में यह माना जायेगा कि आप द्वारा निर्माण के दौरान केवल भूजल का ही प्रयोग किया गया है और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना प्रोजेक्ट कास्ट का 1% अधिरोपित किया गया माना जायेगा, जो कि आपको मान्य होगा, तदोपरान्त इस पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को 15 दिनों के अन्दर NGT के खाते में ONLINE (<https://erp.eshiksa.net/DirectFessv3/UPPCB>) जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

(ए०पी० वर्मा)

वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)

प्रतिलिपि:

- जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्ध नगर को सूचनार्थ।
- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एल०) महोदय/ (डी०) महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- महाप्रबन्धक (अभियन्त्रण-जल) महोदय को सादर सूचनार्थ।
- क्षेत्रीय अधिकारी (प्रभारी), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ए-1, प्रथम तल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, वीटा-2, ग्रेटर नौएडा, को सूचनार्थ।
- हाईड्रोलॉजिस्ट, उ०प्र० भूगर्भ जल विभाग, ए०ई०-18, अंसल गोल्फ लिंक-2, निकट तिलपता गोल चक्कर ग्रेटर नौएडा को सूचनार्थ।
- प्रभारी (विधि) को सूचनार्थ।
- सम्बन्धित पत्रावली।

वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट न०-०१, सैक्टर-के०पी०-४, ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला-गौतमबुद्ध नगर (उ०प्र०)।
website: www.greaternoidaauthority.in email id: authority@gnida.in, sm.workcircle.jal@gnida.in

पत्रांक-जल/2024/714

दिनांक ०१ / ०७ / 2024

अति-आवश्यक / समयबद्ध

सेवा में,

ATS Destinaire
(Promotor M/s Starcity Real Estates Pvt. Ltd.)
GH-14, Sector-1
Greater Noida (U.P.)

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- जल/2024/95, दिनांक-03.02.2024
जल/2024/150, दिनांक-12.02.2024
जल/2024/209, दिनांक-05.03.2024

उपरोक्त संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें अवगत कराया गया था कि कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्ध नगर के कार्यवृत्त पत्रांक-353/भू०ज०वि० खण्ड-गौतमबुद्धनगर/एनजीटी-ओ०ए०३९२/२०२२ दिनांक 16.01.2024 द्वारा ग्रेटर नौएडा विकास प्राधिकरण के लिए निर्देश दिया गया है कि "परियोजनाओं के प्रतिनिधियों से परियोजनाओं द्वारा निर्माण कार्य हेतु प्रयोजित जल का प्रकार एवं खपत की मात्रा एवं अवधि सम्बन्धित जानकारी एवं वांछित आख्या अभिलेख प्राप्त किया जाये, जिससे परियोजना द्वारा निर्माणाधीन चरण तक जल की कुल कितनी मात्रा की खपत की गयी है उसके आधार पर परियोजनाओं के विरुद्ध की Final Compensation की गणना की जा सके।"

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आप द्वारा दिनांक 27.03.2024 को पत्र के माध्यम से सूचना उपलब्ध करायी गई है। पत्र के साथ जो साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं (उसमें जो सीवरेज जल का प्रयोग किया गया है।) वह ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के STP जल से सम्बन्धित नहीं है। अतः मान्य नहीं है।

उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित संयुक्त समिति की दिनांक 25.06.2024 को हुई बैठक कार्यवृत्त (दिनांक 04.07.2024 को जारी) के अनुसार परियोजना के निर्माण में खपत जल पर होने वाले व्यय की गणना CPWD द्वारा निर्धारित दर (परियोजना की लागत का 1%) के अनुसार परियोजना की लागत अर्थात् धनराशि रु० 634.18 करोड़ (UPPCB द्वारा उपलब्ध कराये गये रिकार्ड के अनुसार) के सापेक्ष 1% धनराशि रु० 6.34 करोड़ पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाता है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में आपको अन्तिम अवसर देते हुये यह निर्देशित किया जाता है कि निर्माण के दौरान प्रयुक्त जल का प्रकार एवं खपत की मात्रा पर किये गये व्यय की धनराशि का आधार/साक्ष्य सहित 15 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अन्यथा की स्थिति में यह माना जायेगा कि आप द्वारा निर्माण के दौरान केवल भूजल का ही प्रयोग किया गया है और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना प्रोजेक्ट कास्ट का 1% अधिरोपित किया गया माना जायेगा, जो कि आपको मान्य होगा, तदोपरान्त इस पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को 15 दिनों के अन्दर NGT के खाते में ONLINE (<https://erp.eshiksa.net/DirectFessv3/UPPCB>) जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

(ए०पी० वर्मा)

वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)

प्रतिलिपि:

- जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्ध नगर को सूचनार्थ।
- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एल०) महोदय/ (डी०) महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- महाप्रबन्धक (अभियन्त्रण-जल) महोदय को सादर सूचनार्थ।
- क्षेत्रीय अधिकारी (प्रभारी), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ए-1, प्रथम तल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, वीटा-2, ग्रेटर नौएडा, को सूचनार्थ।
- हाईड्रोलॉजिस्ट, उ०प्र० भूगर्भ जल विभाग, ए०ई०-18, अंसल गोल्फ लिंक-2, निकट तिलपता गोल चक्कर ग्रेटर नौएडा को सूचनार्थ।
- प्रभारी (विधि) को सूचनार्थ।
- सम्बन्धित पत्रावली।


वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)

3702

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट नं०-०१, सेक्टर-के०पी०-४, ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला-गौतमबुद्ध नगर (उ०प्र०)।
website: www.greaternoidaauthority.in email id: authority@gnida.in, sm.workcircle.jal@gnida.in

पत्रांक-जल/2024/715

दिनांक ०१ / ०७ / २०२४

अति-आवश्यक / समयबद्ध

सेवा में,

JM Florence,
(M/s J.M. Housing Ltd.)
Plot No-DV-GH-09C, Sector-Techzone-4,
Greater Noida

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-३९२/२०२२ प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक १५.११.२०२२ के अनुपालन के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- जल/२०२४/५७, दिनांक-२०.०१.२०२४
जल/२०२४/११७, दिनांक-०५.०२.२०२४
जल/२०२४/१९५, दिनांक-०५.०३.२०२४

उपरोक्त संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें अवगत कराया गया था कि कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्ध नगर के कार्यवृत्त पत्रांक-३५३/भू०ज०वि० खण्ड-गौतमबुद्धनगर/एनजीटी-ओ०ए०३९२/२०२२ दिनांक १६.०१.२०२४ द्वारा ग्रेटर नौएडा विकास प्राधिकरण के लिए निर्देश दिया गया है कि "परियोजनाओं के प्रतिनिधियों से परियोजनाओं द्वारा निर्माण कार्य हेतु प्रयोजित जल का प्रकार एवं खपत की मात्रा एवं अवधि सम्बन्धित जानकारी एवं वांछित आख्या अभिलेख प्राप्त किया जाये, जिससे परियोजना द्वारा निर्माणाधीन चरण तक जल की कुल कितनी मात्रा की खपत की गयी है उसके आधार पर परियोजनाओं के विरुद्ध की Final Compensation की गणना की जा सके।"

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आप द्वारा दिनांक ०६.०२.२०२४ को पत्र के माध्यम से सूचना उपलब्ध करायी गई है। पत्र के साथ जो साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं उसमें जो सीवरेज जल का प्रयोग किया गया है। वह ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के STP जल से सम्बन्धित नहीं है। अतः मान्य नहीं है।

उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित संयुक्त समिति की दिनांक २५.०६.२०२४ को हुई बैठक कार्यवृत्त (दिनांक ०४.०७.२०२४ को जारी) के अनुसार परियोजना के निर्माण में खपत जल पर होने वाले व्यय की गणना CPWD द्वारा निर्धारित दर (परियोजना की लागत का १%) के अनुसार परियोजना की लागत अर्थात् धनराशि ₹० ६६१.०० करोड़ (UPPCB द्वारा उपलब्ध कराये गये रिकार्ड के अनुसार) के सापेक्ष १% धनराशि ₹० ६.६१ करोड़ पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाता है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में आपको अन्तिम अवसर देते हुये यह निर्देशित किया जाता है कि निर्माण के दौरान प्रयुक्त जल का प्रकार एवं खपत की मात्रा पर किये गये व्यय की धनराशि का आधार/साक्ष्य सहित १५ दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अन्यथा की स्थिति में यह माना जायेगा कि आप द्वारा निर्माण के दौरान केवल भूजल का ही प्रयोग किया गया है और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना प्रोजेक्ट कास्ट का १% अधिरोपित किया गया माना जायेगा, जो कि आपको मान्य होगा, तदोपरान्त इस पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को १५ दिनों के अन्दर NGT के खाते में ONLINE (<https://erp.eshiksa.net/DirectFessv3/UPPCB>) जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

(ए०पी० वमा)

वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)

प्रतिलिपि:

- जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्ध नगर को सूचनार्थ।
- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एल०) महोदय / (डी०) महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- महाप्रबन्धक (अभियन्त्रण-जल) महोदय को सादर सूचनार्थ।
- क्षेत्रीय अधिकारी (प्रभारी), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ए-१, प्रथम तल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बीटा-२, ग्रेटर नौएडा, को सूचनार्थ।
- हाईड्रोलॉजिस्ट, उ०प्र० भूगर्भ जल विभाग, ए०ई०-१८, अंसल गोल्फ लिंक-२, निकट तिलपता गोल चक्कर ग्रेटर नौएडा को सूचनार्थ।
- प्रभारी (विधि) को सूचनार्थ।
- सम्बन्धित पत्रावली।

वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)



3703 ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट न०-०१, सेक्टर-के०पी०-४, ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला-गौतमबुद्ध नगर (उ०प्र०)।
website: www.greaternoidaauthority.in email id: authority@gnida.in, sm.workcircle.jal@gnida.in

पत्रांक-जल/2024/700

दिनांक ०५/०७/2024

अति-आवश्यक/समयबद्ध

सेवा में,

Galaxy Royale
(M/s Prithveelink Buildwell Pvt. Ltd.)
Plot No-GH-03, Sector-16C, Gaur City 2,
Greater Noida

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- जल/2024/50, दिनांक-20.01.2024
जल/2024/110, दिनांक-05.02.2024
जल/2024/197, दिनांक-05.03.2024
जल/2024/335, दिनांक-01.04.2024

उपरोक्त संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें अवगत कराया गया था कि कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्ध नगर के कार्यवृत्त पत्रांक-353/भू०ज०वि० खण्ड-गौतमबुद्धनगर/एनजीटी-ओ०ए०३९२/2022 दिनांक 16.01.2024 द्वारा ग्रेटर नौएडा विकास प्राधिकरण के लिए निर्देश दिया गया था कि "परियोजनाओं के प्रतिनिधियों से परियोजनाओं द्वारा निर्माण कार्य हेतु प्रयुक्त जल का प्रकार एवं खपत की मात्रा एवं अवधि सम्बन्धित जानकारी एवं वांछित आख्या अभिलेख प्राप्त किया जाये, जिससे परियोजना द्वारा निर्माणाधीन चरण तक जल की कुल कितनी मात्रा की खपत की गयी है उसके आधार पर परियोजनाओं के विरुद्ध की Final Compensation की गणना की जा सके।" इस सम्बन्ध में आप द्वारा कोई सूचना कार्यालय में उपलब्ध नहीं करायी गई है।

उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित संयुक्त समिति की दिनांक 25.06.2024 को हुई बैठक कार्यवृत्त (दिनांक 04.07.2024 को जारी) के अनुसार परियोजना के निर्माण में खपत जल पर होने वाले व्यय की गणना CPWD द्वारा निर्धारित दर (परियोजना की लागत का 1%) के अनुसार परियोजना की लागत अर्थात् धनराशि रू० 190.42 करोड़ (UPPCB द्वारा उपलब्ध कराये गये रिकार्ड के अनुसार) के सापेक्ष 1% धनराशि रू० 1.90 करोड़ पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाता है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में आपको अन्तिम अवसर देते हुये यह निर्देशित किया जाता है कि निर्माण के दौरान प्रयुक्त जल का प्रकार एवं खपत की मात्रा पर किये गये व्यय की धनराशि का आधार/साक्ष्य सहित 15 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अन्यथा की स्थिति में यह माना जायेगा कि आप द्वारा निर्माण के दौरान केवल भूजल का ही प्रयोग किया गया है और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना प्रोजेक्ट कास्ट का 1% अधिरोपित किया गया माना जायेगा, जो कि आपको मान्य होगा, तदोपरान्त इस पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को 15 दिनों के अन्दर NGT के खाते में ONLINE (<https://erp.eshiksa.net/DirectFessv3/UPPCB>) जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।
संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

(ए०पी० वर्मा)

वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)

प्रतिलिपि:

- जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्ध नगर को सूचनार्थ।
- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एल०) महोदय/ (डी०) महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- महाप्रबन्धक (अभियन्त्रण-जल) महोदय को सादर सूचनार्थ।
- क्षेत्रीय अधिकारी (प्रभारी), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ए-1, प्रथम तल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नौएडा, को सूचनार्थ।
- हाईड्रोलॉजिस्ट, उ०प्र० भूगर्भ जल विभाग, ए०ई०-18, अंसल गोल्फ लिंक-2, निकट तिलपता गोल चक्कर ग्रेटर नौएडा को सूचनार्थ।
- प्रभारी (विधि) को सूचनार्थ।
- सम्बन्धित पत्रावली।

वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट नं०-१, सेक्टर-१० पी०-४, ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला-गौतमबुद्ध नगर (उ०प्र०)।
website: www.greaternoidaauthority.in email id: authority@gnida.in

पत्रांक-जल/2024/771

दिनांक- ०१/०७/2024

अति-आवश्यक/समयबद्ध

सेवा में,

अधिशायी अभियन्ता
उ०प्र० लोक निर्माण विभाग,
राष्ट्रीय राजमार्ग-९१,
गौतमबुद्ध नगर,
बादलपुर उ०प्र० (203207)

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि कार्यालय अधिशायी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्ध नगर के कार्यवृत्त पत्रांक-353/भू०ज०वि० खण्ड-गौतमबुद्धनगर/एनजीटी-ओ०ए०392/2022 दिनांक 16.01.2024 द्वारा ग्रेटर नौएडा विकास प्राधिकरण के लिए निर्देश दिया गया था कि "परियोजनाओं के प्रतिनिधियों से परियोजनाओं द्वारा निर्माण कार्य हेतु प्रयुक्त जल का प्रकार एवं खपत की मात्रा एवं अवधि सम्बन्धित जानकारी एवं वांछित आख्या अभिलेख प्राप्त किया जाये, जिससे परियोजना द्वारा निर्माणाधीन चरण तक जल की कुल कितनी मात्रा की खपत की गयी है उसके आधार पर परियोजनाओं के विरुद्ध की Final Compensation की गणना की जा सके।"

उक्त के सम्बन्ध में UPPCB द्वारा प्रश्नगत 41 परियोजनाओं में से 38 परियोजनाओं की प्रोजेक्ट कास्ट उपलब्ध करायी गई है एवं 03 परियोजनाओं की प्रोजेक्ट कास्ट उपलब्ध नहीं करायी गई है, जो कि जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्ध नगर के अन्तर्गत नोडल एजेन्सी के रूप में UPPWD द्वारा उपलब्ध करायी जानी है। परियोजनाओं का विवरण निम्नवत् है :-

1. Sindhuja Greens, Village- Vaidpura, Sector- 10, Greater Noida (U.P.)
2. Novel Valley ,(AKG Infra Pvt. Ltd.), Khasra No.-288,299,302, Village- Sahberi Near Sector- 16B, Greater Noida (U.P.)
3. Lucky Plam Velly, Khasra No.-784, Village- Bisrakh Near Stellar Jeevan Sector- 1, Greater Noida (U.P.)

अतः उपरोक्त के क्रम में उक्त 03 परियोजनाओं की प्रोजेक्ट कास्ट उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे उक्त परियोजना पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस जारी किया जा सके।

(ए०पी० वर्मा)
वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)
o/c

प्रतिलिपि:

- स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एल०) महोदय/(डी०) महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- महाप्रबन्धक (अभियन्त्रण-जल) महोदय को सादर सूचनार्थ।
- क्षेत्रीय अधिकारी (प्रभारी), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ए-१, प्रथम तल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बीटा-२, ग्रेटर नौएडा, को सूचनार्थ।
- हाईड्रोलॉजिस्ट, उ०प्र० भूगर्भ जल विभाग, ए०ई०-१८, अंसल गोल्फ लिंक-२, निकट तिलपता गोल चक्कर ग्रेटर नौएडा को सूचनार्थ।
- प्रभारी (विधि) को सूचनार्थ।
- सम्बन्धित पत्रावली।

वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)
o/c

3705

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट नं०-1, सेक्टर-के० पी०-4, ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला-गौतमबुद्ध नगर (उ०प्र०)।
website: www.greaternoidaauthority.in email id: authority@gnida.in

दिनांक: 18/07/2024

पत्रांक: जल/2024/746

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
ए-1, प्रथम तल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स,
बीटा-2, ग्रेटर नौएडा।

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनिजन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 के अनुपालन में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित संयुक्त समिति की दिनांक 25.06.2024 को हुई बैठक कार्यवृत्त (दिनांक 04.07.2024 को जारी) के अनुसार परियोजना के निर्माण में खपत जल पर होने वाले व्यय की गणना CPWD द्वारा निर्धारित दर (परियोजना की लागत का 1%) के अनुसार परियोजना की लागत (UPPCB द्वारा उपलब्ध कराये गये रिकार्ड के अनुसार) के सापेक्ष प्रश्नगत 37 परियोजनाओं पर 1% धनराशि की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु दिनांक 09.07.2024 को नोटिस जारी कर दिये गये हैं। 01 परियोजना द्वारा निर्माण कार्य हेतु सीवरेज ट्रीटेड वाटर (ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण से प्राप्त) का उपयोग किया गया है, जिसकी जाँच प्राधिकरण स्तर पर की जा चुकी है, जिस हेतु उक्त परियोजना को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस जारी नहीं किया गया है तथा शेष 3 परियोजनाओं के प्रोजेक्ट कास्ट उपलब्ध कराये जाने हेतु प्राधिकरण स्तर कार्यवाही की जा रही है तथा इस सम्बन्ध में PWD को भी पत्र प्रेषित कर दिया गया है। उक्त प्रकरण की Final Hearing दिनांक 15.07.2024 को नियत है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक अग्रिम कार्यवाही अपने स्तर से करना चाहें।

(स०पी० वर्मा)

वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)

प्रतिलिपि :

1. स्टाफ ऑफिसर को, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एल०/डी०) महोदय/महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
2. महाप्रबन्धक (अभियंत्रण-जल) महोदय को सादर सूचनार्थ।
3. हाईड्रोलॉजिस्ट, उ०प्र० भूगर्भ जल विभाग, ए०ई०-18, अंसल गोल्फ लिंक-2, निकट तिलपता गोल चक्कर ग्रेटर नौएडा को सूचनार्थ।
4. प्रभारी विधि अधिकारी को सूचनार्थ।
5. सम्बन्धित प्रबन्धक/सहायक प्रबन्धक-जल का आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. सम्बन्धित पत्रावली।

वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट नं०-०१, सैक्टर-के०वी०-४, ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला-गौतमबुद्ध नगर (उ०प्र०)।
website: www.greaternoidaauthority.in email id: authority@gnida.in, sta.workcircle.jal@gnida.in

दिनांक ०१ / ०७ / २०२४

अति-आवश्यक / समयबद्ध

पत्रांक-जल/२०२४/११२

सेवा में,

JNC The Park,
(M/s JNC Construction Pvt. Ltd.)
Plot No-GH-01C, Sector-16C,
Greater Noida

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-३९२/२०२२ प्रसून पन्त व अन्य बनाम सुनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक १५.११.२०२२ के अनुपालन के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- जल/२०२४/५८, दिनांक-२०.०१.२०२४
जल/२०२४/११८, दिनांक-०५.०२.२०२४

उपरोक्त संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें अवगत कराया गया था कि कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्ध नगर के कार्यवृत्त पत्रांक-३५३/भू०ज०वि० खण्ड-गौतमबुद्धनगर/एनजीटी-ओ०ए०३९२/२०२२ दिनांक १६.०१.२०२४ द्वारा ग्रेटर नौएडा विकास प्राधिकरण के लिए निर्देश दिया गया है कि "परियोजनाओं के प्रतिनिधियों से परियोजनाओं द्वारा निर्माण कार्य हेतु प्रयोजित जल का प्रकार एवं खपत की मात्रा एवं अवधि सम्बन्धित जानकारी एवं वांछित आख्या अभिलेख प्राप्त किया जाये, जिससे परियोजना द्वारा निर्माणाधीन चरण तक जल की कुल कितनी मात्रा की खपत की गयी है उसके आधार पर परियोजनाओं के विरुद्ध की Final Compensation की गणना की जा सके।"

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आप द्वारा दिनांक २३.०२.२०२४ को पत्र के माध्यम से सूचना उपलब्ध करायी गई है। पत्र के साथ जो साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं (उसमें जो सीवरेज जल का प्रयोग किया गया है) वह ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के STP जल से सम्बन्धित है। परन्तु परियोजना के अनुसार निर्माण कार्य में प्रयुक्त कुल जल के सापेक्ष STP जल का कम प्रयोग किया गया है तथा इस पर किये गये व्यय के बारे में भी अवगत नहीं कराया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित संयुक्त समिति की दिनांक २५.०६.२०२४ को हुई बैठक कार्यवृत्त के अनुसार परियोजना के निर्माण में खपत जल पर होने वाले व्यय की गणना CPWD द्वारा निर्धारित दर (परियोजना की लागत का १%) के अनुसार परियोजना की लागत अर्थात् धनराशि ₹० २६६.९५ करोड़ (UPPCB द्वारा उपलब्ध कराये गये रिकार्ड के अनुसार) के सापेक्ष १% धनराशि ₹० २.६७ करोड़ पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाता है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में आपको अन्तिम अवसर देते हुये यह निर्देशित किया जाता है कि निर्माण के दौरान प्रयुक्त जल का प्रकार एवं खपत की मात्रा पर किये गये व्यय की धनराशि का आधार/साक्ष्य सहित १५ दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अन्यथा की स्थिति में यह माना जायेगा कि आप द्वारा निर्माण के दौरान केवल भूजल का ही प्रयोग किया गया है और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना प्रोजेक्ट कास्ट का १% अधिरोपित किया गया माना जायेगा, जो कि आपको मान्य होगा, तदोपरान्त इस पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को १५ दिनों के अन्दर NGT के खाते में ONLINE (<https://erp.eshiksa.net/DirectFessv3/UPPCB>) जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

(१०पी० वमी)
वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)

प्रतिलिपि:

- जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्ध नगर को सूचनार्थ।
- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एल०) महोदय / (डी०) महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- महाप्रबन्धक (अभियन्त्रण-जल) महोदय को सादर सूचनार्थ।
- क्षेत्रीय अधिकारी (प्रभारी), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ए-१, प्रथम तल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बीटा-२, ग्रेटर नौएडा, को सूचनार्थ।
- हाईड्रोलॉजिस्ट, उ०प्र० भूगर्भ जल विभाग, ए०ई०-१८, अंसल गोल्फ लिंक-२, निकट तिलपता गोल चक्कर ग्रेटर नौएडा को सूचनार्थ।
- प्रभारी (विधि) को सूचनार्थ।
- सम्बन्धित पत्रावली।

वरिष्ठ प्रबन्धक (जल)